खण्ड-245, अंक-6
सोमवार, 21 माघ, शक संवत् 1885
(10 फरवरी, 1964 ई0)

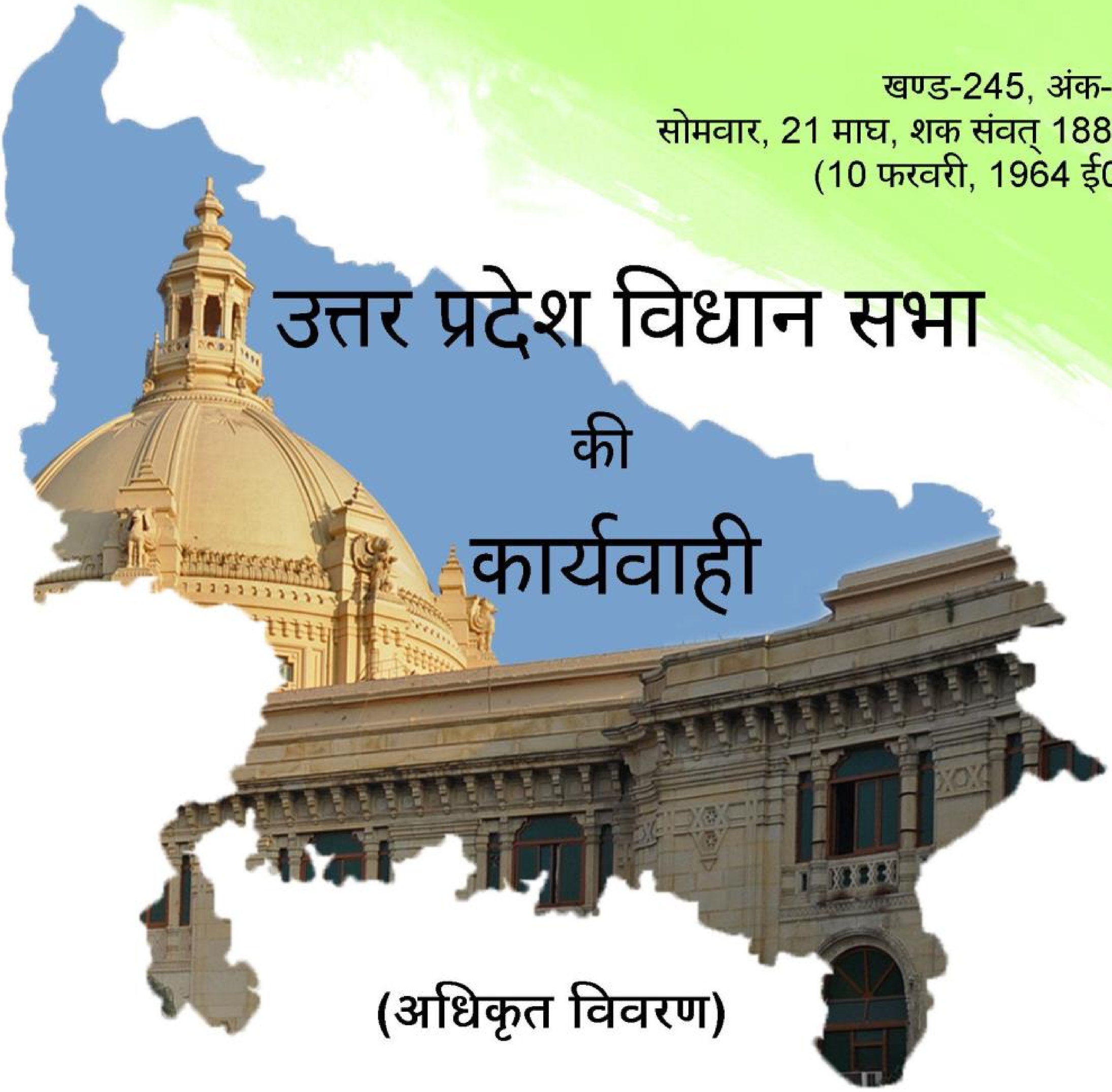

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१९–५२२
प्रश्नोत्तर	५२३–५५८
प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (जारी)	५५८–५६०
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	५६०–५६१
प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	५६१–५६२
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	५६२
उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय--जारी)	५६२–५६५
श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	५६५–५६६
उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ (पारित)	५६६–५९८
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी) ..	५९८–६०९
श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी (जारी) ..	६०९
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पारित)	६१०–६१२
वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	६१२
श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी ..	६१२–६१४
नत्थियां	६१५–६४१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीश प्रसाद पा डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी , श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन , श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)

रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० फरवरी, १९६४

तारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले में किसानों को जंगल सम्बन्धी अधिकार

*१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के अन्तर्गत जो अधिकार भूतपूर्व बनारस स्टेट के जमाने में किसानों को जंगल के थे क्या वही अधिकार अब भी प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

बनारस जिले के अन्तर्गत किसानों को जंगलों से लगभग वही अधिकार, सुविधायें व छूट प्राप्त हैं जो भूतपूर्व बनारस स्टेट के समय में थी। परन्तु इन सुविधाओं में कुछ सुधार (रेगुलेशन्स) जैसे कि वर्तमान वर्किंग प्लान में दिखलाया गया है, किये गये हैं। इस संबंध में एक तुलनात्मक तालिका संलग्न है जिसमें पुराने तथा वर्तमान समय की सुविधाओं का स्पष्टीकरण, सुधार (रेगुलेशन्स) के कारणों सहित दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१५–६१७ पर)

कृषि अधिकारी एवं फार्म मैनेजमेंट आफिसर का चुनाव

*२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के जिला कृषि अधिकारी एवं फार्म मैनेजमेंट आफिसर के पदों के लिये अलग-अलग कितने हरिजन चुने गये हैं ?

श्री चरणसिंह—

परिगणित जाति का केवल एक अभ्यर्थी जिला कृषि अधिकारी के पद के लिये चुना गया है। फार्म मैनेजमेंट आफिसर के पद के लिये परिगणित जाति का कोई व्यक्ति नहीं चुना गया।

आजमगढ़ जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों में जुलाई सन् १९६३ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं तथा उनमें से किन-किन स्थानों की किन-किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं की किन-किन कारणों से कैन्सिल की गयीं और सितम्बर या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक कैन्सिल की हुई दूकानों में से किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं की दूकानें पुनः उन्हीं व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई † सूची संख्या १ तथा २ में दी हुई हैं।

---

† छापी नहीं गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया सूची २ के नम्बर ४ को देखने का कष्ट करें जिसमें यह आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने २० बोरी चावल बेचने के संबंध में एक दूकानदार को पकड़ा। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस के संबंध में पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट लिखायी गयी है, यदि हां, तो वह आरोप किस प्रकार निराधार पाये गये और उसी व्यक्ति को फिर से वह दूकान दे दी गयी ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

चूंकि यह स्थानीय मामला है, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई है, अब आपने प्रश्न किया है तो हम उसको देख लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसी तरह श्रीमन्, क्रम-संख्या १९ में लिखा है कि चीनी की झूठी बिक्री एक दूकानदार ने दिखाई और उसकी दूकान कैन्सिल कर दी गयी, बाद को फिर उसी को दूकान दे दी गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह से चोर बाजारी बढ़ेगी या घटेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो राय का प्रश्न है, फिर यह जिलाधीश के डिस्क्रिशन पर है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो हम इसके बारे में भी पूछ लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, तो इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये। सूची नं० २ में ही १० नम्बर पर एक के बारे में लिखा है कि उसका विचार खराब नहीं था, इसलिये फिर उसी को दूकान दे दी गयी। अब जब तफसील उनके पास नहीं है तो इसको स्थगित कर दीजिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि इन कामों को जिलाधीश करते हैं, इसलिये हर चीज का जवाब नहीं आ पाया। अब जो बातें आप जानना चाहते हों उनको आप मुझे लिख कर दे दें, मैं जवाब मंगा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप मंत्री जी को लिख कर दे दें, इस समय यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

[नोट—श्री अध्यक्ष की आज्ञा से प्रश्न ३ स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में साफ्ट कोक की दूकानें

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों के नाम से साफ्ट कोयले की दूकानें हैं और किन-किन स्थानों में नयी खोलने के लिये जिलाधीश आजमगढ़ की सिफारिश आयी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

आजमगढ़ जिले में जिन जिन स्थानों पर जिन जिन व्यक्तियों के नाम से साफ्ट कोक की दूकाने हैं, उनकी सूची संलग्न है।

जिलाधीश, आजमगढ़ से मुहम्मदाबाद, लालगंज तथा कोपागंज में नयी दूकानें खोलने की सिफारिश आयी थी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ ने जिन नयी दूकानों के खोलने केलिये सिफारिश की थी उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि हमारा कोटा अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है, हमने जिलाधीश से कहा है कि अगर वे उसी कोटे में एडजस्ट कर सकते हों तो कर लें। शायद उनके पास इतना कोटा नहीं है कि इस समय वे यह कर पायें। जब कोटा बढ़ जायेगा तो कोपागंज और लालगंज में भी इनको खोल दिया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार का सरायमीर स्थान पर दूकान खोलने का कोई आदेश गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ जिले में जहां लकड़ी की कमी है और जमीन ऊसर है, वहां सापट कोक की दूकान खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कोटा बढ़ते ही खोल दी जायगी। सम्भवतः जहां के लिये रामसुन्दरजी ने फरमाया, वहां के लिये एक दूकान बढ़ी भी है।

स्टेट फार्म, हेमपुर के कर्मचारियों की असुविधायें

*५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि स्टेट फार्म, हेमपुर, नैनीताल के कितने कर्मचारी टिनशेड क्वार्टर्स का किराया साढ़े छः रुपये प्रतिमास देते हैं और कितने अफसरान फ्री बंगलों में रहते हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

फार्म के १७ कर्मचारी टिनशेड क्वार्टरों में रहते हैं और इनमें से प्रत्येक ५ रु० से लेकर ८.३७ नये पैसे प्रतिमाह तक किराया देता है। फार्म मैनेजर, सहायक फार्म मैनेजर और पशु-चिकित्सा अधिकारी को बिना किराये के क्वार्टर मिले हुये हैं।

*६—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस फार्म पर कुल कितने मजदूर काम करते हैं और वहां कोई अस्पताल है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मजदूरों की संख्या हर मौसम में काम के अनुसार घटती बढ़ती रहती है और यहां औसतन ३०० मजदूर काम करते हैं। फार्म पर कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार खोले जाते हैं। फार्म कर्मचारियों की प्रारम्भिक चिकित्सा के लिये फार्म पर एक कम्पाउन्डर की जगह तथा ७५० रु० वार्षिक की धनराशि दवाइयों के क्रय के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये भी बिला किराये के क्वार्टरों का प्रबन्ध करेगी जैसा कि मैनेजर और दूसरे अधिकारियों के लिये है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अभी तक ऐसी कोई चीज सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ७५० रुपये जो दवाओं के लिये मिलते हैं और केवल एक कम्पाउंडर जो वहां रहता है, ये सब मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजरों के ऊपर ड्यूटी देने में लगते हैं और ३०० मजदूरों को उसमें से कुछ हिस्सा नहीं मिलता है ? और क्या ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि वहां डिसपेंसरी कायम हो जाय जिससे मजदूरों को भी दवा मिले और उनका भी भला हो जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार को यह सूचना नहीं है कि दवा का सारा रुपया और कम्पाउंडर का खर्चा भी केवल अधिकारियों पर ही खर्च होता है । जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, अस्पताल खोलने के स्वास्थ्य विभाग के कुछ नियम हैं जिनके अनुसार वे खुलते हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

स्टेट फार्म हेमपुर में मजदूरों के रहने की क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उन्होंने अपने तरीके से व्यवस्था कर रखी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

छोटे वेतन वालों से ५ और ७।। रुपया किराया लिया जाता है तो बड़े वेतन वाले मैनेजरों से क्यों नहीं लिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिन्हें २४ घंटे फार्म पर रहना आवश्यक है उनके लिये बिना शुल्क व्यवस्था है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या वे कर्मचारी जिन्हें किराया देना पड़ता है कहीं और भी काम कर सकते हैं और उसके बाद आकर टिन शेड में रह सकते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी, नहीं।

देवरिया जिले में सीमेंट वितरण

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अगस्त, १९६३ से १५ अक्तूबर, १९६३ तक जिला देवरिया में रुद्रपुर और राम र कारखाना टाउन एरिया में वितरण हेतु अलग-अलग कितना सीमेंट दिया गया ? उसमें से कितना-कितना किस किस काम के लिये सीमेंट वितरण किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१९ पर)

*८—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अगस्त, १९६३ से १५ अक्तूबर, १९६३ तक सीमेंट वितरण के सम्बन्ध की कितनी शिकायती दरख्वास्तें जिलाधीश देवरिया को मिलीं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त दोनों रुद्रपुर और रामपुर कारखाना टाउन एरियाओं के कोटे का सीमेंट उक्त अवधि में ही दूसरे इलाके या शहर को दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं।

दहगवां ब्लाक में पशु वध करने की शिकायत

*१०—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के दहगवां में जो पशु काटे जाते हैं उनके जाटे गाने के पूर्व उनकी डाक्टरी ए० डी० ओ० (पशुपालन) द्वारा क्यों नहीं की जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पशुपालन विभाग को विकास क्षेत्र दहगवां, जिला बदायूं में किसी मान्यता प्राप्त पशु वध-शाला के होने की कोई जानकारी नहीं है। अतएव जानवरों के निरीक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

सहसवान तहसील में सीमेंट मिलने में कठिनाई

*११—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की तहसील सहसवान में एवं ब्लाक सहसवान तथा दहगवां में सीमेंट प्राप्ति के लिये जो प्रार्थना पत्र ग्रामीण द्वारा दिये जाते हैं। जब वह परमिट लेने आते हैं तो कह दिया जाता है कि प्रार्थना-पत्र ही नहीं मिला ? क्या सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिला पूर्ति कार्यालय की भांति ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिससे प्रार्थना-पत्र देने वाले को प्राप्ति की रसीद तुरन्त दे दी जाया करे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, ऐसी शिकायत थी। सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि सीमेंट प्राप्ति के प्रार्थना-पत्र देने वालों को प्रार्थना-पत्रों की रसीद दे दी जायें।

जिला पूर्ति कार्यालय, मुजफ्फरनगर में परमिट वितरण में बाधा

*१२—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला पूर्ति कार्यलय मुजफ्फरनगर में ५ दिसम्बर, १९६३ को एक बड़ा हंगामा हुआ जिसमें जिलाधीश और एस० पी० को भी आना पड़ा? यदि यह सच है, तो इस हंगामे के होने के क्या कारण थे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, सीमेन्ट परमिटों के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने जिला पूर्ति कार्यालय में शान्ति भंग करने की चेष्टा की तथा जिलाधीश को टेलीफोन द्वारा असत्य बातें बताकर घटनास्थल पर आने को बाध्य किया। सूचना प्राप्त होते ही जिलाधीश आये तथा मामले की जांच की।

जांच द्वारा विदित हुआ कि कुछ व्यक्ति पंक्ति भंग कर अशान्ति उत्पन्न करने का प्रयास करते थे। जिलाधीश के समक्ष ही उन लोगों ने क्षमा याचना की, तत्पश्चात् शान्ति पूर्वक परमिटों का वितरण हुआ।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या यह सही है कि जो हंगामा उस दिन हुआ वह इसलिये हुआ कि सप्लाई अफसर का जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि लोगों ने पंक्ति भंग की। उन्होंने डी० एम० को फोन किया। डी० एम० के आने पर जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने माफ़ी मांग ली। यह जरूर है कि जो लोग पंक्ति भंग कर रहे थे उनसे उन्होंने सख्ती से कहा कि लाइन में ठीक से खड़े हो जाइये।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या वहां सीमेंट या और दूसरी चीजों को लेने के लिये जो लाइन लगी थी उसे तोड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लाइन बनी हुई थी, उसे तोड़ा।

पुरकाजी में चीनी कोटे की बहाली

*१३—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में चीनी के रिटेलर की दूकान पर निरीक्षण के समय जितनी चीनी दूकान पर उस समय होनी चाहिये थी, उससे कम चीनी निकली? यदि हां, तो बनी कितनी कम निकली और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और इस रिटेलर का क्या नाम है तथा वह कहां का रहने वाला है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, श्री अचलसिंह निवासी पुरकाजी की फुटकर चीनी की दूकान पर निरीक्षण के समय चालीस किलोग्राम चीनी कम निकली। उस दूकान का कोटा तथा बिक्री तुरन्त रोक दी है। किन्तु जांच के पश्चात् कड़ी चेतावनी देकर दूकानदार का कोटा बहाल कर दिया गया।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

वह शख्स पुरकाजी का रहने वाला नहीं है, खेड़े चौगान, तहसील जानसठ का है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी जांच करा लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कम चीनी तौलने की शिकायत होने पर भी उनका कोटा बहाल क्यों किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कम तौलने में नहीं, जांच के वक्त चीनी कम मिली।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिये था ? तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में ऐसा न हो और उस दूकानदार के खिलाफ ज्यादा कड़ी कार्यवाही की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं तो चाहूंगा कि सख्त कार्यवाही की जाय, मैं उनको लिखूंगा भी, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि बहुत से साथी उन पर जोर डाल देते हैं।

ईंटों के भाव में अन्तर

*१४—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के प्रत्येक जिले के सदर मुकामों पर ईंटों का रेट कम है और जिले के सदर मुकाम को छोड़ कर अन्य स्थानों पर लगभग ६ रुपया प्रति हजार अधिक रेट है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

आमतौर पर सदर मुकामों पर ईंटों का रेट कम है। जिले के अन्य स्थानों पर रेट अधिक और भिन्न-भिन्न है। उसका मुख्य कारण यह है कि सदर मुकामों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में भट्टों तक कोयले की ढुलाई अधिक होती है।

*१५—श्री श्रीराम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ५ वर्षों से ईंटों के रेट जिला पूर्ति अधिकारी बिजनौर द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने बढ़ते रहे हैं और क्या इन ५ वर्षों में ईंटों का साइज भी बड़ा है अथवा छोटा हो गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ईंटों के रेट की सूचना संलग्न है। ईंटों का साइज न घटा है न बढ़ा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६२० पर)

श्री श्रीराम—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, रेलवे स्टेशन और जंकशन में ईंटों का रेट ज्यादा क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसका एक फारमूला है जिसमें कोल की प्राइस तथा ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगा कर डी० एम० अलग-अलग स्थानों के लिये अलग-अलग दाम मुकर्रर करते हैं।

श्री श्रीराम—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि देहाती क्षेत्र में ईंटों के रेट ज्यादा हैं लेकिन क्या जंकशन, टाउन एरिया, रेलवे स्टेशन और म्युनिसिपेलिटी ये देहाती क्षेत्रों में शामिल हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर वहां पर ट्रांसपोर्ट जार्जेज नहीं है और ईंटों का रेट ज्यादा है तो आप लिख कर दें दीजिये, पूछ लेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी शहर और देहाती क्षेत्रों में ईंटों के भाव में जो अन्तर है उसको मिटाने के लिये कोई ठोस व्यवस्था करने की सोच रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो ट्रांसपोर्ट चार्जेज पर डिपेंड करता है इसलिये सम्भव नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या जिलाधीश ईंटों का साइज भी निश्चित करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह तो नार्मल साइज है ९:६:३ इंच ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पहले कोयला नीअरेस्ट रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता था लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर उतारा जाता है इसलिये ट्रांसपोर्ट चार्जेज ज्यादा पड़ जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले कोयला अलग-अलग लोगों के नाम आता था लेकिन अब जो बिल्टी आती है वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम में आती है । यह कोल कंट्रोलर ने किसी वजह से ऐसा किया है ।

श्री श्रीराम—

क्या माननीय मंत्री जी पहली व्यवस्था ही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात गवर्नमेंट आफ इंडिया नहीं मानती है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोयले की ढुलाई देहात को होती है इसलिये वहां ईंट का दाम बढ़ जाता है लेकिन देहात में ईंट बनाने की मजदूरी सस्ती पड़ जाती है, इस विचार से देहात और शहर में बराबर दाम रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस सदन के माननीय सदस्य जिला खाद्य समिति के सदस्य हैं, बेहतर होगा कि उसमें इन चीजों का निर्णय करा लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में ईंटों का रेट ज्यादा से ज्यादा और कम से कम के रुपये हजार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

बिजनौर जिले के शहरी क्षेत्र में ईंट का रेट पहले दर्जे का ३२ रु०, दूसरे दर्जे का २६ ५० और तीसरे दर्जे का १७ रु० हजार है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही रेट है।

श्री श्रीराम—

पिछले पांच वर्षों में ईंटों के साइज भी छोटे हो गये हैं, इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इन सांचों को तोड़वाने या ईंट के रेट कम कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रश्न को जरा दोहरा दें, मैंने समझा नहीं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीराम जी का कहना है कि अब ईंटों के साइज कम कर दिये गये हैं, जैसा नार्मल साइज होना चाहिये वैसा नहीं है, तो या तो ईंटों का नार्मल साइज हो जाय, यदि वह नहीं हो पाता तो उनका रेट कम कर दिया जाय, क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नार्मल साइज जो उनका है वही चल रहा है। अगर साइज में कोई परिवर्तन हुआ है तो आप अपने यहां की डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइजरी समिति में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कह दें, अगर वे न मानें तब हमसे कहें।

डाक्टर हरकरनसिंह राना, स्टेट ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

*१६—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि श्री हरकरनसिंह राना, स्टेट ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ, दिनांक ७ मई, १९६३ को बिजनौर जिला अन्तर्गत झालू ग्राम में श्री इकबाल सिंह सीनियर ऐग्रीकलरचरल मार्केटिंग इन्स्पेक्टर के निवास स्थान पर एक शादी समारोह में उपस्थित थे और वहां २४ घंटे से अधिक रुके और अपने यात्रिक भत्ता बिल में इसका कोई जिक्र न करके देहरादून का यात्रा व्यय हाल्टेज चार्ज किया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठायेगी ?

श्री चरणसिंह—

डा० राना ने ७-५-६३ का आकस्मिक अवकाश ले लिया था। उस तारीख का दैनिक भत्ता और झालू ग्राम आने जाने का यात्रा भत्ता उन्होंने नहीं लिया है। इसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि स्टेट एग्रीकलचरल मार्केटिंग आफिसर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने विभागीय नियमों के विरुद्ध बगैर रोजगार दफ्तर से नाम मंगाये योग्यता और उम्र आदि का ख्याल न रखते हुये अपने अधीनस्थ विभाग में अनेक नियुक्तियां की हैं ? यदि नहीं, तो क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ से आज तक जितनी नियुक्तियां स्टेट ऐग्रीकलचरल मार्केटिंग आफिसर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने की है, उसमें कितने नाम रोजगार दफ्तर से मंगाये गये और कितने ओवरएज और अण्डर-एज नियुक्त किये हैं ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। प्रश्न का दूसर भाग नहीं उठता।

*१८—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि श्री हरकन सिंह राना, स्टेट ऐग्रीकलचर मार्केटिंग आफिसर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ नित्य अपने कार्यालय में सरकारी चपरासी द्वारा अपने घर और परिवार के पचासों कपड़े मंगवाकर शाम के समय उन पर लोहा करने में चपरासी से दो घंटे का अतिरिक्त काम लेते हैं और इस कार्य में सरकारी बिजली का मुफ्त इस्तेमाल करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ?

श्री चरणसिंह—

जांच कराने पर ऐसी कोई बात नहीं मालूम हो सकी।

जिल पूर्ति कार्यालय, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*१९—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको तथा जिलाधीश, आजमगढ़ को जनवरी, १९६३ में पूर्ति आफिसर, आजमगढ़ के कार्यालय से सरकारी सस्ते गले की दुकान का लाइसेंस तथा सीमेंट की परमिट और ईंट के भट्टे का स्थायी लाइसेंस देने के लिये रिश्वत लेने की शिकायत किसी विधान सभा के सदस्य ने की है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, श्री उमाशंकर, सदस्य विधान सभा का पत्र दि० १३-१-६३ जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६२१ पर)

*२०—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या यह सच है कि ३ जनवरी, १९६३ को आजमगढ़ जिले के महाराजगंज बाजार से हो कर ६० बोरी सीमेंट फैजाबाद जिले में गयीं, जिसकी सूचना ५ फरवरी, १९६३ को श्री उमाशंकर, एम० एल० ए० ने जिलाधीश को दी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसकी जांच पूर्ति विभाग के अतिरिक्त महराजगंज सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ने भी की है ? क्या दोनों अलग-अलग रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। जिलाधीश के पत्र से प्रतीत होता है कि पुलिस की रिपोर्ट अभी उनके पास नहीं आई है।

श्री इन्द्रासनसिंह—

सन् १९६३ में जो पत्र माननीय जिलाधीश को लिखा गया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ? माननीय उमाशंकर जी ने जनवरी, १९६३ को पत्र लिखा जिलाधीश को और उत्तर की प्रतिलिपि जो दी गई है उसमें है जनवरी, १९६४।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पत्र में ६३ ही है, प्रपिलिपि में ६४ कहां है ?

श्री उमाशंकर—

श्रीमन्, मैंने एक पत्र माननीय जिलाधीश को २३ जनवरी, १९६३ को लिखा जिसकी नकल सदन की मेज पर रखी गयी है और फिर ५ जनवरी, १९६३ को चिट्ठी लिखी जिसका जवाब है कि पुलिस जांच कर रही है। तो उनको कहने का मतलब यह है कि ५ फरवरी, १९६३ का भी पत्र रखना चाहिये।

अध्यक्ष—

नहीं, उनका यह मतलब नहीं है।

श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् ६३ की यह शिकायत है और अब फरवरी सन् ६४ है एक साल और एक महीना हो चुका है। तो यह जांच किस प्रकार कराई जा रही है और उसके समाप्त होने की कब तक सम्भावना है और क्या, इस ढ़िलाई से चोरबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले १९ के उत्तर में दिया है कि जिलाधीश को पत्र लिखा, जिलाधीश ने क्या किया इसके बारे में नहीं पूछा था और न उसका जवाब आया। २० की बात है वह पुलिस जांच कर रही है, वह अपने तरीके से करेगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उमाशंकर जी ने ५ फरवरी को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने क्या लिखा था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

५ फरवरी, ६३ का पत्र हमारे पास नहीं है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी माननीय रामसुन्दर पांडेय जी के उत्तर में बताया गया कि पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और पुलिस भी इसी सरकार की है जिसके कि वह मंत्री हैं तो क्या भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग के मामले में साल भर तक इन्क्वायरी ही पूरी न हो इससे क्या वह सन्तुष्ट हैं ? और यदि नहीं, तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं कि जल्दी हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की पुलिस भी है और हम भी उसी के मंत्री हैं। उन पर जोर दिया जा रहा है कि जल्दी कर दें। उनको बयानात लेने होते हैं उस में समय लगता है। इसलिय देर होती है।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब है कि उसको एक्सपीडाइट करा दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम खुद चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति विभाग ने इस सीमेंट की चोरबाजारी के सम्बन्ध में उनको क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश ने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि उन्होंने पुलिस की जांच की वजह से अपनी जांच बन्द कर दी, पुलिस को ही जांच का काम दे दिया गया है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

जब यह शिकायत माननीय सदस्य द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा हुई तो इन्क्वायरी की एजेंसी एक पुलिस और दूसरा मंत्री जी का विभाग था, तो क्या मंत्री जी के विभाग ने इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी कराई, कोई जांच पड़ताल की ? यदि नहीं, तो इस का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिले के स्तर पर जांच की, जिलाधीश ने यह उत्तर दिया है कि "That the matter has already been handed over to the police and no report has yet been recieved from the police."

वह कहते हैं कि मामला जानकारी के लिये पुलिस को दे दिया गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देंगे कि खाद्य आदि के विषय में जो इस प्रकार की शिकायतें आयें उनकी शीघ्रातिशीघ्र जांच कर के शिकायत करने वाले को उसका नतीजा बता दिया करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह लिखित और मौखिक भी हम रोज कह रहे हैं और जितना संभव हो पाता है वे कर रहे हैं ।

*२१-२२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—[२रे मंगलवार के लिये प्रश्न १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

स्वर्ण नियंत्रण कानून हटाने के लिये सत्याग्रह

*२३—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में प्रदेश के स्वर्णकारों का कोई सत्याग्रह चला है ? यदि हां, तो उक्त सत्याग्रहियों की मांग क्या थीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां ! सत्याग्रहियों की मांग थी कि स्वर्ण नियंत्रण कानून हटाया जाय ।

*२४—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वर्ण नियंत्रण कानून के लागू होने से प्रदेशीय सरकार ने वित्तीय पहलू पर क्या असर पड़ा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि भारतीय सरकार ने स्वर्णकारों के सम्बन्ध में कोई सरक्युलर प्रदेश की सरकार को भेजा है जिसमें पुनर्वास के लिये उनकी सहायता उल्लिखित हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ! मैं कह रहा हूं, आया है ! उसके अनुसार कार्य हो रहा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियंत्रण कानून लागू होने के बाद जितनी दूकानें दी गयी हैं, सीमेंट, और लोहे आदि की उनमें कितनी परसेंटेज दूकानें स्वर्णकारों को दी गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कै परसैंट स्वर्णकारों को दी जायं, इसका हिसाब तो नहीं लेकिन श्री लखपतराम जी के कहने पर झांसी में एक कोयले की दूकान हमने दी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वर्णकारों ने सत्याग्रह करके यह मांग भी की थी कि स्वर्ण नियंत्रण कानून हटाया जाय और उसके साथ उनकी रिहैलिबिटेशन की भी मांग थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिस समय उन्होंने सत्याग्रह किया था उस समय एक ही मांग थी बाद में २५ सौ मांग हो सकती हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जब यह सत्याग्रह चला तो उस समय क्या उन सत्याग्रहियों के साथ सरकार की ओर से कोई नेगोसियेशन हुआ या कोई मिमोरैंडम पेश किया गया ? क्या माननीय मंत्री जी पूरी स्थिति पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस प्रकार कोई नेगोसियेशन नहीं हुआ । उनमें से कुछ माफी मांग कर हट गये । थोड़े से रह गये । बाद में सत्याग्रह खत्म हो गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वर्णकारों ने पुनर्वास की व्यवस्था की भी मांग की थी और यदि की थी, तो उस पर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक पुनर्वास का प्रश्न है वह तो चाहे स्वर्णकार मांग करते या न करते ? यह प्रश्न तो सरकार के सामने पहले से ही है । इस वक्त स्कूलों और कालिजों में उनके बच्चों को रियायतें दे दी गयी हैं एक राज्य परामर्शदात्री कमेटी बन गयी है कि किस प्रकार से रिहैबीलिटेट करने का क्या काम दिया जा सकता है । उनको दुकानें आदि देने पर विचार किया जायगा । अभी बोर्ड बना है और उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि स्वर्णकार, के लड़कों को फीस और वजीफा दिया जाता है लेकिन उसके लिये किसी गजटेड अफसर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि यह स्वर्णकार का लड़का है जिसके मिलने में बहुत दिक्कत होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस काम को पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दिये जा चुके हैं।

बहजोई की कथित सीमेंट कमेटी तथा देहाती क्षेत्र में सीमेंट वितरण

*२५—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री लोकपालसिंह, श्री बेदराम (जिल एटा) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र, बहजोई, जिला मुरादाबाद में कोई कमेटी है, यदि हां, तो उसके कौन-कौन व्यक्ति सदस्य है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं ।

*२६—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री लोकपालसिंह, श्री बेदराम तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि देहाती क्षेत्र के लिये सीमेंट नियमानुसार केवल बी० डी०ओ० ही दे सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमेटी को भंग करके सीमेंट वितरण का सम्पूर्ण कार्य बी० डी० ओ० को ही सौंपने का कष्ट करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां ! जिन स्थानों में विकास खंड हैं वहां पर बी० डी० ओ० ही सीमेंट का वितरण करते हैं तथा अन्य देहाती क्षेत्रों में जहां पर अभी विकास खंडों की स्थापना नहीं हुई है तहसीलदार भी सीमेंट वितरण का कार्य करते हैं । अतः कोई कमेटी को भंग करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां पर एक कमेटी थी लेकिन उसको भंग कर दिया गया तो क्या इस प्रश्न के पश्चात् ही भंग कर दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर ऐसी बात होगी तो आपको संतोष हो गया होगा ।

नैहटोर में शकर की दूकानें तथा मुरादाबाद जिले को शकर का कोटा

*२७—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैहटोर, जिला बिजनौर में कितनी शक्कर की दूकानें हैं और क्या वहां की कोआपरेटिव सोसाइटीज की दूकानों के लिये दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां, तो वह क्यों नामंजूर की गयीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

नैहटौर जिला बिजनौर में इस समय फुटकर शक्कर की सात दुकानें हैं। कोआपरेटिव सोसायटी नैहटौर ने शक्कर का फुटकर विक्रेता नियुक्त किये जाने हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था ।

*२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में जब से चीनी का कंट्रोल हुआ है अब तक कितनी शक्कर देहात की दूकानों को दी गई और कितनी शहर की दूकानों को दी गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

देहातों में कुल ५९ दूकानें हैं, और १५-१२-६३ तक उनके लिये ७७८६.२४ क्वींटल शक्कर दी गयी। शहर में १५९ दूकानें हैं और १५-१२-६३ तक उनके लिये ३८,१६० क्वींटल शक्कर दी गयी है ।

*२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में हलवाइयों के स्पेशल कोटे में से कितने परमिट शहर के हलवाइयों के पास हैं और कितने देहात के हलवाइयों के पास हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

शहर के हलवाइयों के कुल ७७८ कार्ड हैं जिनपर १५-१२-६३ तक ५०९८.१६ क्वींटल शक्कर दी गयी। देहात के हलवाइयों के कार्डों की संख्या १२ है जिन पर १५-१२-६३ तक ४५-६० क्वींटल दी गयी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १८०० गांव मुरादाबाद जिले में हैं उनमें कुल ५९ दूकानें हैं और इस तरह से ३० गांव प्रत्येक दूकान पड़े और शहरी क्षेत्र को एक किलो पर यूनिट तथा देहाती क्षेत्र को आधा किलो पर यूनिट शकर दी जाती है तो देहाती क्षेत्र की इतनी अधिक जन-संख्या को देखते हुये वहां पर दूकानों की संख्या और शकर के कोटे को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक दूकानों को बढ़ाने का सवाल है प्रत्येक अदालती पंचायत पर एक दूकान होना चाहिये यह हमारे आदेश हैं लेकिन मुरादाबाद की फूड एडवायजरी कमटी ने २ अदालती पंचायतों पर एक दूकान रखी है। जहां तक आधे किलो की बात है अगर आधा किलो भी हम देहाती क्षेत्र को एश्योर कर दें तो ७० हजार टन चाहिये। यह मैंने उसी वक्त कह दिया था और तभी प्रस्ताव रखा था शहर में भी आधा किलो कर दें तब जा कर देहात में आधा किलो एश्योर हो सकता है वर्ना वहां एश्योर नहीं किया जा सकता है और इसलिये रोटेशन से मिलेगी क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है।

श्री रियासत हुसैन—

आधा किलो एश्योर करने की बात नहीं है। देहाती क्षेत्र में ७७८६.२४ क्विंटल शक्कर दी है और शहरी क्षेत्र को ३८१६० क्विन्टल। तो देहाती क्षेत्र को जो शक्कर आधे किलो के हिसाब से दी है वह शहरी क्षेत्र के मुकाबिले में १/७ पड़ती है और यह आधे किलो के बजाय चौथाई किलो पर यूनिट पड़ती है। इस सूरत को सामने रख कर क्या माननीय मंत्री देहात का कुछ कोटा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य ने बल्क कंज्यूमर को नहीं जोड़ा है। उनको निकाल देना पड़ता है तब जा कर देहात में भेजी जाती है जो बच जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री ने स्पष्ट आदेश दिये हैं जिलाधीश को कि हरएक अदालती पंचायत पर एक दूकान खोली जाय तो जिलाधीश, मुरादाबाद ने या एडवायजरी कमेटी ने क्यों इसका उल्लंघन किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम तो चाहते हैं और फिर लिखेंगे लेकिन अगर फिर भी वहां की एडवाइजरी कमेटी दो अदालती पंचायती पर एक दूकान खोलने को फिर भी कहती है तो उनके लिये एक्सेप्शन कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

हलवाइयों का जो शक्कर का कोटा सारे सूबे में उसके लिये क्या सरकार एक यूनिफार्म पालिसी मुकर्रर करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कुछ बड़े जिलों में २० से २५ और छोटे जिलों में १५ से २० परसेंट तक मुकर्रर है, तो यह यूनिफार्म पालिसी ही है ।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

कौन से कारण सरकार के सामने ऐसे आये हैं जिनसे देहात और शहर में फर्क किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चीनी की कमी के कारण ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

जब सरकार की यह पालिसी है और उसकी तरफ से जिलाधीशों को यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि हर न्याय पंचायत में एक दूकान खोली जाय तो जो जिलाधीश इस नियम का उल्लंघन करेंगे क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश तो नहीं उल्लंघन कर रहे हैं । यह तो फूड ऐडवाइजरी कमेटी, हमारे सदस्य-गण, हैं जो कर रहे हैं ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

आदेश ज्यादा जरूरी है या मश्विरा ज्यादा जरूरी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

महत्व मश्विरे को ज्यादा दिया जाता है ।

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

जो न्याय पंचायतों में शकर की दूकानें खोली गयी हैं उनमें सस्ता गल्ला नहीं मिलता है । पछआ हवा और पाला पड़ने के कारण सारी फसल नष्ट हो गयी है । तो क्या माननीय मंत्री जी उन दूकानों पर सस्ता गल्ला दिलाने का भी प्रबंध करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह आर्डर कर दिया गया है कि हर अदालती पंचायत की दूकान में चीनी, आटा और गेहूं, सब सामान मिले ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

यह पूछे जाने पर कि ग्रामीण और शहरी निवासियों में क्यों अन्तर रखा गया है मंत्रीजी ने कहा कि चीनी की कमी है, तो क्या मैं यह समझूं कि किसी वस्तु की जब कमी पड़ा करेगी तो गांव वालों की उपेक्षा हुआ करेग इस सरकार द्वारा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो इस हाउस में कहा था मगर इस हाउस वाले ही जो कि ऐडवाइजरी कमेटी में हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी ने ऐडवाइजरी कमेटी का नाम लिया । क्या वे कृपया बतायेंगे कि वे कब बनीं और कब भंग हो गयीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह फिर पूछियेगा। यहाँ प्रश्न केवल वितरण का है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह बता दें कि ऐडवाइजरी कमेटी काम कर रही हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं हैं तो बन जायेंगी। आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री बेदराम—

ग्रामीणों की दूकानें शहर वाले खोल कर बैठ जाते हैं और गांव वालों को पता भी नहीं चलता, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि देहातों में ही दूकानें खुलें ?

श्री अध्यक्ष—

कोई उदाहरण दे दीजिये।

श्री बेदराम—

मुझे नाम का थोड़े ही पता है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—

आपने उदाहरण के लिये कहा है, तो क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि मुरादनगर में सुल्तानपुर की दुकान खुली है और एक दूसरे गांव का दुकान मुरादनगर के एक बनिये को मिली हुई है, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस हल्के की दूकान हो उसी हल्के में खुले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वहीं खुलनी चाहिये।

श्री लखीसिंह—

मंत्री जी ने बताया कि चीनी की कमी की वजह से हमने शहर और देहात में असमानता की है। तो क्या मंत्री जी को ज्ञान है कि जो आधा किलो चीनी देहात को आपने दी है वह वहां अभी तक नहीं मिली ? मैं यह भी उनको बता दूं कि कोटमन अदालती क्षेत्र की दूकानें कोसी कलां में रखी गयी हैं और बड़े-बड़े कांग्रेसियों ने उन्हें ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

जो कलेक्टर ने मंत्री जी को यह लिखा कि मुरादाबाद में दो पंचायती अदालतों पर एक दूकान रखी जाय तो क्या मंत्री जी को कलेक्टर ने यह नोट भी लिखा है कि फूड ऐडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान का यह सजेशन इसलिये हुआ कि उन्होंने यह भी खयाल किया कि अगर एक पंचायती अदालत में दूकान खोली जायगी तो कोटा २० बोरी की जगह १० बोरी फी दूकान का कर दिया जायगा जिससे ब्लैक ज्यादा बढ़ेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कोई खुलासा कारण तो उन्होंने मेरे पास लिख कर नहीं भेजा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में १२ हलवाइयों के लिये लिखा है तो क्या उनको मालूम है कि हजारों दरख्वास्तें ग्रामीण क्षेत्र के हलवाइयों की डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के

यहां पड़ी हुई हैं और भेंट न देने के कारण वैसे ही पड़ी हुई हैं, इसलिये वे ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं उन्हें फौरन मंजूरी दे दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह आदेश अवश्य करेंगे कि १९५९–६० में जो कोटा होल्डर्स थे उनको जरूर दी जानी चाहिये और नये भी जितने शामिल कर सकें कर लें।

जसराना टाउन एरिया के सदस्यों का त्याग-पत्र

*३०—श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जसराना टाउन एरिया, जिला मैनपुरी, के ६ मेम्बरों ने कुछ माह पूर्व एक साथ इस्तीफा दिया था ? यदि हां, तो उनके इस्तीफे का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जी हां। इस्तीफे का कारण यह था कि इन सदस्यों को तश्खीस टैक्स की अपीलें तय करने के लिये जिलाधीश द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट के निर्णय पर संतोष न था।

*३१—श्री बलवीरसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या जिलाधीश ने उन ६ मेम्बरों का इस्तीफा मंजूर करने से पहले इस्तीफा देने के कारण की जांच की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। क्योंकि न तो यह वैधानिक ही था, न इसकी कोई आवश्यकता थी।

उत्तराखण्ड वन कर्मचारी संघ, तुलसीपुर, का पत्र

*३२—श्री सुख देवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १८ नवम्बर, १९६३ को माननीय मुख्य मंत्री, वन मंत्री, उत्तर प्रदेश चीफ कन्जरवेटर, उत्तर प्रदश, लखनऊ, कन्जरवेटर पूर्वी सर्किल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल एवं डी० एफ० ओ०, गोंडा को उत्तरी वन खंड कर्मचारी संघ के प्रधान द्वारा भेजा गया रजिस्ट्री किया हुआ पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उत्तरी वन खंड कर्मचारी संघ के प्रधान का तो नहीं, किन्तु उत्तराखंड वन कर्मचारी संघ, तुलसीपुर, गोंडा, के प्रधान का दिनांक १७–११–६३ का पत्र मुख्य मंत्री, मुख्य अरण्यपाल, अरण्यपाल पूर्वी वृत एवं उस अरण्यपाल उत्तरी गोंडा वन खंड, को प्राप्त हुआ था। इस पर मुख्य अरण्यपाल उत्तर प्रदेश, ने अरण्यपाल पूर्वी वृत, व उप अरण्यपाल, उत्तरी गोंडा वन खंड को यह आदेश दिया कि पुराने निकासी मुहर्रिरों तथा खूंट मुहर्रिरों की स्थिति को यथावत रक्खा जाय और उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके कार्य योग्यता व आचरण के अनुसार नियुक्त किया जाय।

*३३—श्री सुखदेवप्रसाद—

उक्त प्रश्न कितने कर्मचारियों से संबंधित हैं और वे उक्त विभाग में कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं और उनकी कितनी-कितनी जमानतें कब-कब जमा हुई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह प्रश्न कुल ३९३ निकासी मुहर्रिरों तथा खूंट मुहर्रिरों से संबंधित है जिनको पिछले ४ वर्षों में उत्तरी गोंडा वन खंड में कार्य दिया गया । चूंकि इनकी नौकरी का कार्यकाल वर्ष में लगभग एक मांह से आठ माह तक होता है इसलिये इनकी कुल नौकरी के समय का कोई ब्योरा नहीं है । इन कर्मचारियों ने अब तक ११,०५३ रु० ५० न०पै० की धनराशि जमानत के रूप में जमा की है जिसके जमा करने का समय प्रत्येक कर्मचारी का अलग-अलग है । प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अब तक जमा की गई जमानत के ब्योरे की† सूची संलग्न है ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वन विभाग का यह कार्य-क्रम कब से प्रारम्भ होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

वन विभाग का साल काम करने का अक्टूबर से प्रारम्भ होता है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न संख्या ३२ में उन्होंने बताया है कि निकासी मुहर्रिरों को यथावत् रखा जाय और प्रश्न ३३ में लिखा है कि उनकी नौकरी का कार्यकाल एक मास से ८ मास का होता है, इसलिए नौकरी का ब्योरा नहीं है ? यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, इसका मंत्री जी के पास क्या उत्तर है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्रीमन्, माननीय सपस्य को गलतफहमी है । जिनको यथावत लिखा गया है, वह पहले से भी काम करते रहे हैं और जब उनका चुनाव हुआ तो उसमें भी अधिकांशतः वही लोग लिये गये हैं, इसलिये यह कहा गया है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, जो यह सूची दी गई है, इसको अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि निकासी मुहर्रिरों की जमानत की जो सूची है उसमें २३ आदमियों की संख्या है । लेकिन १५ आदमियों की ही जमानत ली गई है और अगले पृष्ठ पर ६१-६२ में जिनकी नियुक्ति की गई उनकी संख्या १० है और ५ की ही जमानत ली गई है । अब प्रश्न यह है कि ६०-६१ और ६१-६२ में १० लोग ही काम पर लगे और पहली सूची में है कि ६०-६१, ६१-६२, ६२-६३, ६३-६४ में उन्होंने काम किया । लेकिन अगर इस पर विचार करें तो जो २३ की संख्या है और जो उधर १० की संख्या है उनका नाम पहली सूची में नहीं आया, तो जो लोग १९६०-६१, १९६१-६२ में काम करते थे पहली सूची में नाम क्यों नहीं आया और कुछ लोगों की जमानत ली, कुछ की नहीं ली, इसके क्या कारण हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह था कि सब की सूची एक साथ होती । किसी ने एक साल काम किया, किसी ने दो साल काम किया, किसी ने तीन साल और किसी ने चार साल, उसी क्रम से उनकी सूची बनी हुई है । आपका कहना यह है कि उनकी जमानत नहीं ली । जमानत तो जितने नियुक्त किये जाते हैं सभी को आदेश होता है । वह अपने ढंग से जमा करते रहते हैं । हो सकता है कि किसी का नाम रह गया हो, दाखिल करने से ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

कोपागंज विकास खण्ड में सीमेंट वितरण

*३४—श्री छांगुर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड कोपागंज, जिला आजमगढ़, को जनवरी, १९६२ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक कितनी बोरी सीमेंट वितरण हेतु दी गईं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३५—श्री छांगुर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विकास खंड को प्राप्त सीमेंट का वितरण किस आधार पर किया गया ? क्या वितरण सूची की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री छांगुर—

श्रीमन्, दो प्रश्न पूछे गये हैं । दोनों में कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इससे प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं होता है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आज तक उसकी सूचना नहीं आ सकी इसका कोई विशेष कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

१५ दिन में आ जायेगी ।

फतेहपुर मंडाव क्षेत्र में सीमेंट वितरण

*३६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिला के फतेहपुर मंडाव (मधुवन) विकास क्षेत्र में जून सन् १९६३ से ३० नवम्बर, १९६३ तक कितना सीमेंट बांटने के लिये प्रत्येक मास कोटा के रूप में दिया गया ? किस-किस गांव में कितनी-कितनी बार किस-किस काम के लिये परमिट दिया गया और क्या जिस काम के लिये परमिट दी गई वह काम क्या हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

फतेहपुर मंडाव (मधुबन) विकास क्षेत्र में जून सन् १९६३ से ३० नवम्बर, १९६३ तक प्रत्येक मास में निम्नलिखित कोटा दिया गया:—

जून	१९६३	४०५ बोरी
जुलाई	,,	३०० ,,
अगस्त	,,	१३० ,,
सितम्बर	,,	३०० ,,
अक्तूबर	,,	१४० ,,
नवम्बर	,,	१५० ,,
	योग ..	१,४२५ बोरी

उपरोक्त सीमेंट जिला क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा जिसको, जिन गांवों में, जिस-जिस काम के लिये जो सीमेंट दिया गया उसकी सूचना संलग्न है । जिस कार्य के लिये सीमेंट दी गई उसमें से कुछ कार्य पूर्ण हो चुके और कुछ सीमेंट की कमी के कारण अपूर्ण हैं ।

गुड़ तथा खांडसारी का अवैध निर्यात

*३७—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुड़ तथा खांड वगैरह की निकासी प्रांत से बन्द करने के बाद सहारनपुर जिले से पंजाब को १,००० रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से तथा आगरा जिले से राजस्थान को जो निकासी बढ़ रही है, उसे रोकने का क्या उपाय हो रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, किन्तु गुड़-खांडसारी इत्यादि के अवैधानिक निर्यात को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही सरकार द्वारा की जा चुकी है ।

सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़

*३८—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय अलीगढ़ सेंट्रल डेयरी फार्म में किस-किस किस्म के जानवर हैं और उन पर सरकार का क्या खर्च होता है ? और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यहां पर जो जमीन है उसको कौन जोतते हैं और उससे सरकार को कितना लाभ होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

१—इस समय सेंट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ में निम्न प्रकार के जानवर हैं—

(अ) मुर्रा पड्डे
(ब) हरियाना बछड़े
(स) आस्ट्रेलियन सूकर
(द) रूसी सूकर
(ल) देशी सूकर
(प) खेती के बैल

२—सन् १९६२-६३ में कुल २,४४,३०९ रु० व्यय हुये ।

३—केवल सेंट्रल डेरी फार्म ।

४—अब तक खेती की गई जमीन से कोई लाभ नहीं हुआ । हानि निम्नलिखित कारणों से हुई ।

१—खेती वाली जमीन केवल १३१ एकड़ ही थी जबकि ऊसर जमीन १८० एकड़ है । ऊसर जमीन खेती के योग्य बनाने के लिये तोड़ी जा रही है । अब तक ४० एकड़ तोड़ी जा चुकी है ।

२—प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदावार में कमी ।

३—पुरानी इमारतों तथा मशीनों में ह्रास (डिप्रीसियेशन) तथा ब्याज देने से लाभ-हानि के लेखे पर विपरीत प्रभाव ।

४—उत्तम किस्म के धान का बीज जो पहले कृषि विभाग खेतिहारों को वितरण हेतु लेता था उसे १९६२-६३ में नहीं लिया । धान को खुले बाजार बेंचना पड़ा । इससे प्रीमियम की हानि तथा गोदाम में रखने एवं सूख जाने के कारण हानि उठानी पड़ी ।

दुगड्डा—रत्वाढ़ाव सड़क को बारामासी बनाने की प्रार्थना

*३९—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गढ़वाल में दुगड्डा रत्वाढाव सड़क बसों के लिये किन-किन महीनों में खुली रहती है और सन् १९६१-६२ में कितने दिन तक उस पर बसें चलने पायीं ?

श्री चरणसिंह—

दुगड्डा से रत्वाढाव जाने वाली सड़क हर साल नवम्बर के शुरू से जून के अन्त तक तथा कभी-कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बसों के लिये खुली रहती है । १९६१-६२ में इस सड़क पर शुरू नवम्बर १९६१ से जून, १९६२ के अन्त तक बसें चलीं ।

*४०—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या सरकार उस सड़क को बारहमास चालू रखने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या उसे बारह माह चालू रखने के लिये काम जारी हो गया है ?

श्री चरणसिंह—

इस सड़क को बारहमासी बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, परन्तु अभी काम जारी नहीं हुआ है ।

*४१—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या सरकार का इरादा है कि उक्त सड़क जंगलात विभाग द्वारा रत्वाढ़ाव से खगरासी व दुर्गा देवी होती हुई रामनगर धुमाकोट सड़क पर मिला दी जाय ? यदि हां, तो क्या उसे खगरासी से दुर्गा देवी तक ले जाने का काम जारी हो गया है ?

श्री चरणसिंह—

जंगलात विभाग की सड़क पहले से ही है जो रत्वाढाव से खगरासी व दुर्गा देवी होती हुई रामनगर धुमाकोट सड़क से दुर्गा देवी पर मिलती है । यह सड़क केवल जाड़े तथा गरमी के मौसम में ही प्रयोग की जाती है । इस पर काम जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४२-४३—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

घाटमपुर सिहारी को टाउन एरिया बनाना

*४४—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा घाटमपुर सिहारी, जिला कानपुर, की जनता की ओर से टाउन एरिया बनाने की सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

जिलाधीश, कानपुर, आयुक्त, इलाहाबाद मंडल एवं निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश की संस्तुतियां मिल जाने पर शासन उचित कार्यवाही करेगा ।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कासिमाबाद के गोदाम का गल्ला पकड़ा जाना

*४५—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत कासिमाबाद पशु अस्पताल से ८ दिसम्बर, १९६३ को रात्रि में चार बोरी गल्ला ठेला गाड़ी से ले जाते समय अस्पताल के कुछ कार्मचारियों ने पकड़ा ? यदि हां, तो अब तक गल्ला चुराने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पशु चिकित्सालय कासिमाबाद के सर्वश्री हरी राम, रामकिसुन राम तथा लोचन राम ने एक खड़खड़ा पर लदे हुये चार बोरे कासिमाबाद बस स्टेशन के पास पकड़े जो पशु चिकित्सालय से लगभग ४ फर्लांग दूर है। यह घटना ७ दिसम्बर, १९६३ ई० की रात्रि की है। उपर्युक्त कर्मचारियों ने थाना कासिमाबाद में एक रिपोर्ट इस आशय की लिखाई कि उपरोक्त गल्ला कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कासिमाबाद का है जो वहां के गोदाम से निकलवा कर सर्व-श्री अब्दुल अजीज कम्पाउन्डर तथा रऊफ पोर्टर की मार्फत बेचने के लिये भेजा जा रहा था। स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी किन्तु जैसा कि समाचार पत्रों से विदित हुआ क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पर पक्षपात एवं अकर्मठता का आरोप लगाया। तत्पश्चात् जिलाधीश ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। अभी उनकी जांच समाप्त नहीं हुई है। जांच की कार्यवाही समाप्त होने पर ही चोरी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री रघुवीर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो गल्ले की चोरी की थाने में रिपोर्ट लिखी गई उस रिपोर्ट की जांच नायब दरोगा कर रहे थे और जब मवेशी डाक्टर के उस रिपोर्ट में फंसने की उम्मीद हो गई तो बड़े थानेदार ने नायब थानेदार के हाथ से इंक्वायरी को छीनकर खुद इंक्वायरी करना शुरू किया और तमाम गवाहान को डांट-डांट कर भगाना शुरू किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई सूचना नहीं है जो कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैंने जवाब दे दिया था कि न्यायिक जांच हो रही है। उसका नतीजा अभी मालूम नहीं हुआ है।

श्री रघुवीर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ तारीख को जब १२ बजे रात को गल्ला पकड़ा गया और थाने से चार फर्लांग दूरी पर पकड़ा गया, ठीक उसके दूसरे दिन गोदाम से दो बोरा गल्ला थाने के पीछे से जा रहा था और उन्हीं कर्मचारियों ने इसे भी पकड़ा और फिर थाने में रिपोर्ट किया और डाक्टर के फंसने की उम्मीद देखकर थानेदार ने फिर भगा दिया...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि न्यायिक जांच हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में अधिक सवाल जवाब नहीं होना चाहिये।

श्री भीखालाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में दिखाया गया है कि पुलिस की कुछ इस प्रकार की शिकायत आयी कि पुलिस पक्षपात कर रही है तो वह कौन से सज्जन हैं जिनका पक्षपात पुलिस कर रही थी और किस तरह से पक्षपात कर रही थी ? उनका एक ही पक्षपात हो सकता है कि वह डाक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो उत्तर में ही बता दिया गया है कि वहां के समाचार-पत्रों में इस प्रकार के समाचार निकले कि वहां पुलिस पक्षपात कर रही है तो जिलाधीश ने जब यह समझा कि इस बात पर पब्लिक खिलाफ हो रही है तो उन्होंने न्यायिक जांच बैठा दी।

श्री अध्यक्ष—

न्यायिक जांच से क्या मतलब है, बता दीजिये।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या वहां के उन पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया जो कि दोषी पाये गये सही जांच न करने के ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सूचना नहीं है।

*४६-४८—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये]

*४९-५०—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

नवाबगंज नगरपालिका

*५१—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवाबगंज नगरपालिका ने २९ अगस्त, १९६३ को नवाबगंज शुगर मिल क्षेत्र को नगरपालिका की सीमा में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

जिलाधीश गोंडा के माध्यम से अभी प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधीश गोंडा प्रस्ताव के सिलसिले में जांच करा रहे हैं।

बुलन्दशहर जिले को सीमेंट एवं टीन

*५२—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में गतबाढ़ के द्वारा पहुंची क्षति को देखते हुये सीमेंट के कोटे तथा टीन की चदरों को भेजने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितना वैगन सीमेंट और कितने टन टीन की चादरें भेजी गयीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। ७० वैगन सीमेन्ट तथा ७५ मी० टन टीन की चादरें दी गईं।

*५३-५४—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)—

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

सेंट्रल जेल, फतेहगढ़ से सामान की चोरी

*५५--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल जेल फतेहगढ़ से चोरी से निकाला गया बहुत-सा सामान फर्रुखाबाद में बिकते हुये या बाहर जाते समय १ अक्तूबर, १९६३ से १५ दिसम्बर, १९६३ के बीच पकड़ा गया ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

१२-१३ नवम्बर, १९६३ की रात्रि को यह शिकायत मिलने पर कि फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल से कपड़े व सूत की गांठें चोरी से निकाली गई हैं, पुलिस ने छापा मार कर एक ट्रक पर लदा हुआ माल पकड़ लिया। कथित चोरी के माल के मालिक श्री मेवा लाल द्वारा अदालत में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अदालत के आदेशानुसार माल उसे वापस दे दिया गया। आगे क्या कार्यवाही की जाय, यह विचाराधीन है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माल जो मेवा लाल को वापस करना बताया जाता है उसके पहले क्या इस सिलसिले में पूरी जानकारी कर ली गई थी, इंक्वायरी करा ली गई थी, कि वह माल चोरी का नहीं है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है उसके अनुसार अदालती कार्यवाही भी की जा रही है और जांच भी सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेवा लाल ने क्या प्रार्थना-पत्र दिया था आदलत में जिसके आधार पर माल वापस किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसकी तो सूचना इस समय नहीं है। लेकिन कानूनी दृष्टि से माल वापस देना जरूरी समझा गया और दे दिया गया।

*५६-५७--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

जहांगीराबाद नगरपालिका

*५९--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जंहगीराबाद म्युनिसिपल बोर्ड (जिला बुलन्दशहर) के १५ सदस्यों में से ९ सदस्यों ने सरकार को यह शिकायती-पत्र मई, जून, १९६३ में भेजा है कि ३० अप्रैल, सन् १९६३ को जो म्युनिसिपल बोर्ड की मीटिंग सीनियर वाइस चेयरमैन चुनने के लिये हुई थी केवल फर्जी थी और उनको इस मीटिंग की कोई सूचना नहीं थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां।

*६०—श्री मुम्मताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने इस विषय में कोई छानबीन की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस विषय में आयुक्त मेरठ खंड से एक आख्या मांगी गयी थी, जो शासन को प्राप्त हो गयी है । इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगी कि ९ सदस्यों ने जो जहांगीराबाद म्युनिसिपैलिटी की बाबत मई और जून में यह शिकायत की थी कि हम लोगों को उस मीटिंग की इत्तला नहीं हुई जिसमें वाइस चैयरमैन का चुनाव हुआ था वह फर्जी था तो मई और जून से अभी तक आखिर कोई निर्णय सरकार ने क्यों नहीं किया और सहीतौर पर जांच क्यों नहीं करायी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब कोई शिकायत शासन के पास पहुंचती है तो शासन उसको सूचना के लिये जिलाधीश के पास भेजते हैं । जिलाधीश आयुक्त के माध्यम से रिपोर्ट भेजते हैं तो उसमें काफी विलम्ब हो जाता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्रीजी यह बतलायेंगी कि क्या यह उनको ज्ञात है कि यह जो फर्जी कार्यवाही हुई और इतने अरसे तक जो वाइस चैयरमैन ने चैयरमैन का कार्य किया तो इस दौरान में जितना म्युनिसिपैलिटी का काम हुआ वह नाजायज हुआ या नहीं, इस पर कब तक आखिरी निर्णय किया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिलाधीश की रिपार्ट आ जायगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही कोई ऐसा निर्णय किया जा सकता है कि कौन-सी कार्यवाही जायज है और कौन-सी नाजायज है ।

ऊंचागांव विकास खण्ड में किसानों को पौधे की सप्लाई

*६१—श्री मुम्मताज मुहम्मद खां—

क्या कृषि मंत्री २३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे गर्मियों में जब आड़ू के पौधों का फल आ रहा होगा इस बात की तहकीकात करायेंगे कि किस किस्म का फल आ रहा है ? यदि वह पौधे शर्बती आड़ू के बजाय बीजू आड़ू के ही निकले तो वह इन कृषकों के नुकसान की पूर्ति किस प्रकार से करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जांच करने के लिये कृषि निदेशक ने निदेशक, उद्यान अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर तथा जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर, को उचित आदेश दे दिये हैं । कृषकों के नुकसान की पूर्ति के बारे में निर्णय जांच के पश्चात् ही किया जा सकता है ।

गाजीपुर जिले से चावल का अवैध व्यापार

*६२—श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर से ट्रेन, ट्रक तथा नौका द्वारा १९६२ से १९६३ तक बिहार व बंगाल प्रदेश को कितना चावल जाते समय पकड़ा गया है और उन व्यक्तियों पर जो चावल ले जा रहे थे केस चलाया गया या नहीं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६० के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला गाजीपुर से १९६२ से १९६३ तक ९९१ मन चावल बिहार व बंगाल प्रदेश को जाते समय पकड़ा गया और उन सभी व्यक्तियों पर जो चावल ले जा रहे थे मुकदमा चलाया गया ।

कानपुर में रविदास मन्दिर

*६३—श्री मन्नालाल (जिला सीरी) तथा श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर में टाउन परमिट स्थित उद्यान में स्थापित महात्मा रविदास के मन्दिर को महापालिका कानपुर द्वारा गिरा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, क्योंकि मन्दिर का निर्माण महापालिका के पार्क में अनधिकृत कब्जा करके बिना महापालिका की अनुज्ञा के किया जा रहा था ।

*६४—श्री मन्नालाल तथा श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार उक्त मन्दिर के गिराने से धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, उस क्षति की पूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अनधिकृत निर्माण को किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने हेतु नहीं बल्कि इस कारण हटाया गया कि जिस पार्क में मंदिर बनाया जा रहा था वह बहुत छोटा है और उसमें मंदिर बन जाने से जनता को कष्ट होने का भय था । शासन इस संबंध में कोई हस्तक्षेप करने में असमर्थ है क्योंकि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत महापालिका को ऐसे अनधिकृत निर्माण गिराने का अधिकार प्राप्त है ।

गोरखपुर नगरपालिका में नजूल भूमि

*६५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १६ नवम्बर, सन् १९६२ और १६ नवम्बर, सन् १९६३ के बीच में गोरखपुर नगरपालिका के अन्दर सरकारी भूमि किन-किन व्यक्तियों को और किस-किस रेट पर तथा किस-किस काम के लिये दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस अवधि में केवल ६१ डिसमिल भूमि महिला परिषद् को ७ रुपया ५५ नये पैसे वार्षिक किराये पर परिषद् भवन बनाने के लिये दी गई है ।

*६६—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो भूमि सरकार को दी गई है वह कितनी-कितनी और कितने दामों पर दी गई तथा इस प्रकार भूमि बांटने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वांछित सूचना प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर में उपलब्ध है । नजूल भूमि को नजूल नियमों के अनुसार पट्टे पर उठाने की नीति है ।

झांसी में लक्ष्मीताल

*६ ७—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में रानी लक्ष्मी बाई के समय के विशाल लक्ष्मीताल में वर्षों से जलमुखी फैली है, जिसके कारण पानी

दूषित तथा उसमें करोड़ों की संख्या में फाइलेरिया व मलेरिया इत्यादि के कीटाणु फैल गये हैं, जिसके कारण जनता को महान कष्ट है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा जलमुखी तालाब से निकलवाने का क्या प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लक्ष्मीताल में वर्षों से जलमुखी फैली है ।

स्थानीय नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी का कथन है कि जलमुखी जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से समस्या नहीं है । मलेरिया और फायलेरिया विशेष प्रकार के मच्छरों से फैलती हैं । एन्टी मलेरिया योजना लागू होने के कारण मलेरिया फैलने का कोई भय नहीं है । इसके विपरीत जलमुखी तालाब में मच्छरों के उत्पादन को रोकती है तथा उसका फायलेरिया के मच्छरों के उत्पादन से कोई संबंध नहीं है । नगरपालिका झांसी प्लान्ट प्रोटेक्शन अधिकारी झांसी के परामर्श से उक्त ताल की जलमुखी को रासायनिक पदार्थ द्वारा नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील है ।

झांसी नगरपालिका के निलम्बित अध्यक्ष, श्री उदैनिया

*६८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका के निलम्बित अध्यक्ष के विरुद्ध व उनकी मुअत्तली से संबंधित क्या-क्या आरोप थे जिन पर कि उन्हें मुअत्तल किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्री उदैनिया के विरुद्ध यह आरोप थे कि उन्होंने ट्रांजिट पास रूल्स (Transit pass Rules) की अवहेलना की तथा नगरपालिका के चुंगी अधीक्षक से मिल कर झांसी से ट्रकों के पास होने में नाजायज सुविधा देने के लिये रिश्वत ली । इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार के दोषी रहे ।

*६९—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि निलम्बित अध्यक्ष ने सरकार से मुअत्तली के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट मे बहाली के लिये रिट दायर की है? यदि हां, तो कितने बार रिटें दायर की गईं व रिट नम्बर १५०० में माननीय जस्टिस द्विवेदी द्वारा सरकार के पक्ष में क्या-क्या निर्णय दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । श्री उदैनिया ने अपने मुअत्तली के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दो बार रिट दायर की । १९६३ के रिट्स सं० १५०० के जजमेंट में माननीय जस्टिस द्विवेदी ने सरकार के पक्ष में निम्नलिखित निर्णय दिया था :

(१) शासन द्वारा श्री उदैनिया को जो चार्जशीट दिया गया है उसमें यह आरोप अभिप्रेत (implied) है कि श्री उदैनिया ने चुंगी अधीक्षक के विरुद्ध रिश्वत मांगने की, की गई शिकायत पर और उस शिकायत की जांच करने से decline किया । यह साबित करता है कि श्री उदैनिया अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार के दोषी रहे ।

(२) शासन द्वारा श्री उदैनिया के विरुद्ध जो चार्ज लगाया गया है वह अस्पष्ट (vague) तथा अनिश्चित (indefinite) नहीं है ।

(३) याची (Petitioner) यह साबित नहीं कर पाया है कि उसके विरुद्ध लगाया गया चार्ज यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४८ (२) (बी) (६) के अंतर्गत नहीं आता है ।

*७०—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—

[हटा दिया गया ।]

*७१—श्री कल्पनाथ सिंह, श्री कैलाश—

[हटा दिया गया ।]

कृषि अधिकारी, बरेली, द्वारा नियुक्तियां

*७२—श्री रामेश्वरनाथ—

क्या सरकार को सूचना है कि पिछले साढ़े चार साल में कृषि अधिकारी, बरेली, ने सोलह व्यक्तियों की रोजगार के दफ्तर को सूचित किये बगैर नियुक्ति की है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—

उक्त अवधि में कुल १८ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई हैं जिनके नाम रोजगार के दफ्तर से प्राप्त नहीं हुये थे । इनमें से ६ पदों के लिये रोजगार के दफ्तर से नाम मंगाये गये, परन्तु वे उपयुक्त नहीं पाये गये । शेष १२ पदों के लिये रोजगार के दफ्तर को नियमानुसार सूचित करना आवश्यक नहीं था ।

*७३—श्री रामेश्वरनाथ—

क्या कृषि अधिकारी बरेली ने पिछले साढ़े चार वर्षों में जो नियुक्तियां कीं, उनके संबंध में कोई सर्टिफिकेट रोजगार के दफ्तर से प्राप्त किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, कुल ३३ नियुक्तियों में से १८ के संबंध में सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया गया था, क्योंकि नियुक्तियां नियमानुसार की गई थीं और उनके संबंध में ऐसे सार्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी ।

बिसौली टाउन एरिया अध्यक्ष की गिरफ्तारी

*७४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि बदायूं जिले की बिसौली की टाउन एरिया के अध्यक्ष को तथा कुछ अन्य लोगों को गलत तरीके से सीमेंट लेने और गलत तरीके से सीमेंट बेंचने के अपराध में अगस्त सन् १९६३ में गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में अब क्या हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, मामले की जांच पुलिस द्वारा पूर्ण हो चुकी है और मामला पुलिस द्वारा अदालत में भेजा जा रहा है ।

*७५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[२रे सोमवार के लिए स्थगित किया गया ।]

नगरमहापालिकाओं का चुनाव

७६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरमहापालिकाओं के आम चुनाव कब होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रदेश में नगर महापालिकाओं का आम चुनाव उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम १९५९ की धारा ८ के अधीन साधारणतया १ फरवरी, १९६५ के पूर्व होना चाहिए । चुनाव की वास्तविक तिथि शासन के विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

हायर सेकेन्डरी स्कूल, करखिया के भट्ठे का लाइसेन्स

१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल, करखिया की ईंट के भट्ठे का लाइसेंस किस सन् में दिया गया और वह किस सन् में और क्यों कैंसिल किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सन् १९५७ में । यह लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया ।

२—श्री उमाशंकर—

क्या यह सत्य है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों ने किसी व्यक्ति विशेष से बिना लाइसेंस के भट्ठा चलवाया, जिसका प्रमाण हा० से० स्कूल, करखिया का तत्कालीन हिसाब रजिस्टर है, जिसमें उक्त भट्ठे से ईंटें खरीदने का भुगतान किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लाइसेंस कैंसिल तो नहीं हुआ जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया है । इसलिये शेष प्रश्न नहीं उठता ।

३—श्री उमाशंकर—

यदि उक्त बातें सत्य हैं तो क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बिना लाइसेंस के भट्ठा चलाने से बिक्री-कर आदि को मिलाकर सरकार को कितने रुपये की क्षति उठानी पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

क्षति का प्रश्न नहीं उठता । बकाया रुपये की वसूली के संबंध में बिक्री-कर अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं ।

डनलप टायर के दाम

४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार को मालूम है कि बेट्स डनलप टायर की खरीद का दाम ४.१४ रुपये है और सेल्स टैक्स २८ नये पैसे जोड़ने से उसकी बिक्री की कीमत ४.४२ रुपये होती है ? यदि हां, तो उसकी बिक्री ७.४७ में क्यों की जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जांच से पता चला कि डनलप टायर के फुटकर विक्रेता यदि कम्पनी से सीधा स्टाक प्राप्त करते हैं तो उनको टायर ४.१४ नये पैसे में मिलता है परन्तु विक्रेताओं को टायरों के साथ अन्य वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं जो बाजार में कम मूल्य पर बिकती हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए टायर अधिक मूल्य पर बिकते हैं यदि फुटकर विक्रेता दूसरे शहरों की थोक मंडियों से टायर प्राप्त करते हैं तो उन्हें ७.०० रुपये प्रति टायर देना पड़ता है। इस कारण बिक्रेता ७.०० रुपये से अधिक दाम पर टायर बेंचते हैं।

५—श्री मतोल.सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि सप्लाई दफ्तर बांदा में बेंचने की लिस्ट में ७.४७ रुपय लिखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सप्लाई दफ्तर बांदा में साइकिल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन बांदा द्वारा प्रेषित लिस्ट में प्रश्नगत टायरों का बाजार भाव ७ .४५ रुपये लिखा है।

६—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार ऐसी मंहगाई को रोकने का कोई कड़ा कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

साइकिल के टायरों और कुछ अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य के नियंत्रण हेतु सरकार ने उचित मूल्य ग्रहण आदेश, १९६३ जारी किया है।

फर्रुखाबाद जिले में सीमेंट की कमी

७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ व ताल ग्राम विकास क्षेत्र में कितनी ऐसी सार्वजनिक कार्य की इमारतें या दूसरे कार्य हैं, जो बिना सीमेंट के नहीं बन पा रहे हैं, और इन दोनों विकास क्षेत्रों में कितने दिनों से सीमेंट की कमी चली आ रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ तथा तालग्राम विकास क्षेत्रों में क्रमशः ४०० तथा ४१ सार्वजनिक कार्य एवं अन्य कार्यों की इमारतें सीमेंट के अभाव से नहीं बन पा रही हैं तथा इन क्षेत्रों में सीमेंट की कमी मांग को देखते हुए काफी दिनों से चल रही है।

८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

छिबरामऊ व तालग्राम विकास क्षेत्र में १ जनवरी, १९६२ से अब तक कितनी-कितनी बोरी सीमेंट आई और उसमें कितनी बोरी सार्वजनिक कार्य के लिये और कितनी बोरी निजी कार्य के लिये दोनों विकास क्षेत्र में अलग-अलग दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है ।

नाम विकास क्षेत्र	सीमेंट जो १ जनवरी, ६२ से ३० नवम्बर, ६३ तक आई	निजी कार्यों के लिये दी गई	सार्वजनिक कार्यों के लिये दी गई
	बोरी	बोरी	बोरी
छिबरामऊ ..	३,५५३	२,३९४	४,१५९
तालग्राम ..	७,३०५	२,८८८	४,४१७

दहगवां में सीमेंट, लोहे की दूकान न होना

९—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं ब्लाक दहगवां में सीमेंट, लोहा की दूकान खोलने का सरकार विचार कर रही है, जब कि वहां कोई दूकान नहीं है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, सीमेंट स्टाकिस्टों की नियुक्ति सीमेंट कम्पनियों के सेलिंग एजेन्ट्स द्वारा होती है । इसके अतिरिक्त वहां पर सीमेंट की दूकान की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई क्योंकि सहसवान तथा बबराला में सीमेंट की दूकान है जो कि ब्लाक दहगवां से दूर नहीं है ।

लोहे की दूकान खोलने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दहगवां एक छोटा-सा गांव है और लोहे की दूकान वहां खोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

अतरौली में चीनी की दूकान

१०—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री मुल्तानसिंह (जिला आगरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़, तहसील अतरौली, में कितनी चीनी की दूकान ऐसी खोली गई हैं जो सेन्टर पंचायत में न खोलकर तहसील हेड क्वार्टर पर खोली गई हैं ? इसका क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

एक भी नहीं ।

११—श्री बाबूसिंह तथा श्री मुल्तानसिंह—

ऐसी कितने दूकानें हैं जो सेन्टर पंचायत के बाहर के दूकानदारों को दी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पांच दूकानें । कारण यह है कि उक्त सेन्टर पंचायतों से चीनी विक्रेता बनने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

राज्य को लोहा व इस्पात का कोटा

१२—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पहली अप्रैल सन् १९४८ ई० से ३१ मार्च, सन् १९६३ ई० तक प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को माइल्ड स्टील और पिग आइरन का कोटा केन्द्रीय सरकार से कितना-कितना टन प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सन् १९५४–५५ के पूर्व के लोहे तथा इस्पात की आंकड़े और १९५९ के पूर्व की पिग आयरन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों का विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६२२ पर)

१३—कुंवर तेजभानसिंह—

उक्त प्रकार के लोहों के वितरण का कोई नियम शासन ने बनाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं बनाया, तो वितरण विधि क्या है और उक्त प्रकार के लोहे के वितरण के अधिकारी कौन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। वित्तीय वर्ष के उपलब्ध लोहे तथा इस्पात के कोटे को अनेकों सरकारी विभागों, उद्योग और जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुये बांटा जाता है। इस प्रकार निर्धारित कोटे को प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक निम्नलिखित पोषक (Sponsoring) अधिकारियों की सिफारिश पर अनेकों उपभोक्ताओं में वितरित करते हैं —

(क) सरकारी विभागों की मांगों के लिये, विभागों के प्रमुख पोषक अधिकारी हैं।

(ख) लघु उद्योग की मांगों के पोषक अधिकारी उद्योग निदेशक हैं।

(ग) नियोजन तथा विकास विभागों के पोषक अधिकारी विकास आयुक्त हैं।

(घ) जनता की मांगों के पोषक तथा वितरक अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी हैं।

पिग आयरन का कोटा प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक जिला पूर्ति अधिकारियों और उद्योग निदेशक की सिफारिशों पर वितरित करते हैं। इनकी सिफारिशें फाउंडरियों (Foundries) की अनुमानित खपत पर आधारित हुआ करती हैं।

१४—कुंवर तेजभानसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फ्री सेल करने की आज्ञा प्रदान करने के पहले क्या जनता को सूचित किया जाता है ? यदि हां, तो समय-समय पर सूचना देने की क्या विधियां रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। प्रत्येक प्रकार के माल के लिये जिस पर डिस्ट्रिब्यूशन कन्ट्रोल है, निर्धारित अवधि है जिसके अन्दर यदि परमिट नहीं काटा जाता तो माल स्वतः फ्री सेल के अन्तर्गत आ जाता है और उसके लिये कोई अग्रिम सूचना जनता को देने की आवश्यकता नहीं होती।

कालिंजर दुर्ग को वन विभाग में लेना

१५—श्री मतोलासिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा तहसील नरैनी में कालिंजर दुर्ग के जंगल को हरी सूखी लकड़ी आदि का जरिये तहसीलदार नीलाम होता है जिसके कारण

वह हरा भरा दुर्ग वीरान हो गया और उसके ऊपर के पुराने सायादार पेड़ काटकर कोयला बना लिया गया ? क्या वन विभाग उस दुर्ग को वन विभाग में लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कालिंजर दुर्ग का जंगल नजूल होने के कारण कलेक्टर के देख-रेख में है तथा उन्हीं के द्वारा जंगल का ठेका हर साल दिया जाता है। परन्तु इस जंगल के लिये अलग से कोई सरकारी कर्मचारी न होने के कारण ठेकेदारी की कार्यवाही पर कड़ी नजर नहीं रखी जा सकी है। दूसरे जंगल में नये पेड़ बहुत वर्षों से नहीं लगाये गये हैं। इस जंगल को वन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

रामनगर वन खण्ड में वृक्षारोपण

१६—श्री देवीदत्त—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर वन खंड के डेचोरी रेंज के मूसाबेजर ब्लाक में जो अव्वल दर्जे का जंगल था काट कर प्लानटेशन लगाया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। डेचोरी रेंज के मुसानगर ब्लाक में कम मूल्य के वनों को तथा ऐसे घने वृक्षों को जिससे साल की नई पौध को हानि होती है, कार्य आयोजनानुसार काट कर अधिक मूल्यवान वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार के कटान वन को मूल्यवान बनाने में सहायक होते हैं।

१७—श्री देवीदत्त—

यदि हां, तो क्या डिवीजन में कोई ऐसा अन्य रिक्त स्थान नहीं था जहां कि प्लान्टेशन लगाया जाता ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता। तथापि, ऐसे रिक्त स्थानों पर भी वृक्षारोपण कार्य योजनानुसार किया जा रहा है।

१८-१९—श्री जसरामसिंह—

[हटा दिये गये।]

२०-२१—श्री जसरामसिंह—

[२रे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बुलन्दशहर में हवालाती कैदी

२२—श्री जसरामसिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९६३ से नवम्बर, सन् १९६३ तक कितने हवालाती कैदी थे, इनमें १ वर्ष से अधिक समय के कितने कैदी हैं और किस जुर्म के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

५२, इनमें से एक वर्ष से अधिक समय के ६ हवालाती कैदी हैं जिनके जुर्म निम्नलिखित हैं :—

३३३, ३२५, १४७ आई०पी०सी०, ३९५/३९७ आई० पी० सी०, ३९६ आई० पी० सी०, ३९२/२५ आई० पी० सी०, ३९५/३९७ आई० पी० सी०।

२३—श्री जसरामसिंह—

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि बुलन्दशहर जल में कैदियों से क्या-क्या काम लिया जाता है ? सन् १९६२–६३ में दस्तकारी और खेती से कितना लाभ हुआ और जेल में कितना व्यय हुआ और क्या-क्या चीजें खरीदी गईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बंदियों से निम्नलिखित काम लिया जाता है :—

१—बंदियों के लिये आटा पीसना

२—मूंज का बान बटना

३—मूंजबान की चटाई बनाना

४—मूंजबान से चारपाई बुनना •

५—कुर्सियों की बेत से बुनाई ।

दस्तकारी से ७७५ रु० तथा खेती से ७६.८९ रुपये का लाभ हुआ ।

दस्तकारी कारखानों के लिये मूंज, सन (हैम्प), बेंत (केन) खरीदने में १,०८० रु०व्यय हुये । खेती के लिये तरकारी के बीज, जानवरों के लिये भी, जौ चना, खली और भूसा इत्यादि और सिंचाई का व्यय मिला कर २,०१४ रुपये व्यय हुये ।

२४—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इस मौजूदा जेलखाने का स्थान सरकार का है या किसी व्यक्ति का ? क्या बुलन्दशहर जेल को शहर से हटाकर किसी और स्थान पर बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मौजूदा जेलखाने का स्थान सरकार का है । इसको दूसरे स्थान पर हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । समय के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

किशोर सदन, बरेली

२५—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में जो किशोर सदन (बच्चों की जेल) है उस किशोर सदन में जहां दस्तकारी सिखाई जाती है, वह टूटी-फूटी जो छत खपरैल की पड़ी हुई है, वह कब तक ठीक हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

किशोर सदन बरेली में जहां दस्तकारी सिखाई जाती है वहां खपरैल हटाकर सीमेंट की चादरें लगाई जा चुकी हैं ।

२६—श्री जसरामसिंह—

क्या खपरैल की छत हटाकर लिंटर की छत या सीमेंट की चादर की छत डलवाने की व्यवस्था सरकार के सामने है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता ।

२७—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि किशोर सदन पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है और कितनी आमदनी होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गत तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किशोर सदन पर औसत वार्षिक व्यय १,६९,५०० रु० और औसत आमदनी ३०,७०० रु० हुई है।

कटेहर क्षेत्र में हैण्ड पाइप

२८—श्री रघुनाथसिंह—

क्या वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कटेहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में हैण्ड पाइप लगे हैं ? यदि हां, तो किन किन गांवों में ? यदि नहीं, तो क्या आगे ऐसी व्यवस्था की योजना है और क्या आवश्यकता वाले गांवों की सूची तैयार की गई है या की जावेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। संबंधित गांवों के नाम परिशिष्ट में दिये हुये हैं। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६२३ पर)

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना स्वीकार कर ली है जो माननीय राममूर्ति अंचल, माननीय रघुनाथ सिंह, माननीय झारखंडेराय, माननीय लखपतराम शर्मा, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद और माननीय राजेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई है। वह इस प्रकार है—

आपके द्वारा इस अत्यादरणीय सदन का ध्यान नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर निम्नांकित प्रश्न के हेतु आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ से संबंधित अब केवल चार ही आयुर्वेदिक कालेज (जहां शिक्षण का कार्य होता है) रह गये हैं। इन चारों कालिजों में लगभग ४०० विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। उन सभी कालेजों के विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश शासन से अनेक बार प्रार्थना की कि आयुर्वेद शिक्षण संस्थान एवं शैक्षण प्राप्त किये हुये चिकित्सकों तथा विद्यार्थियों के साथ न्याय हो और असमानता न बरती जावे। संभवतः शासन ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि जिससे छात्रवर्ग में उत्पन्न असंतोष कम होता अथवा समाप्त होता। निदान अ त में उन विद्यार्थियों ने, जो गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार, ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार के थे। सब ने मजबूर होकर शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल आरम्भ की जिसके परिणाम स्वरूप समूचे प्रदेश के चारों कालेज आज ११३ दिन से बन्द पड़े हैं। इस कारण शिक्षण कार्य में बड़ी भारी क्षति हो रही है और उन ४०० नौनिहाल बच्चों की जीवन दशा घोर खतरे में पड़ी है। इसके साथ ही साथ उन चारों कालेजों के स्टाफ में लगभग ३०० व्यक्ति जो डाक्टर, नर्स परिचारक तथा अध्यापक हैं बेकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं जिस के फलस्वरूप जनता-जनार्दन का लगभग ४ लाख रुपयों से ऊपर धन बरबाद हो चुका है और १८ लाख ९८ हजार ४ घंटे के कार्यकाल का समय मानव समाज का नष्ट हो चुका है।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि १२ अक्तूबर, सन् १९६३ को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल इन छात्रों ने पहले भी की थी और १९ अक्तूबर, १९६३ से चारों कालेजों में पूर्ण हड़ताल चल रही है। उन दुर्भाग्य के मारे छात्रों ने मुख्य मंत्री एवं उप स्वास्थ्य मंत्री को आयुर्वेदिक कालेजों को "बचाओ" शीर्षक पत्र में भूख-हड़ताल के संबंध में अग्रिम चेतावनी भी दी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से ५,००० से भी अधिक जनता-जनार्दन के पत्र भी स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के नाम इस आशय के आ चुके हैं कि राज्य शासन शीघ्रातिशीघ्र इन विद्यार्थी बालकों की अध्ययन बाधक दूर करने तथा शांति का सौहार्द्र प्राप्त करने की कृपा करें।

श्रीमन्, छात्रों की ओर से निरन्तर प्रयास करने तथा शासन का ध्यान आकृष्ट करने में जब छात्र वर्ग असफल हो गया तब उसने महामहिम राज्यपाल से आरम्भ कर के आप तक इस बात की सूचना ७ फरवरी, १९६४ को दी कि ९ फरवरी, १९६४ प्रातः ८ बजे से एक विद्यार्थी आमरण अनशन के पावन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिये कटिबद्ध हो कर विधान सभा के बाहर मुख्य द्वार पर बैठ जायेगा। इस छात्र को आमरण अनशन करते हुये आज २८ घंटे व्यतीत हो चुके हैं और जिससे सारे प्रदेश की जनता में घोर असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त हो रहा है। अतएव आप अपनी महती कृपा के द्वारा आमरण अनशन करने वाले छात्र के प्राणों की रक्षा तथा समस्त आयुर्वेद के छात्रों की जीवन दशा की रक्षा और लाखों रुपयों के अपव्यय एवं माननीय श्रम के दुरुपयोग को बचाने हेतु इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वयं विचार कर के स्वीकृति प्रदान करें और माननीय सदन को इस पर पूर्ण विचार विमर्श करने का अवसर देकर हमें कृतार्थ करें।

इसके अतिरिक्त माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का भी इसी संबंध में है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मेरा इस संबंध में एक पेटीशन था।

श्री अध्यक्ष--

जब यह समाप्त हो जायगा तो उसे देखा जायगा। तो इस पर मंत्री जी अपना वक्तव्य परसों दे देंगे।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

आपको याद होगा कि इस संबंध में दफा ५२ की नोटिस मैंने दी थी और उसके बाद आपकी आज्ञा से उसके स्थान पर इसके लिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था वह आपने स्वीकार भी किया था। तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में परसों का समय अधिक है। जब सरकार के पास सारी सूचनायें पहुंच गयी हैं तो इस पर वह जल्दी भी वक्तव्य दे सकती है और आप इस पर कल ही वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय झारखंडे राय जी को बतला दूं कि यह ठीक है कि इस संबंध में आप ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था, लेकिन जब मैंने सुना कि सरकार इस संबंध में अनमनी है और जवाब उसका नहीं देना चाहती, इस कारण से मैंने इसको स्वीकार किया है। (तालियां)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, मेरी एक बात सुन लें। मैंने एक नियम ५२ में दिया था बलरामपुर शुगर फैक्ट्री की बाबत। वहां एक रेलवे फाटक बन्द कर दिया गया है जहां पर सैकड़ों गाड़ियां आती थीं। अब उनको बड़ी दुश्वारी हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय, उमाशंकर जी का एक प्रस्ताव था उसे मैंने मुनासिब कार्यवाही के हेतु सरकार के पास भेज दिया है। शेष तो नियम के अनुसार नहीं लिये जायेंगे।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मैं चाहता था कि मेरा भी आप मंत्री जी के पास भेज दें। मैंने अपने और हिम्मतसिंह जी के नाम से वह दिया है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

आपने मेरा एक सवाल नियम ५२ में स्वीकार किया था। उस पर वक्तव्य आज तक नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

यह आपने कब दिया था ?

श्री होरीलाल यादव—

आपने वह ७ तारीख को स्वीकार किया था।

श्री अध्यक्ष—

बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इटावा में एक आदमी की पुलिस की गोली से मृत्यु हो गयी, उसके संबंध में आपने शार्ट नोटिस सवाल स्वीकार किया था। कृपया उसका उत्तर मुझे मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

इसके संबंध में आप मुझ से बात कर लीजियेगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

मेरा जो नियम ५२ का आपने स्वीकार किया है तो उसकी आखिरी तिथि २१ फरवरी है इसलिये जल्दी ही उस पर जानकारी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यहां कहने से कोई लाभ नहीं है, मुझ से मिल लीजियेगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—

अभी जरा ठहरिये, बाद में पूछ लीजियेगा।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी ७ फरवरी, १९६४ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित कार्यों तथा विधेयकों, पर विचार एंव उन के पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

(१) २६ फरवरी, १९६४ को सदन की बैठक न हो और उसके स्थान पर २ मार्च, १९६४ को वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान हो।

(२) उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३, जैसा कि १० फरवरी, १९६४ को सायंकाल ४ बजे तक प्रदेश विधन परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पद विचार व उसका पारण।

(३) उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदन का संकल्प ।	१० फरवरी, १९६४ को सायंकाल ४ बजे से ५ बजे तक ।
(४) उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी) पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार व उसका पारण।	
(५) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदन का संकल्प ।	१२ फरवरी, १९६४ को सायंकाल ५।। बजे से ७ बजे तक ।
(६) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार व उसका पारण ।	१३ फरवरी, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक ।

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों तथा विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित समय निर्धारण से सहमत है--

(१) उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण---१० फरवरी, १९६४ को सायंकाल ४ बजे तक,

(२) उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ में अननुमोदन का संकल्प,

(३ उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार व उसका पारण---१० फरवरी, १९६४ को सायंकाल ४ बजे से ५ बजे तक ।

(४) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदन का संकल्प---१२ फरवरी, १९६४ को सायंकाल ५।। बजे से ७ बजे तक ।

(५) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार व उसका पारण---१३ फरवरी, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । १२ फरवरी को सायंकाल ५।। से ७ बजे तक का कार्यक्रम दिया गया है, तो उस दिन ५।। तक कौन-सा कार्यक्रम रहेगा ?

श्री अध्यक्ष---

उस दिन सप्लीमेंटरी बजट पर सारे दिन बहस है ।

प्रश्न यह है कि जो अभी माननीय बंशीधर पांडेय ने समय निर्धारण संकल्प पढ़ा उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

नियम ५२ के विषय में जो आपने मेरा, माननीय झारखंडे राय और राममूर्ति जी का स्वीकार किया है उसमें परसों का समय वक्तव्य के लिये आपने दिया है । मेरा निवेदन है कि इसी असेम्बली के बाहर कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से यह भी सुविधा नहीं दी गयी कि कोई डाक्टर उनकी देख-रेख करता ।

ऐसी सूरत में मेरा आपसे निवेदन है कि यह मामला गम्भीर है और अगर कल बयान दे दें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष—

खैर, आपने कह दिया और सुनने वालों ने इसे सुन लिया ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय अयक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रार्थना करता हूं कि सदन उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टैम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टैम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६२४–६४१ पर)

*उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ (क्रमागत)†

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलते हुये यह निवेदन कर रहा था कि हमारा प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान है और पशु हमारे बहुमूल्य निधि हैं, और उसमें भी गायों का स्थान प्रमुख है । हमने अनादिकाल से ही गायों को प्रधानता दी है । यहां पर उनके लिये बड़े आन्दोलन हुये । गायों के संरक्षण और संवर्द्धन की ओर ही हमारा विशेष ध्यान रहा । प्रस्तुत विधेयक एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति कर रहा है । गोशालायें आज की संस्थायें नहीं हैं अपितु सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं । आवश्यकता इस बात की थी कि इस सम्बन्ध में विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत हुआ होता और तत्सम्बन्धी नियम बन गये होते । किन्तु अब यह विधेयक आया है इसके लिये मैं सरकार और विशेषकर कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

इसमें हमने कई प्राविधान किये हैं और कई समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है । एक निबंधक की नियुक्ति, संघ की स्थापना, पशुपालन अधिकारी को इन गोशालाओं के निरीक्षण का अधिकार यह सब किया गया है और एक मुख्य बात जो हुई है वह यह है कि जो गौशालायें रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिये कोई चन्दा किसी प्रकार का नहीं मांगा जा सकता । इस विधेयक में कुछ दंडों का भी प्राविधान है । उसमें विशेषकर इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई मुकदमा किसी व्यक्ति पर तब तक नहीं चलेगा जब तक कि निबन्धक वाद को स्वयं न प्रस्तुत करे, यह भी अच्छी बात है । यह भी प्राविधान किया गया है कि जो मुकदमा चलेगा वह फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही चल सकेगा ।

इसमें मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे । खंड ११ में धर्मादे की धनराशि में २० प्रतिशत तक वसूली काट देने का प्राविधान है ।

---

*१७ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

†७ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही से ।

मेरा विनम्र निवेदन होगा कि यह रकम बहुत अधिक है। जिस तरफ माननीय वीरसेन जी ने भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मेरे भी कुछ सुझाव हैं, उन पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस बिल के खंड १६ में सजा का प्राविधान है। उसमें यह है कि अगर कोई नियमों का उल्लघंन करता है तो उसके लिये १ हजार, ५०० तथा ३०० रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। मेरा अनुरोध है कि यह सजा बहुत कम है, और इसमें जेल की सजा का भी प्राविधान होना चाहिये। माननीय वीरसेन ने भी इस विषय में आपत्ति उठाई थी। उनके सुझाव से मैं भी सहमत हूं। इसका कारण यह है कि धर्मादा की वसूली लाखों रुपयों में होती है, अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया और उसमें से १ हजार रुपये जुर्माना दे भी दिया तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा।

दूसरी बात यह भी है कि इसकी वसूली नाना प्रकार के व्यापारियों के द्वारा होती है और उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। उस रुपये का सदुपयोग हुआ या नहीं, किस प्रकार से वह रुपया खर्च हुआ, यह सब जानने के लिये भी कड़े से कड़े नियम बनाये जाने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर वे विचार करेंगे।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज से इन्कार नहीं करता कि यह बिल बहुत ही जरूरी है और नेक इरादों के साथ इसको सदन में लाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो गौशालायें हमारे प्रदेश में चल रही हैं उनका काम संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां इतनी ज्यादा संख्या मवेशियों की तथा इन गायों की है कि हमारा यह फर्ज हो जाता है कि जब वे बूढ़ी तथा अपाहिज हो जाती हैं, हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। आज देखना यह है कि जो इस समय हमारे प्रदेश में १२५ गौशालायें काम कर रही हैं क्या उनमें हमारे सारे मवेशी रखे जा सकते हैं? मैं समझता हूं कि उनकी संख्या बहुत कम है। यह विषय ऐसा विषय है जिसको धार्मिक भी कहा जा सकता है, सामाजिक भी कहा जा सकता है और आर्थिक भी कहा जा सकता है। इन तीनों नजरियों से हमें इसको देखना है। धार्मिक तो यूं है कि आज भी गाय का समाज में एक धार्मिक स्थान है। सामाजिक यूं है कि जब वह बेकार और बूढ़ी हो जाती हैं तो जिस तरह से एक समाज में बूढ़े व्यक्ति की अच्छी प्रकार से देखभाल होती है, उसी तरह से ऐसे मवेशियों की देखभाल करना भी हमारा फर्ज हो जाता है और हमको उनकी सही प्रकार से देखरेख करनी चाहिये और आर्थिक यूं कि हमें यह देखना होगा कि जो बूढ़े मवेशियों पर खर्च होना चाहिये वह होता है या नहीं होता है। इस वक्त जो गौशालायें हैं, इस विधेयक के अन्दर भी यह माना गया है कि वे सही प्रकार से नहीं चल रही हैं हालांकि उनको सरकार की तरफ से ग्रान्ट भी मिलती है और वे चन्दे से भी रुपया वसूल करती हैं। इसको गौर से देखने की बात है।

यह जो विधेयक सदन के सामने लाया गया है वह दाद देने के काबिल है लेकिन माननीय कमला सिंह जी ने जो प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी में सुपुर्द किये जाने का रखा उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि इसके अन्दर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है और जो कोताहियां हैं उन पर नजरसानी करने की जरूरत है। इसमें एक बात यह दी हुई है कि गो शालाओं को रजिस्टर करने की लिये एक रजिस्ट्रार होगा। इस प्रकार से इस ऐक्ट को चलाने के लिये जो खर्चा होगा, उसको चलाने के लिये ५ फीसदी गोशालायें अपनी आमदनी में से दिया करेंगी। जो संस्थायें चन्दे से और सरकार की मदद से चल रही हैं वे अपनी आमदनी में से ५ प्रतिशत दें, ताकि इस ऐक्ट के जरिये जो खर्चा होगा, उसमें अपना हाथ बटा सकें, यह किसी तरीके पर मुनासिब बात नहीं मालूम देती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

अगर इस विधेयक का मुताला किया जाय तो एक बात यह भी मालूम पड़ती है कि जो व्यापारी धर्मादा के नाम पर चन्दा वसूल करता है वह उसमें से चन्दा वसूल करने के ऐवज में २० फीसदी रख सकता है। जब कि चन्दे पर कतई कोई खर्चा ही नहीं होता तो यह किस प्रकार से मुनासिब है, आप इस पर गौर फरमायें। मेरे खयाल से इस विधेयक को बनाते समय यह नहीं सोचा गया कि भला उस व्यापारी का चन्दे के वसूल करने में क्या खर्च होता है।

कृषि मंत्री (श्री चरण सिंह)—

कोई ट्रेडर किसी ग्रोअर से गौशाला के नाम पर पैसा वसूल ही करे, इसके लिये हमारे पास क्या अथारिटी है, इसलिये इन्सेन्टिव के तौर पर इसको सोच विचार कर सही रखा गया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इसके बारे में कुछ रोशनी डाली, लेकिन धर्मादा दो प्रकार से वसूल किया जाता है। अभी बहुत से आढ़तिये इसको धर्मादे का काम समझते हैं, इसलिये इसको वसूल करते हैं और कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो उसको हजम करने के लिये ही वसूल करते हैं। इस तरह से दोनों तरीकों पर उनको इन्सेन्टिव तो होता ही है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह २० फीसदी उनको देना बिलकुल गलत है। जिस तरीके पर वे हमेशा से वसूल करते आये हैं आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर गोशालाओं के लिये वसूल किये गये रुपये में से २० फीसदी उनको दे दिया जायगा तो गौशालाओं के लिये ज्यादा भी होगा। मैं समझता हूं इस पहलू पर गौर नहीं किया गया। इसके साथ इसके अन्दर कुछ और बातें हैं। मिसाल के तौर पर एक यह है कि जो लोग वक्त पर जमा नहीं करेंगे उन्हें बहुत मामूली जुर्माने की सजा होगी। जैसे अगर कोई व्यापारी है और वह वक्त पर रुपये नहीं देता तो जब तक रुपया जमा करने का वक्त दिया गया है उस वक्त तक वह ५०० रुपये जुर्माना देकर छूट सकेगा। उसके बाद अलबत्ता २५ रुपये रोज की पैनाल्टी रखी गयी है, लिहाजा ये बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर गौर करना चाहिये और सोचना चाहिये।

इसके साथ-साथ एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि इस बिल के आब्जेक्ट ऐंड रीजन्स में कहा गया है कि साइंटिफिक कैटल ब्रीडिंग का भी इंतजाम किया जायगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस प्रकार से हो सकेगा? एक बात और सोचने की है, कल जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि साढ़े ५ हजार तक कमजोर और बेकार मवेशी हैं और ८ हजार मवेशी इस वक्त गोशालाओं में ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कारामद हैं। तो गोशालाओं में इस बात का खासतौर पर इंतजाम होना चाहिये कि वे मवेशी जो बेकार हो चुके हैं और जिन्हें आराम पहुंचाना हमारा मकसद है, उन पर जो खर्चा होता है वह किस तरीके से हम उन मवेशियों से वसूल कर सकें जो कि कारामद हैं, जिनसे बछड़े हो सकते हैं और जिनसे नस्लकशी उम्दा तरीके से हो सकती है? गरज यह है कि इन चीजों का रख-रखाव बहुत जरूरी है ताकि इन दोनों चीजों में बैलेंस रहे। इस वक्त जितनी भी गोशालायें हैं जैसा कि मैंने कहा और जो बिल पहले पास हुआ है उसमें बतलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में मवेशियों की तादाद बहुत बढ़ी हुई है, इस लिहाज से साड़ों की भी जरूरत है और गांवों में भी हमें अच्छे सांड़ चाहिये, इस लिहाज से साइंटिफिक तरीके से चलाने की जरूरत है और आज साइंटिफिक कैटल ब्रीडिंग की बहुत जरूरत है। लेकिन इसका कोई जिक्र इस बिल में नहीं किया गया है कि किस तरीके से साइंटिफिक कैटल ब्रीडिंग होगी और किस तरह से ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे ऐसी बात हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इस चीज का होना बहुत जरूरी है और उस पर माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी उन बेकार मवेशियों पर खर्च करना अपना फर्ज समझते हैं उस रुपये को उसी गोशाला की आमदनी से, जो कि अच्छे मवेशी हैं उनसे वसूल करें और इस तरीके से हम उन गोशालाओं को बढ़ावें ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा मवेशी आराम और सुख पा सकें। आज कितनी गायें ऐसी हैं जो आवारा फिरती हैं,

उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। बहुत सी गायें ऐसी हैं जो खेतों के अन्दर फिरती हैं और उनकी फसलों को नष्ट व बर्बाद कर देती हैं और काफी नुकसान पहुंचाती हैं। उन सब गायों को पकड़वा कर इन गोशालाओं में भेजने का सवाल पैदा होना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे जो नुकसान इस तरीके से इन गायों की वजह से खेतों की फसलों का होता है उस से किसान बच जाय।

इसके अलावा एक बात यह भी है कि जो गायें अच्छी हैं, पर बीमार हैं या कमजोर हैं और उनको किसी तरह से तन्दुरुस्त बनाया जा सकता हो, तो उनके इलाज करने की भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे ठीक हो सकें। यह भी होना चाहिये कि सिर्फ लाइव स्टाक आफिसर ही गौशालाओं का निरीक्षण करने का अधिकारी न हो बल्कि उन के लिये डाक्टर भी होने चाहिये जोकि मवेशियों के अमराज की देखभाल कर सकें और उन का माकूल इलाज कर सकें। एक चीज यह भी है कि हमें गौशालाओं के लिये जमीनों का भी इंतजाम करना चाहिये ताकि अच्छे चरागाह हों और चारा पैदा करने के लिये जगह हो जिसमें उन के लिये जरूरत के हिसाब से काफी चारा पैदा किया जा सके। हर जिले की जरूरत के हिसाब से वहां २–३–४ गौशालाओं का होना जरूरी है जिन में कि बेकार और बूढ़े मवेशी पनाह पा सकें और आराम से जिनकी वहां निगाहदाश्त हो सके। यह बहुत अच्छी बात है कि मंत्री जी का ध्यान इस अहम चीज की तरफ गया है, इसमें निरीक्षण का और रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया गया है लेकिन जहां आपका अफसर निरीक्षण कर सकता है वहीं जिस विकास खंड में यह गौशाला हो उसका प्रमुख भी निरीक्षण कर सके या विधान सभा क्षेत्र में हो तो सदन का सदस्य भी निरीक्षण कर सके और संसद सदस्य भी कर सकें, इस का भी इंतजाम इस में होना चाहिये। ऐसे लोग जो जनता के प्रतिनिधि हैं और पब्लिक के काम करते हैं उन को निरीक्षण का अधिकार देना चाहिये ताकि वह भी उनके बारे में अपनी रिपोर्ट लिख सकें कि किस तरह से उनका काम चल रहा है। इन शब्दों के साथ में माननीय कमला सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे जरूर सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे ताकि इस पर एक नजर वहां और डाली जा सके और जो कोताहियां इसमें हैं वह पूरी हो सकें। आखिर में मैं इस तरह के अच्छे विधेयक को सदन में लाने के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अभी एक सूचना मेरे पास श्री पुरी, सचिव, विधान मंडल ने लखनऊ के जिलाधीश श्री जी० पी० पांडे से टेलीफोन द्वारा प्राप्त होने पर भेजी है जो इस प्रकार अभी पूर्वाह्न ११ बजकर ४० मिनट पर श्री जे० पी० पांडे, जिलाधीश लखनऊ ने मुझे टेलीफोन पर यह सूचना दी कि श्री सुखलाल सदस्य विधान सभा, ७ व्यक्तियों सहित आज लगभग साढ़े दस बजे प्रातः हजरत महल पार्क, लखनऊ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के भंग करने के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिये गये। श्री सुखलाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत ५ व्यक्तियों से अधिक के जमा होने तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के प्रतिबन्ध को लाउड स्पीकर पर नारे लगा कर तोड़ा। श्री पांडे ने यह सूचित किया है कि वे विहित प्रपत्र में सूचना थोड़ी देर में माननीय अध्यक्ष की सेवा में भेजेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि मेरी जानकारी है कि दफा १४४ के लगे रहने के बावजूद उन्हें यह आज्ञा मिल गई थी कि वह प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन माननीय सुखलाल जी जब विधान भवन आ रहे थे और जब कि जिलाधीश ने आज्ञा दे दी थी कि जलूस निकाला जा सकता है, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से एक माननीय सदस्य के अधिकार का हस्तक्षेप हुआ है जिसका कि सरकार को तुरन्त निवारण करना चाहिये जब इस प्रकार की आतंक की स्थिति है तो यह अनुचित है और अनैतिक है। मैं वह आज्ञा-पत्र भी दिखा दूंगा, जब उनको आज्ञा दे दी गई.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के यह लिखित दे दें ।

उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए और इस प्रस्ताव को प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी का आया है उसका विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं । इस ऐक्ट को आद्योपान्त पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मंत्री जी ने बड़ा परिश्रम किया है इसको क्रमबद्ध करने के लिये गौशालाओं की व्यवस्था को देखकर । मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं । मान्यवर हमारे प्रदेश में गौशालाओं का इतिहास है, उनकी एक पृष्ठभूमि है । गोशालायें यहां पर बहुत दिनों से चल रही हैं । इस देश की जनता गायों के बध को बुरा समझती थी और जब कोई गाय बेकार हो जाती है तो उसे कटने से बचाने के लिये गौशालाओं में छोड़ देती थी । इन गौशालाओं का प्रबंध जनता के चंदे, जो मंडियों वगैरह से होता था, से चलता था । कुछ उदार व्यक्ति उसमें दान भी दे देते थे । इस प्रकार से गौशालायें चलती हैं, लेकिन वे वैज्ञानिक ढंग से नहीं चलती हैं । उनमें कुछ लंगड़ी लूली गायें होती हैं, कुछ उनमें से बच्चा भी देती हैं, लेकिन वे धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर चल रही हैं । युग बदला है और निर्माण का युग आया है । इसी के अनुसार हमें इस विधेयक पर विचार करना है ।

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज गौशालाओं का जैसा प्रबंध है, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह जरूर कहने का साहस करता हूं कि इन गोशालाओं का प्रबंध संतोषजनक नहीं है । गोशालायें साधारणतया मंडियों में हैं और उनका प्रबंध एक कमेटी करती है । कितना रुपया आया, कहां कहां से आया उसकी विशेषरूप से देखभाल नहीं होती है । जो भी प्रबंध होता है वह मनुष्यभाव से होता है । पर इस बिल के द्वारा उन तमाम चीजों को क्रमबद्ध करके सुचारू ढंग से चलाने का जो प्रयास किया गया है वह अपनी जगह पर बहुत ही सुन्दर और प्रशंसनीय है । आज हमारे सामने सवाल यह है कि हमारी जो लंगड़ी लूली गायें हैं, वे कहां जायें, गौशालाओं में जायं या उनका कोई और उपयोग किया जाय । कहीं कहीं गोसदनों का निर्माण हो गया है । हमारे जिले में भी हो गया है । आज आवश्यकता इस बात की है कि वे गायें गोसदनों में भेज दी जायं, लेकिन वे वहां पर रह कर मर जायेंगी । सवाल यह है कि हमारी जो गौशालायें हैं किस तरीके से उनको उपयोगी बनाया जाय ? उनमें बहुतों के पास जमीनें हैं भी जिनमें ये चारा उत्पन्न कर सकते हैं और करते हैं । अतः हम रूपान्तर कर दें । इस विधेयक में इस बात का प्रयास तो किया गया है कि गोशालाओं का जो रुपया आता है उसका ठीक ढंग से प्रबंध हो जाय, उसमें जो गोलमाल होता है वह बन्द हो जाय, लेकिन इस सुझाव का अभाव है कि हम गोशालाओं को कैसे उपयोगी बनायें । इनको उपयोगी इसी प्रकार बनाया जा सकता है कि इनमें अधिक अच्छी गायें रखी जायें और अच्छे सांड़ों से बच्चे पैदा करवाये जायं । विभाग की ओर से प्रयास किया जाता है कि नस्लों को सुधारा जाय लेकिन वह प्रयास अगर हम यहां कर करते हैं, इन आर्गनाइज्ड इन्सटीट्यूशन में तो ज्यादा सफल हो सकते हैं । तो हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हम उन गोशालाओं को अधिक उपयोगी बना सकें ।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करना है कि जो क्लाज ११ सब क्लाज ३ के अन्तर्गत एक यह विधान रखा गया है कि जो लोग चन्दा एकत्रित करते हैं अगर जरूरत हो उसमें से २० प्रतिशत से अनधिक उस प्रतिशत के हिसाब से जो नियत की जाय, वसूली व्यय काट लेगा । मेरे विचार में यह प्राविजन मुनासिब नहीं है इसलिये कि हिन्दुस्तान में ऐसे काम पुण्य के रूप में करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और अन्त में यह कहने का साहस करूंगा कि इस विधेयक के जारिये जो कमियां हैं वे दूर की जायंगी और ऐसी व्यवस्था की जायगी कि जो गौशालायें हैं वे समाज की वास्तविक सेवा कर सकेंगी और जो उद्देश्य है उनके खोलने का कि वहां से अच्छा दूध मिल सके तथा अच्छी बछियां प्राप्त हो सकें, उसकी पूर्ति हो सकेंगी ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक गौशाला विधेयक है । मैं उस जिले में पैदा हुआ हूं जहां महाराज कृष्ण गौवों का पालन किया करते थे । मैं देखता हूं कि कृषि मंत्री जी यह विधेयक लाये हैं तो विधेयक के प्रति तो मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि वह अच्छी चीज है, लेकिन मैं देखता हूं कि गौशालाओं का प्रबंध कुछ ठीक नहीं है । कुछ लोग गौवों का बध करने लगे । यह बड़ा उपकारी जीव है, परमार्थी जीव है लेकिन लोग उसे भी खाने लगे । तो हमारे पूर्वजों ने गौशालायें बनवाईं । लेकिन वहां भी अब हम देखते हैं कि ठीक से सेवा नहीं होती । सरकार और जनता की तरफ से पैसा भी खर्च किया जाता है और बहुत सी गौशालायें बूढ़ी गौवों को दाखिल भी नहीं करतीं । तो सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिये ।

वृन्दावन और मथुरा के बीच में गौवों के चरने के लिये बड़े-बड़े जंगल थे । वहां पानी मांगा जाता था तो दूध पीने के लिये दिया जाता था । कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि आपको बैठते ही दूध दिया जायगा और भोजन के साथ घी दिया जायगा । खीर में बुरा और घी न दिया जाय तो उस खीर को लोग क्वांरी समझते हैं । लेकिन इस सरकार ने गौवों को चौपट कर दिया है । बंजरों को तोड़ डाला गया और किन्हीं किन्हीं मिनिस्टरों ने फार्म बनवा डाले । वन विभाग ने भी कुछ गड़बड़ी की है । सारी जमीन ले ली । वहां गौवों को चरने के लिये छोड़ा जाता या फलदार वृक्ष लगाये जाते । लेकिन उसमें बबूल बो दिये जिससे वहां डाकुओं के छिपने का इंतजाम कर दिया । तो मैं मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति में भेजने के लिये मैं कुछ नहीं कहता, वह तो वह जानें जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, विधेयक का तो हमें स्वागत ही करना पड़ेगा, मंत्री जी बहुत सोच कर विधेयक लाते हैं और प्रवर समिति के लायक होता है तो वे मान भी लेते हैं, कई विधेयक उन्होंने खुशी से प्रवर समिति में भेज भी दिये हैं--- अगर मंत्री महोदय की चले इस सरकार से और हमारी बात को कुछ मानें कि गायों के लिये बंजर भूमि अवश्य रहे और मथुरा और वृन्दावन के बीच का बंजर तो जरूर ही छोड़ दिया जाय जहां कृष्ण जी उसे चराते थे, खाली गोशालाओं से गउओं की सेवा नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय लखी सिंह जी, एक तरफ तो आप गोशाला विधेयक का स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं कि गोशालायें नहीं होनी चाहिये ।

श्री लखीसिंह---

मेरा मतलब है सरकार की तरफ से उनका कड़ा प्रबंध होना चाहिये और मंत्री जी का विभाग है, वे तो कड़ाई करेंगे ही, लेकिन मेरी बात भी जरा लिख लें । जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था जिसके क्षेत्र में गोशाला हो वहां का विधान सभा का सदस्य भी उसको देखे । मेरा मतलब है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

इस पर १ बजे तक बहस चलेगी । उसके बाद २ बजे से हम खंडों को लेंगे । तो दो, एक सदस्य और बोल लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज फिर मैंने साहस किया इस आदरणीय सदन का कुछ समय लेने का। यह बिल जिस हद तक जाता है, ठीक ही है। जो रुपया गोशालाओं के नाम से इकट्ठा हो उसका सदुपयोग होना ही चाहिये। गोशालायें आधारित हैं गोसेवा पर और सेवा का कारण धार्मिक वृत्ति रहा है। लेकिन पूज्य बापू जी ने जैसा कहा था—जब तक गाय की रक्षा को एकोनामिक बेसिस नहीं दे देंगे तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकेगी। इसीलिये भारत वर्ष में जहां का हिन्दू गाय का बड़ा भक्त है शायद यहां से ज्यादा गाय के साथ दुर्व्यवहार कोई करता नहीं है। हिन्दुस्तान की गाय और मुल्कों की गाय से अच्छी हालत में नहीं है। आपने एक गो सम्बर्द्धन समिति बनायी भी थी दस, बारह साल हुये। उसके बाद काऊ प्रोटेक्शन ऐक्ट बना। इन १०–१२–सालों में काफी चीजें बदलीं। पशुओं का अनुभव एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बेकार पशुओं की संख्या बढ़ी है, आवारा जानवर बढ़ने लगे। एक मर्तबा सर्वोदय संघ वालों ने दिल्ली में एक कांफ्रेंस की थी। ढेबर भाई उसके अध्यक्ष थे। मैं भी उसमें गया था। वहां से मैं अपने घर गया तो गांव वाले कहने लगे कि आपको जितने पशु चाहिये हम पकड़वा दें, सब फालतू फिरते हैं, कोई मालिक ही नहीं है। तो प्रश्न कई हैं। एक प्रश्न तो यह है कि गायों की उन्नति किन दिशाओं में होनी चाहिये। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे पास सीमित साधन हैं, चारा कुल मिला कर अपने यहां ६० या ७० फीसदी है यानी सब पशुओं के लिये पूरा चारा नहीं है। पशुओं की संख्या बढ़ती जाय और बढ़ेगी क्योंकि उनके वध का सवाल नहीं है तो चारे का क्या हो, यह प्रश्न हमारे सामने है। गायों की सेवा आवश्यक है, बीमार पशुओं तथा बुड्ढे पशुओं की सेवा भी आवश्यक है, लेकिन पहले किस की, यह प्रश्न भी हमारे सामने होना चाहिये। यह प्रश्न कभी-कभी मुल्क के सामने आते हैं। जहाज डूबने लगा, उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, और जवान हैं तो सवाल सामने यह आया कि बच्चों और औरतों की रक्षा होना जरूरी है। इसी दृष्टि से एक प्रायोरिटी होनी चाहिये। हमारा दुर्भाग्य है, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाता, लेकिन जो काम हमने किये वे सब लाजवाब किये। मनुष्य की तरफ हमने ध्यान दिया, कैदियों की तरफ ध्यान दिया। गीता में किन-किन विभूतियों को देखा जाय? इसके सम्बन्ध में अच्छी बात को ही लिया है। जैसे जानवरों में शेर को कहा है। लेकिन हमने खेती को लिया तो स्वायल कंजरवेशन को लिया, आदमी को लिया तो कैदियों को लिया। यहां यह फिकरा साबित होता है कि हमने जितने काम किये सब लाजवाब किये। देखना यह है कि साधन सीमित हैं तो प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिये। साहूकारों से तो रुपया लेना चाहिये, लेकिन कहां खर्च करना है, इसको सोचना चाहिये।

मैं इस बिल का विरोध नहीं करता, इसमें मुझे कोई दोष नहीं मालूम होता है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि एक बार बैठकर पशुओं की सारी समस्याओं को सोच कर मुख्य समस्या को पहले लेना चाहिये। परसों भी मैंने कहा था कि किसानों के लिये कर्जे का मामला जरूरी है लेकिन इसको हटा कर हमने गोदाम का मामला शुरू कर दिया। यह बात नहीं होनी चाहिये। पशुओं की समस्या हमारे यहां बहुत जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष की पैदावार आधे से ज्यादा खेती से होती है और खेती पशुओं से होती है और खेती के लिये बैल बहुत आवश्यक हैं। इसका कम से कम २० प्रतिशत रिप्लेसमेंट होना जाहिये। जिलों के अलग-अलग अनुभव हैं, लेकिन जहां धान की खेती होती है और हमारे यहां उत्तर प्रदेश में सब से ज्यादा है, तो धान की खेती करने वाला ५ वर्ष से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। क्या हमारे पास इतने सांड हैं जो पांचवें साल इतने बैल दे दें। मैंने एक दफा पूर्वी जिले सुल्तानपुर में देखा कि वहां के लोग कहते थे कि सिंधी बुल होना चाहिये। यह भी समस्या है कि किस तरह का बैल हो? हम कभी मल्टी ब्रीड कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं। किसान के लिये मुश्किल है कि एक दूध देने वाला जानवर रखे, एक खेती के लिये जानवर रखे और हमारे यहां का किसान दो जानवर नहीं रखता है, यानी मल्टीपरपज ब्रीड होना चाहिये। हरियानी मल्टीपरपज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्रीड है। तो मल्टीपरपज ब्रीड होना चाहिये। यह निरी समस्याएं हैं जिनका रास्ता निकालना चाहिये। एक और समस्या पैदा हो गयी है। अभी तक यह खयाल था कि गाय के मुकाबले में भैंस ठीक पलती है। उसका कारण यह था कि गाय का बैल खेतों के काम में आता है और भैंस का कटरा काम में नहीं आता। वह जहां पैदा हुआ मरा। आज यह हालत हो गयी है कि मोटा इतना बोझ खींचता है जितना चार बैल खींचते हैं। तो पच्छिमी जिलों में कम्पेटीशन है बैल और भैंस का। मेरा खयाल है कि इस कम्पेटीशन में गाय नहीं रह सकेगी। भैंसा मोटा चारा खा सकता है, बैल नहीं खा सकता है। बैल को दाना चाहिये। जैसे जैसे तरक्की हो रही है, आप थ्रेशर्स भी बना दिये, हल बना दिये, आहिस्ता आहिस्ता बैल का मुकाबला मशीन से भी होने लगा। इन सब चीजों को सामने रख कर अच्छा हो एक तस्वीर फिर दोबारा बनायी जाय। जो तस्वीर दस, बारह साल पहले बनी थी शायद उस को बदलना पड़ेगा। बावजूद इसके कि गाय का मारना मना है, आज भी का गाय का बध किया जाता है। वह इसलिये नहीं करते कि हिन्दुओं के खिलाफ हैं बल्कि इस लिए कि गाय को मारने में गाय को जिन्दा रखने से ज्यादा आमदनी है। बुड्ढी गाय है, ३०–४० रुपये का चरबी का एक अस्तर मिलता है, खाल ५० रुपये की बिक जायगी। सींग, हड्डी और गोश्त अलग बिक जायगा। ब्लड मील, मीट मील सब बनता है। इसलिए आवश्यक है कि गोरक्षा को इकानामिक्स पर बेस किया जाय।

कुछ दिन हुये एक साहब के पास मैं बैठा था। वह इत्तफाक से गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के फूड मिनिस्टर थे। एक साहब आ गये जो पूज्य बापू जी के यहां गोशाला के इंचार्ज थे। उसने उनसे पूछा कि क्यों भाई कोई गोशाला ऐसी भी है जो सेल्फ सपोर्टिंग हों? बड़ा रेलेवेन्ट क्वेश्चन है। अगर गोशाला अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकती तो कैसे रह सकेगी? इन सब बातों पर चर्चा करके दिशा दर्शन हो तो काम चल सकता है। माननीय मंत्री जी इन सब चीजों में बहुत जागरूक हैं। मगर मेरा खयाल है कि ऐसा कोई रास्ता बनाया जाय जिसमें प्रान्त भर की तवज्जह जाय कि गायों के सम्बन्ध में क्या रास्ता हो सकता है। गाय का दूध कर लीजिये। गाय का भी दूध मिलता हो और भैंस का भी दूध मिलता हो तो लोग भैंस का दूध लेना पसन्द करते हैं। गाय का दूध भैंस के दूध से कंपीट नहीं कर सकता। तो क्या होने वाला है। जिसने गांधी जी के चेला बनने की कसम खा रखी हो वही गाय का दूध पियेगा दूसरा नहीं पियेगा। जब तक इकोनामिक बेसिस पर गाय के हर पहलू को नहीं रखेंगे तब तक गाय की रक्षा नहीं हो सकेगी। गाय की रक्षा करने के लिये बहुत आवश्यक है कि इन सब प्रश्नों पर काफी छानबीन हो और एक अथराइज्ड ओपिनियन सरकार की और सब जमातों की बन जाय ताकि गाय की रक्षा हो सके। यह कानून जो इस सदन सदन में पेश हुआ है मैं समझता हूं कि यूजफुल कानून है। इस पर ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर एक बार हर दृष्टिकोण से विचार होना आवश्यक है ताकि एक मुकम्मिल तस्वीर सामने आ जाय और उसके ऊपर मुनासिब कदम उठाये जायं। ये चन्द शब्द मैं इस आदरणीय सदन के सामने विचारार्थ पेश करता हूं।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, विधेयक जिस भावना से प्रस्तुत किया गया है मैं उसका स्वागत करते हुये भी चाहता हूं कि माननीय कमला सिंह जी की तरमीम को मान लिया जाय ताकि इस गम्भीर विषय पर एक सम्यक् विचार विनिमय हो सके। हम इस बात को जानते हैं कि मानव जाति के विकास के इतिहास की लम्बी कहानी है और उस के दौर में एक ऐसा युग था जिसे हम कृषि युग के नाम से जानते हैं यह युग उन सभी देशों में जो आज बहुत उन्नत हैं, रहा है और हमारे देश में भी वह क्रम विकास का रहा है। उसी विकास क्रम के दौर में गौओं के प्रति मातृ भाव का उदय हुआ और चूंकि हमारा देश अब भी कृषि प्रधान देश है इसलिये यह मातृभाव हमारे देश और प्रदेश के करोड़ों इन्सानों में है और वह बहुत दिनों तक रहेगा। यह भी सही बात है कि उद्योग के विकास के साथ-साथ यह भावनायें कम होंगी। उनका वह रूप नहीं होगा जो रूप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डेराय]

आज है, वह सेन्टीमेंट वह भावुकतायें उस रूप में नहीं रहेंगी जिस रूप में आज से कुछ समय पहले थीं या जो आज भी हैं। मान्यवर, बूढ़ी या अनुपयोगी गौओं को या बैलों को भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि माननीय फूलसिंह जी ने कहा है जाहिर है कि इसका सम्बन्ध हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा है। किसान के लिए भी जो स्वयं अपना जीवनयापन बमुश्किल कर पाता है, अपने बाल बच्चों की जरूरी जरूरी चीजों को मुहय्या नहीं कर पाता वह अनुपयोगी गायों को कैसे रखे, वह उस के लिये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वह रख नहीं सकता। इसलिये बेच देता है यह जानते हुये भी कि जिसे हम बेच रहे हैं वह जो अभी कानून बना है उसके पहले तक, उस को मारकर खा जाता था। लेकिन वह किसान बेचने के लिये मजबूर होता है। आज गौओं के वध निषेध का जो कानून बन गया है उस की वजह से वह चीज तो नहीं सम्भव है लेकिन वह बेचने पर मजबूर है। या अगर नहीं बेच सकता है, खरीदार उचित रूप में नहीं मिलता है तो मजबूर हो कर छोड़ देता है और बहेतु गाय और बहेतु बैलों के रूप में वह इधर-उधर फसलों का नुकसान करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी सरकारों के सामने है कि आखिर क्या किया जाय। प्रदेश में सरकार ने १२५ गौ सदनों की स्थापना की है वह एक अच्छा प्रयास है, इस समस्या के समाधान के लिए एक कदम है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर वह गायों और बैलों की समस्या है उसका समाधान इतने गौ सदनों से सम्भव नहीं है। बहुत से देशों में यह समस्या नहीं है क्योंकि वह जो अनुपयोगी गाय या बैल हुए उनको मार देते हैं या खा जाते हैं। हमारे यहां वह सम्भव नहीं है और अभी बहुत दिनों तक सम्भव नहीं हो सकेगा। हम उस की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिये इस समस्या के समाधान के लिए यह जो विधेयक पेश किया गया है उस में कुछ प्रयास है। उस तरह एक चिन्तन है और एक ठोस कदम है, इसी नाते मैंने इसका स्वागत किया है। लेकिन पूरी इकोनामी पर, पूरे आर्थिक पहलू पर एक सम्यक् विचार हो सके इसलिए यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो लाभप्रद ही होगा। समय कम से कम रख लिया जाय। और कोई बहुत बड़ी जल्दी भी इसकी कुछ समय दे देने से सरकार को कोई हानि पहुंचेगी। इसमें धर्मादे की बात आई है। धर्मादे का खाता लाखों या करोड़ों में बड़ी-बड़ी फर्मों के पास और व्यापारियों के पास जमा है वह उसका थोड़ा सा अंश केवल दान दे देते हैं, इसी को हम अपनी भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि निहाय की चोरी और सुई का दान। लाखों करोड़ों रुपया धर्मादे के नाम पर जनता से वसूल किया जाय और थोड़ा सा उसमें से दे दिया जाय इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिये इस विधेयक में सख्ती से पाबन्दी और व्यवस्था होनी चाहिये कि जो पैसा जनता से वसूल होता है उसको सख्ती के साथ किसी नियम के अन्दर लाया जाय और उस को खर्च किया जाय इन दो सदनों के या गोशालाओं के संचालन के लिये। मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार इस बात को सोचे कि हमारे प्रदेश में जो ये मठ और मन्दिर हैं जिनका समाज में क्या उपयोग है यह आज भी एक प्रश्न बना हुआ है उनके पास लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति है। उनका भी उपयोग इस तरह के काम के लिये हो सके तो बड़ा उपकार समाज का होगा। ऐसे सांड रखे जा सकते हैं विकास की तरफ से या अन्य सरकारी स्कीम के मातहत कि जो गोसदन की सम्पत्ति न हो परन्तु जो लोग उनको ले जायं उनसे कुछ पैसा लिया जाय। वह भी एक आय का आधार हो सकता है इन गोसदनों के लिये और उन सांड़ों की देखरेख भी अच्छी हो सकती है बजाय इसके कि उन सांड़ों को खुले अरक्षित छोड़ दिया जाय।

इसमें गोशालाओं का चर्चा किया गया है। मन्त्री जी को कुछ असन्तोष है। उनमें कुछ गड़बड़ी उनको मालूम हुई तो उनका ध्यान उस तरफ गया। उसके लिये व्यवस्था करने के इस विधेयक में कुछ प्राविजन किये गये हैं। मैं भी यह चाहता हूं कि इस विधेयक को और सख्त बनाने की कोशिश की जाय ताकि प्रबन्ध अच्छा हो सके। कुछ और ऐसे सुझाव हैं जिन पर हम कमेटी के अन्दर विचार कर सकते हैं। अगर काफी संख्या में हम गोसदन या गौशाला नहीं खोल सकते तो फिर ऐसे जंगल हमारे यहां हैं, सरकारी फारेस्ट हैं कि जहां पर हम फैंसिंग करके उनको छोड़ सकते हैं कि जिन गायों की आज

समाज में कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। वह वहां रह सकती हैं। हो सकती हैं ऐसी गायें जिनको किसान समझते हैं कि अब यह दूध देने लायक नहीं रह गई हैं, उनके लिये बेकार हो गई हैं, बच्चा नहीं दे सकती हैं, किसी काम में इसके नहीं आ सकती ह तो आधुनिक विज्ञान के आधार पर उनमें फिर कुछ ऐसी जान पैदा की जा सकती है कि वे दूध दे सकें। तो ऐसी गायों का जिनको किसान छोड़ देते हैं बेकार समझ कर, उनका यहां पर अच्छा उपयोग हो सकता है और दूध की समस्या आसपास के दायरे के लिये हल हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों पर एक अच्छे ढंग से सहानुभूति पूर्ण विचार करने के लिये आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति को दे दें। इससे लाभ ही होगा। सरकार को भी अच्छे सुझाव वहां पर मिल जायेंगे तो यह भी एक लाभ ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसकी भावना का स्वागत करते हुए भी मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस को प्रवर समिति में भेजने का संशोधन मान लें।

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर खुशी हुई कि आमतौर पर इस विधेयक का स्वागत किया गया है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस विधेयक के उद्देश्य के सिलसिले में कुछ गलतफहमी है। पेश्तर इसके कि मैं उन गलतफहमियों का जिक्र करूं मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द करना अनावश्यक समझता हूं। अगर आवश्यकता होती तो मैं बड़ी खुशी से इसको शुरू में ही स्वीकार कर लेता। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं वह बहुत ही सीमित हैं और मेरे मित्र माननीय फूलसिंह जी ने, जो पशुपालन के सम्बन्ध में अनेक समस्यायें हैं, उनका जिक्र किया और हमारे मित्र, झारखंडे राय जी ने जिनकी तरफ संकेत किया, उन सब का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। पशुपालन के सम्बन्ध में बहुत सी समस्यायें हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन पर कुछ मनन किया। मेरे पास यह महकमा १९५१ से १९५४ तक रहा और फिर दो, तीन साल से इसकी जिम्मेदारी मेरे पास आ गयी है। एक बोर्ड है एनीमल हस्बेंड्री का। कुछ विशेषज्ञ उसके मेम्बर हैं, कुछ विधायक हैं, और कुछ ऐसे लोग उसके मेम्बर हैं जो पशु पालन में विशेष रुचि रखते हैं और जिनको विशेष ज्ञान हासिल है। उस बोर्ड की मीटिंग साल में तीन, चार बार होती है और तीन-तीन दिन तक मीटिंग होती है और उसमें इन समस्याओं पर विवाद होता रहता है। मैं वहां उस विवाद को जल्दी समाप्त नहीं करता और मैं यहां अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे और सदन चाहें तो इस विषय पर विचार करने के लिये एक दिन, दो दिन या एक सप्ताह का समय दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जैसा सदन और स्पीकर साहब तय करें, मुझे स्वीकार होगा, लेकिन यह विषय उन सारी समस्याओं पर गौर करने का है नहीं। इस बिल का लिमिटेड आब्जेक्टिव है और उन समस्याओं पर कोई प्रभाव इस बिल के पास करने न करने का पड़ने वाला है नहीं। यह हो सकता है कि इस बिल के पास करने से जो समस्यायें हैं वे कुछ हद तक हल हो जाती हैं, लेकिन कोई बड़ा असर उन पर पड़ेगा नहीं इसलिये कोई पेचीदगी इसके पास करने से आने वाली नहीं है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि यह बिल पास किया जाय और जहां तक सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात है मैं कहना चाहता हूं कि यह कौंसिल से पास होकर आया है। १०२ मेम्बर वहां भी हैं और किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया तो अगर हम दूसरे आब्जेक्टिव पर गौर करें तो फिर कोई सुझाव या संशोधन को इस बिल में आवश्यकता रहती नहीं। जो गलतफहमी है उसकी वजह से यह जरूरत महसूस की जा रही है कि यह सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। समझा यह जा रहा है गवर्नमेन्ट ने कुछ कैटिल फार्म्स कायम किये हैं और गवर्नमेंट कुछ नयी गोशालायें चलाने जा रही है और इसलिये उनकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसा हरगिज नहीं है। गोशालायें असरकारी संस्थायें हैं और हम उनको असरकारी ही रखना चाहते हैं। उनको केवल थोड़ी-सी मदद देकर थोड़ी-सी उनको गाइडेंस देकर इस तरीके से कि जो रुपया उन के लिये ट्रेडर्स वसूल करते हैं वह उनके पास ही पहुंच जाय और बेईमान लोग गोशालाओं का रुपया खा न जांय उनके प्रबन्ध को ठीक करना चाहते हैं और इसके लिये हमने एक रजिस्ट्रार की व्यवस्था की है, वह उनका काम देखेगा। यह हमारा लिमिटेड

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

आब्जेक्टिव है। न हम इसके अलावा उनके यहां गायें भेजना चाहते हैं और न हम पशुपालन में उनमें कुछ वृद्धि करना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा दखल हम उनमें देंगे हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ती जायगी। अगर हमें वैसा करना हो तो हम अपने आप ही डेरी क्यों न खोल लें। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट इनीशियेटिव बना रहे और लोग धार्मिक भावना से गोशालायें खोलते रहें। हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम उनके बीच एक बेलेंस लाना चाहते हैं। उनकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इतनी सहायता नहीं करना चाहते कि हम फंस जायं और उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाय। यह एक सीधी-सी बात है।

वैसे उन समस्याओं का जिक्र मैं नहीं करना चाहता जिनका जिक्र यहां माननीय फूल सिंह जी ने किया। यह ठीक है कि वे समस्यायें हैं और विशेष समस्यायें हैं। एक एक समस्या पर काफी समय विचार करने पर भी उनका हल निकलेगा इसकी संभावना नहीं दीखती, लेकिन उसके लिये आप अलग से समय रख सकते हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा विकास और काउ डेवलपमेंट की बात हुई, उसका यहां जिक्र नहीं करना चाहता।

रियासत हुसैन, सियासत हुसैन, या क्या नाम है, मुझे मालूम नहीं,---शायद मुस्तफा हुसैन है.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुमताज मुहम्मद खां।

श्री चरणसिंह---

उन्होंने कहा कि वेटरिनरी सर्विस होनी चाहिए, स्ट्रे कैटिल गोशाला में रखने चाहिये प्रमुख को इंसपेक्शन करने का अधिकार होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। ये जितनी "चाहिये" वाली बात हैं उनसे कोई वास्ता इस बिल का नहीं है। वेटरिनरी सर्विस कोई गोशाला की अलग होगी? यह एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट सारा वेटरिनरी सर्विस है, उससे गोशाला भी फायदा उठा सकती है जैसा कि और प्राइवेट व्यक्तियों के लिये है। उनके लिए अलग रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कौन वेटरिनरी सर्विस रखेगा, कहां से पैसा आयेगा? दूसरा सुझाव था कि पास्चर लैंड होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जमीन कहां से आयेगी? कितनी जमीन है इस सूबे के अन्दर? कितना कल्टीवेटेड एरिया है, कितने किसान हैं, कितना अनकल्टीवेटेड एरिया है? कहां से जमीन आये? अक्सर व्याख्यान सुनता रहता हूं कि गवर्नमेन्ट को चाहिए कि हर गांव का चौथाई हिस्सा पास्चर के लिए सुरक्षित कर दे। लेकिन प्रायरिटी पशु के लिये हो या मनुष्य के लिए? अव्वल तो हमारे यहां हैं ही नहीं। ग्रेजिंग ग्राउंड भले ही कह लीजिये। गवर्नमेन्ट कहां से दे सकती है गोशालाओं के लिये? वह स्वयं प्रबन्ध करें अपना, हम कुछ नहीं कर सकते।

तीसरी बात यह कही गयी कि स्ट्रे कैटिल फिरते हैं, वह गोशाला में रखे जायं। अगर हम उनसे कहें कि हम तुम्हारे यहां १०० भेजे देते हैं तो कहेंगे कि खर्चा दीजिये। पैसा कहां से आयेगा? गोसदन में जो जानवर रखे जाते हैं उनकी फीडिंग के लिये भी जमीन की आवश्यकता है। अगर ऐसी जमीन होती तो अब तक उसमें हल चल जाता, वह तो जेर-काश्त हो गयी होती तो ऐसी जमीन नहीं है। बरसात के महीनों में बारिश होने पर घास हो जाती है, ८ महीने घास नहीं उगती। तो फिर चारा बोवें, फिर बाकायदा आबपाशी करके उसमें बीज डालें, जोतें और बोयें, ऐसी जमीन है कहां?

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री चरणसिंह---

मैं ईल्ड करने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरे पास कुल पांच मिनट हैं। मैं खुद आप के कमरे में आ जाऊंगा। तो मैं यह कहना चाहता था कि हमारी जितनी कठिनाइयां हैं सबकी जड़ में एक हाई फ़ैक्ट है कि आदमियों और जानवरों की आबादी बढ़ती जाती है और जमीन का रकबा वहीं का वहीं है। माननीय मित्र ने जो एम० एल० एज० और प्रमुख की विजिट की

बात कही तो कौन मना कर रहा है ? उसमें कानून बनाने की क्या जरूरत है, वह तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हम से क्या मतलब है ? कनफ्यूजन यह हो रहा है कि वह यह समझते हैं कि गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। वहां का मैनेजमेंट आप को दिखाये या न दिखाये यह उनकी बात है। कहा गया कि साइंटिफिक फीडिंग का जिक्र नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वह विधेयक के २१ खंड को सफा ९ पर देखें। मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनके पास विधेयक की कापी हो तो सफे ९ पर खोल लें और खंड २१ देखें। उसमें लिखा है:—

"२१—निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकते हैं जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हो :—

(१) गोशाला में अभिजनन के लिये कुशल प्राविधिक प्रबन्ध की व्यवस्था और उसका पर्यवेक्षण,

(२) गोशाला में अभिजनन को उसके अन्य कार्यकलापों से पृथक् करना और ऐसे कार्य का नागर क्षेत्रों से ग्राम क्षेत्रों में संक्रामित करना,

(३) सांड़ों का अभिजनन के प्रयोजनों के लिये गौशाला से किसी अन्य स्थान को भेजना,

(४) गौशाला में अभिजनन से सम्बन्ध अभिलेखों का रखना और उनका प्रबन्ध करना,

(५) अभिजनन के प्रयोजनों के लिये नर और मादा दोनों पशुओं को अलग रखना, और

(६) गोशाला में पशु चिकित्सा और निरीक्षण।"

तो साइंटिफिक ब्रीडिंग के लिये गवर्नमेन्ट जितनी भी मदद कर सकती है उनका विशेष रूप से प्रबन्ध करना चाहती है। अब मुस्तफा साहब ने कहा.....

श्री अध्यक्ष—

उनका नाम मुमताज मुहम्मद खां साहब है।

श्री चरणसिंह—

मेरी समझ में मुस्तफा शब्द तो मुमताज से ज्यादा अच्छा है। (हंसी) तो मुमताज साहब ने कहा कि दूकानदारों की वसूली में २० परसेंट तक रखने की जो इजाजत दी जा रही है वह ज्यादा है। उनका फरमाना यह था कि क्या जरूरत है ? दूकानदारों की आदत पड़ गयी है इस रुपये को धार्मिक भावना के नाम पर वसूल करने की लेकिन ६० परसेंट दूकानदारों की यह आदत पड़ी हुई है कि रुपया वसूल करके अपने पास रखने की। पर हम जब उस रुपये को लेंगे तो हम उस की धार्मिक भावना के साथ यह भी जोड़ना चाहते हैं कि कमीशन का रुपया तुमको मिलेगा लेकिन तुम जो रुपया जनता से चन्दे के रूप में गौशाला के नाम पर लेते हो उसे दे दो। अब तक लाजिमी नहीं है कि वह रुपया जमा ही कर दे। वह धार्मिक भावना से वसूल करता है और धार्मिक भावना का यह भी तकाजा है कि जो रुपया वसूल हो वह गोशाला में जाय। बहुत से लोग गोशालाओं का रुपया ईमानदारी से दे देते हैं लेकिन इस बिल की जरूरत नहीं होती अगर सब दे दिया करते। कानून की जरूरत ही उन लोगों के लिये होती है जो ईमानदारी से काम नहीं करते। अगर मुमताज साहब गौर करें तो गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती ही इसीलिये है कि दूसरे के हक को दबाते हैं और जायज बात को नहीं करते। गवर्नमेंट की जरूरत ही न होती अगर सब अपने फरायज का अंजाम देते। क्योंकि कुछ नहीं देते इसलिये कानून है। तो यह २० फीसदी का आकर्षण कहिये, इंसेंटिव कहिये या मजदूरी कहिये है। लाइफ के प्रैक्टिकल व्यू को देखते हुये यह जरूरी है, इसलिये यह है। अगर वह न करे तब क्या हो ? हम किसानों पर जबर्दस्ती करें कि जो बेचने आवे वे और उसके लिये राज्य कर्मचारी रखें कि वह वसूल करें। वह हमारा काम यों ही

[श्री चरणसिंह]

कर देते हैं, गौलाशा के लिये पैसा इकट्ठा करते हैं। तो हम उनके वेजेज कहें या उनके लिये इंसेंटिव कहें यह बहुत जरूरी है। ३९ गोशालायें जिनको हम अच्छी कह सकते हैं उनके लिये गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है वह समय नहीं है लेकिन हम उनको इमदाद देते हैं।

इन शब्दों के साथ मेरी गुजारिश यह है कि इस को प्रवर समिति में भेजना अनावश्यक है। अगर आवश्यक होता तो मैं स्वयं उसको स्वीकार कर लेता। आखिर में मैं अर्ज करता हूं कि जो मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय और जो प्रवर समिति का संशोधन है, उसको न स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड २

परिभाषाएं

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में--

(१) "पशु" का तात्पर्य गाय या उसकी सन्तति से है;

(२) "निदेशक" का तात्पर्य पशु पालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी हैं जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये नियुक्त करे;

ऐक्ट संख्या २१, १८६०

(३) "संघ" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ से है तथा उक्त संघ के संगठन के पूर्व सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबद्ध (रजिस्टर्ड) यू० पी० स्टेट फेडरेशन आफ गोशालाज और पिंजरापोल्स से है;

(४) "गोशाला" का तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित की गयी हो;

(५) "गोशाला की संपत्ति" का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो गोशाला के उपयोग और लाभ के लिये न्यास में निहित हो या न्यास धृत हो तथा जिसके अन्तर्गत धारा ११ के अधीन गोशाला को देय कोई धनराशि भी है और उसके अन्तर्गत गोशाला में रखे गये पशु भी हैं;

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(७) "निबन्धक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गोशालाओं के निबन्धक से है ;

(८) "विनियम का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(९) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(१०) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और

(११) गोशाला के संबंध में "न्यासी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से है, भले ही वह किसी भी नाम से (designation) से जाना जाता हो, जिसमें गोशाला या उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध निहित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी जो इस प्रकार उत्तरदायी हो, मानो वह न्यासी ही हो ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (१) में "गाय या उसकी" के स्थान पर "गाय, भैंस या उनकी" रख दिये जायं । इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारण में लिखा है कि "गोशालायें अशक्त पशुओं के रख रखाव का कार्य कर रही हैं ।" यह महसूस किया जाता है कि इन संसाधनों को उचित रूप से काम में लाकर और उचित रूप से उनका उपयोग करके ये संस्थायें वैज्ञानिक रीति से पशु प्रजनन की प्रोन्नति तथा जिन क्षेत्रों में वे स्थित हैं वहां दूध व दूध की बनी चीजों की स्थानीय मांग को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं । दूध के लिहाज से भैंस गाय के मुकाबले में अधिक महत्व रखती है और पशु का मतलब केवल गाय ही नहीं होता है । इसलिये पशु के तात्पर्य में भैंस और उसकी संतति को भी रख दिया जाय तो, अच्छा हो ।

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं इसलिये कि गोशालायें, जो समाज-सेवी संस्थाओं ने स्थापित की हैं, वे केवल गाय, सांड या बैल के लिये हैं । वे भैंसों के लिये नहीं हैं और इस विधेयक का संबंध गोशालाओं तक सीमित है । इसलिये यह संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर है और स्वीकार्य नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरी समझ में यह नहीं आया कि फिर पशु का तात्पर्य बताने की क्या जरुरत थी । सीधा गाय रख देते ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस विधेयक का गाय और बैल से ही सम्बन्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखंड (१) में "गाय या उसकी" के स्थान पर "गाय, भैंस या उनकी" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रघुनाथ सिंह—

मैं इस आशा के साथ कि शायद मंत्री जी इस संशोधन में दुराग्रह न दिखलावेंगे यह प्रस्ताव रखता हूं कि खंड २ के उपखंड (११) में "उत्तरदायी" के स्थान पर "पशुपालन निदेशक द्वारा उत्तरदायी बनाया गया" रख दिया जाय।

न्यासी की परिभाषा में किसी नियम या रीति का उल्लेख नहीं है। फिर उत्तरदायी का निर्णय कैसे किया जायगा? गोशालाओं के संबंध में यह एक झगड़े की सी स्थिति पैदा हो जायगी और मुकदमेंबाजी बढ़ सकती है। इसलिये मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, न्यासी की परिभाषा साफ है। गोशाला के प्रबन्धकर्ता ही जिम्मेदार रह सकते हैं, निदेशक नहीं हो सकता। अगर ये संस्थायें सरकारी होतीं तो उनका कहना ठीक था। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

जब मंत्री जी का मतलब केवल प्रबन्ध समिति से है तो जैसे और बिलों में समिति के निर्माण की धारायें आती हैं वैसे यहां भी यह प्राविधान होना चाहिये था। यहां शब्दावली बहुत ही अस्पष्ट है जिससे गड़बड़ी पैदा होने की संभावना है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

गोशालायें रजिस्टर्ड होती हैं और उनका प्रबन्ध भी रजिस्टर्ड बाडीज करती हैं। इसलिये उसका जिम्मेदार निदेशक नहीं हो सकता और न वह किसी को बना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखंड (११) में "उत्तरदायी" के स्थान पर "पशुपाशन निदेशक द्वारा उत्तरदायी बनाया गया" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३—७

संघ

३—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक संघ स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश गोशाला संघ कहलायेगा।

(२) संघ में गोशालाओं के न्यासियों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचन किये गये उतने व्यक्ति होंगे जितने नियत किये जायें।

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई भी व्यक्ति न्यासी न समझा जायगा यदि उसका नाम न्यासी के रूप में प्रदेश गोशाला रजिस्टर में उस दिनांक में प्रविष्ट न हो, तो राज्य सरकार इस विषय में गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे।

गोशालाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत

४—(१) गोशाला का न्यासी, निबन्धक को एक विवरणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगीं :—

(क) गोशाला का नाम और पता;

(ख) गोशाला की स्थापना का दिनांक और उसे स्थापित करने की रीति; करने का दायित्व

(ग) गोशाला के न्यासी का नाम और पता और यदि न्यासी व्यक्तियों का कोई समुदाय हो तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम व पते ;

(घ) न्यासी का उत्तराधिकारी होने की रीति;

(ङ) गोशाला की संपत्ति का विवरण ;

(च) उस वर्ष के, जिसमें विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाय, ठीक पूर्व तीन वर्षों में गोशाला की सकल वार्षिक आय यदि कोई हो;

(छ) उक्त आय का स्रोत;

(ज) खंड (च) में अभिदिष्ट अवधि में यदि गोशाला के संबंध में कोई व्यय किया गया हो तो वह व्यय; और

(झ) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायें

(२) विवरण-पत्र पर नियत रीति से हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा तथा उसके साथ निम्नलिखित होंगे :—

(क) यदि कोई ऐसा लेख्य हो जिसके द्वारा गोशाला स्थापित किया गया हो तो उसकी एक प्रति;

(ख) उस लेख्य की एक प्रति जिसमें गोशाला का प्रबन्ध और न्यासधारिता में उत्तराधिकार को विनियमित किया गया हो, और यदि ऐसा लेख्य उपलब्ध न हो तो ऐसा ज्ञापन जिसमें गोशाला के उद्देश्य और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने की रीति दी जाय; और

(ग) यदि गोशाला के लेखे की संपरीक्षा हो गयी हो तो लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम पक्के चिट्ठे (balance sheet) की एक प्रति।

(३) उक्त विवरण-पत्र, गोशाला की स्थापना के या संबद्ध क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से, इसमें जो भी पश्चाद्वर्ती हो, तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक लिखित कारणों द्वारा विवरणपत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा सकता है।

गोशालाओं का निबन्धन

५—प्रत्येक ऐसी गोशाला का विवरण, जिसके संबंध में धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार, विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाय, इस विषय में रखे गये एक रजिस्टर में, जिसे "प्रदेश गोशाला रजिस्टर" कहा जायगा, दर्ज किया जायगा और नियत प्रपत्र में एक निबन्धन प्रमाण-पत्र उक्त प्रत्येक गोशाला के संबंध में जारी किया जायगा।

प्रदेश गोशाला रजिस्टर

६—(१) निबन्धक नियत प्रपत्र में प्रदेश गोशाला रजिस्टर रखेगा।

(२) प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से दिये जावेंगे जो नियत किये जायें।

प्रदेश में गोशाला रजिस्टर की प्रविष्टियों का संशोधन

७—(१) धारा ५ के अधीन निबद्ध गोशाला से संबद्ध किसी विवरण में जब कोई परिवर्तन हो जाय, तो गोशाला का न्यासी ऐसे परिवर्तन के तीन मास के भीतर, उसकी सूचना निबन्धक को देगा।

(२) उस सूचना पर, नियत रीति से, हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा ।

(३) निबन्धक उपधारा (१) के अधीन सचना प्राप्त होने अथवा उन तथ्यों पर उनकी ओर उसका ध्यान अन्य प्रकार से आकृष्ट हो और ऐसी जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, प्रदेश गोशाला रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में संशोधन कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ से ७ तक इस विधेयक के अंग माने जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-८

निबन्धक द्वारा जांच

८—(१) निबन्धक, किसी भी समय, या तो स्वंय, या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर गोशाला के संबंध में निम्नलिखित बातें सुनिनिश्चत करने के लिये नियत रीति से जांच कर सकता है :—

(क) न्यासी का नाम और पता, और यदि न्यासी अनेक व्यक्तियों का समुदाय हो तो उक्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता;

(ख) न्यासधारिता में उत्तराधिकार की रीति;

(ग) गोशाला की संपत्ति का विवरण; और

(घ) आय और व्यय तथा ऐसी आय का स्रोत;

ऐक्ट संख्या ५,१९०८

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक जांच में निबन्धक, जांच का एक नोटिस पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा एक नोटिस प्रदेश गोशाला रजिस्टर में गोशाला के न्यासी के रूप में दर्ज व्यक्ति पर तामील करायेगा और उन्हें सुनवाई का अवसर देगा। नोटिस ऐसे अन्य व्यक्तियों पर भी तामील किया जायगा और ऐसी रीति से प्रकाशित भी किया जायेगा जो नियत किये जायें ।

(३) इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिये निबन्धक को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी बात पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ वा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने या लेख की जांच करने के लिये कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों।

(४) जांच की समाप्ति पर निबन्धक जांच से संबंधित किसी विषय के बारे में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और इस प्रकार दी गयी आज्ञा, जब तक सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा समाप्त न कर दी जाय, अन्तिम तथा बंधनकारी होगी ।

श्री रघुनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) में तीसरी और चौथी पंक्ति में आये हुये शब्द समूह "किसी अधिकारी द्वारा नीचे के पद का न हो" के स्थान पर "जिला पशुधन अधिकारी द्वारा" रख दिया जाय ।

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि गोशालाओं के संबंध में ४ मुद्दों पर अगर कोई अनुचित बात हो तो निबन्धक के यहां प्रार्थना-पत्र देने की बात कही गयी है । उसमें "पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो," तक की बात कही गयी है । इसके नीचे चार मुद्दे रखे गये हैं । मेरा विचार है कि अगर एक ही अधिकारी रहेगा तो वह अपनी जिम्मेदारी अनुभव करेगा । साथ ही किसी पशुशाला से संबंधित जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला पशुधन अधिकारी होगा । इसलिये उसको ही यहां जिम्मेदार निश्चित कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । उसको ही जिम्मेदार बना दिया जायगा तो ज्यादा जिम्मेदारी और अनुभव के ढंग पर काम हो सकेगा ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी मालूम पड़ती है । आप देखेंगे कि इसमें हमने न केवल जिला पशुधन अधिकारी का ही पद रखा है, बल्कि डिप्टी डायरेक्टर और एडीशनल डायरेक्टर का पद भी रखा है, वे भी अगर कोई शिकायतें आयेंगी तो निबंधक के नोटिस में ला सकते हैं । लेकिन माननीय सदस्य उसको केवल जिला पशुधन अधिकारी तक ही सीमित कर देना चाहते हैं । इसलिये मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है । मैंने तो यह बताया कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला पशुधन अधिकारी होता है इसलिये उसकी जिम्मेदारी कर दी जायेगी तो काम अच्छा होगा, लेकिन अगर ५० आदमियों को काम सौंप दिया जायगा तो जिम्मेदारी बंट जाने के कारण, जो अधिनियम का उद्देश्य है, वह सफल न होगा ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, किसी अधिकारी की जिम्मेदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता । अगर उसके नोटिस में कोई बात आ जाय तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह निबन्धक को बताये । इसी तरह से ऊपर के भी अधिकारी कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) में तीसरी और चौथी पंक्ति में आये हुये शब्द समूह "किसी अधिकारी द्वारा नीचे के पद का न हो" के स्थान पर "जिला पशुधन अधिकारी द्वारा" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड-९

९—(१) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, धारा ५ के अधीन निबद्ध प्रत्येक गोशाला का न्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निबन्धक को, पिछले वित्तीय वर्ष में गोशाला की सकल आय के ५ प्रतिशत से अनधिक ऐसा शुल्क देगा जो निबन्धक संघ के परामर्श से और राज्य सरकार की स्वीकृति से निश्चित करे ।

शुल्क जो प्रत्येक गोशाला के न्यासी द्वारा दिया जायगा

(२) उक्त शुल्क ऐसी रीति से और ऐसे दिनांक या दिनांकों को देय होगा जो निबन्धक समय-समय पर निश्चित करे ।

(३) शुल्क के रूप में होने वाली सभी प्राप्तियां एक निधि में जमा की जायेंगीं जो प्रदेश गोशाला निधि कहलायेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, मैं इस खंड ९ का विरोध करता हूं । जहां तक मैं समझता हूं इस खंड का इस विधेयक में रहना बिलकुल उचित नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि आज हमारी जो गोशालायें हैं, उनकी माली हालत सही नहीं है, सरकार उन्हें ग्रान्ट्स भी देती है और चन्दे से उनका काम चलता है, यह विधेयक जब ऐक्ट बन जायगा तो इसके लागू होने पर जो व्यवस्था होगी उसमें इन गोशालाओं के खर्चे का बार इस खंड से डाला जा रहा है । मैं समझता हूं कि उसके लिये यह कोई सही बात हो ही नहीं सकती, यह बिलकुल गलत है और इस पर मुझे महान आपत्ति है । किस वजह से इतने अच्छे विधेयक में इस खंड को लाया गया है यह मैं अभी तक नहीं समझ पाया । आखिर जो संस्थायें धार्मिक भी हैं, दान से भी चलती हैं, माना कि वे थोड़ी सी ही रही हैं, उनकी जो आमदनी है ज्यादा से ज्यादा उसके ५ प्रतिशत तक उन पर यह बार डाला सकता है, लेकिन यह बिलकुल उचित नहीं है, लिहाजा मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संघ बनेगा प्रदेश के समस्त गोशालाओं का, उसका संचालन भी उसी को करना है । अगर सारे प्रदेश की इन गोशालाओं का संगठन एक ढंग से करना है, और उनकी व्यवस्था करनी है तो उस संस्था के संचालन के लिये आवश्यक है कि वे कुछ न कुछ दें । इसीलिये ५ प्रतिशत तक देने की बात पिछले वर्ष की बैलेन्स शीट, आमदनी के आधार पर रखी गयी है । हम सभी लोगों को इस बात का अनुभव है कि स्वंयसेवी संस्थाएं बगैर इसके नहीं चलतीं और उनका जो बड़ा संगठन होता है उसके लिये भी कुछ न कुछ देना पड़ता है । तो यह संगठन गोशालाओं का अपना संगठन है, अपना फेडरेशन है और उस पैसे को सरकार नहीं ले रही है । उन्हीं के काम को चलाने के लिये फेडरेशन बनेगा और वह पैसा उन्हीं के काम में आयेगा । इसलिये यह रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह उचित ही रखा गया है जिससे उसकी व्वयस्था ठीक प्रकार से हो जावे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । ५ प्रतिशत जो गोशालाओं की आमदनी से लिया जायगा उसकी उगाही कौन करेगा ? इसको प्राप्त करके उस फेडरेशन को ही देना है, यदि सरकार उसकी उगाही करके उसके इस्तेमाल में लावे तो उचित है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, गोशाला संघ का एक रजिस्ट्रार होगा और उसकी देख रेख में ही इन गोशालाओं की सारी व्यवस्था होगी । प्रत्येक गोशाला की एक प्रबंधक समिति होगी जो अपने सालाना खर्चे का एक स्टेटमेंट निबन्धक को पेश कर देगी । इस तरह का प्राविधान इस विधेयक में कर दिया गया है उससे इसके आय व्यय का पता चलता रहेगा कि इतनी आय होगी, इतना खर्चा होगा और इतना उनको संघ को देना है । सारी बातों का उससे पता लगता रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १०

लेखे रखना और उनकी संपरीक्षा

१०—(१) धारा ५ के अधीन निबद्ध गोशाला का न्यासी, गोशाला की सभी परिसंपत्तियों और दायित्वों तथा प्राप्तियों और व्यय का नियमित रूप से लेखा-जोखा रखेगा ।

(२) उक्त लेखा ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे विवरण दिये रहेंगे जो नियत किये जायें ।

(३) प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च की समाप्ति पर लेखे की रोकड़ बाकी निकाली जायगी और प्रति वर्ष उसकी वार्षिक जांच तथा संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से की जायगी जो नियत की जाय ।

(४) उपधारा (३) के अधीन लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये प्रत्येक लेखा परीक्षक, गोलाशा से संबद्ध सभी ऐसे लेखों, पुस्तिकाओं, बीजकों और लेख्यों को देख सकेगा जो गोशाला के न्यासी के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन हों ।

(५) उस दिनांक से, जब लेखों की रोकड़बाकी निकाली जाय तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो निबन्धक लेखबद्ध कारणों द्वारा प्रदान करे, प्रत्येक गोशाला का न्यासी निबन्धक को लेखे का एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसमें ऐसे विवरण दिये जायेंगे जो नियत किये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

गोशाला का क्षेत्र और व्यवसायी तथा व्यापारियों में दायित्व

११—(१) संघ, निदेशक से उस क्षेत्र के संबंध में सिफारिश करेगा जिसमें कोई गोशाला या गोशालायें कार्य करेंगीं, और निदेशक या तो उस सिफारिश को स्वीकार कर लेगा और तदनुसार क्षेत्र निश्चत कर देगा अथवा उस मामले को राज्य सरकार को अभिदिष्ट करेगा और उसके निर्णय के अनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा ।

(२) कोई व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से अपने कारोबार-स्थल के क्षेत्र की गोशाला या गोशालायें, यदि एकसे अधिक हों, से भिन्न किसी अन्य गोशाला के लाभार्थ कोई परिव्यय या दान प्राप्त अथवा वसूल नहीं करेगा ।

(३) प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से—

(क) गोशाला या गोशालाओं के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का पूरा, और

(ख) 'धर्मादा' या पुण्य 'खाता' जैसे अनिर्दिष्ट धर्मार्थ प्रयोजन का लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का आधा;

ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, उस क्षेत्र में कार्य करने वाली गोशालाओं के न्यासधारियों को भुगतान करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान करने के पूर्व अपने द्वारा इस उपधारा के अधीन देय धनराशि में से वह बीस से अनधिक उस प्रतिशत के हिसाब से, जो नियत की जाय, वसूली व्यय काट लेगा।

स्पष्टीकरण—जब किसी क्षेत्र में एक से अधिक गोशालायें कार्य कर रही हों तो निदेशक उनमें वितरित की जाने वाली प्राप्तियों तथा वसूलियों के अनुपातों को निश्चित करेगा।

श्री रघनाथसिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैं यह संशोधन उपस्थित करताहूं कि खंड ११ के उपखंड (३) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में "का लाभार्थ" के स्थान पर "के लिये" रख दिया जाय।

यह संशोधन भाषा संबंधी है और भाषा के हिसाब से 'का लाभार्थ' गलत है और अशुद्ध है, याकरण की दृष्टि से "का" अशुद्ध है "प्रयोजन का लाभार्थ" उचित नहीं है। 'प्रयोजन' के शब्दार्थ में 'लाभार्थ' की अर्थ ध्वनि स्वयं निहित है, अतः 'प्रयोजन के लिये' रखने से अर्थ शुद्ध निकल आयेगा और शब्दावली भी ठीक हो जायगी। असावधानी से हिन्दी भाषा को इस प्रकार से अशुद्ध करने का विभाग के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है। मंत्री जी के प्रदेश की यह भाषा है और उन्हीं के क्षेत्र की भाषा, खड़ी बोली का विकसित रूप है। इस को मान लेने में कोई हेठी की बात नहीं है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष जी डाक्टर साहब का कहना है कि इस में व्याकरण की गलती है, मैं तो यह समझता हूं कि इसमें जो लिखा गया है वही पूर्ण है और उस में किसी प्रकार की कमी नहीं है। 'प्रयोजन के लाभार्थ' का मतलब है जिस उद्देश्य से काम किया गया है उस के लाभ के लिये यह ठीक ही है।

श्री रघुनाथसिंह—

हर बात में हठ दिखाना ठीक नहीं है। इस में लाभार्थ संबंधान कारक है 'लाभार्थ' माने लाभ के लिये। और यह 'प्रयोजन' का संबंधवाचक है। जब सम्बन्ध वह विभक्तियुक्त होता है तो 'का' के स्थान पर 'के' हो जाता है। आप हिन्दी भाषा को बिगाड़ने का काम करें तो बात दूसरी है। 'का लाभार्थ' गलत है, आप चाहे जिस वैयाकरण से पुछवा लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरा खयाल है...

श्री रघुनाथ सिंह—

इसमें खयाल का प्रश्न नहीं है, यहां प्रश्न शुद्ध भाषा का है केवल, व्याकरण के हिसाब से 'का लाभार्थ' अशुद्ध है।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब तो संस्कृत के विद्वान् हैं, मैं तो संस्कृत नहीं जानता केवल दर्जा ८ तक पढ़ी थी और वह भी भूल गया। लेकिन विधेयक में जो शब्द है कि 'गोशालाओं के लाभार्थ' वह अच्छे और ठीक लगते हैं लेकिन वह कहते हैं 'के लिये' कर दिया जाय।

श्री रघुनाथसिंह—

आप ठीक बोल गये, यही तो मैं चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—

हमारी कापी में तो 'के लाभार्थ' ही हैं। अगर उन की कापी में प्रिंटिंग की गलती है तो ठीक है उसे ठीक कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री रघुनाथ सिंह से) उन्होंने आश्वासन ने दिया है, आप वापस ले लीजिये।

प्रिन्टिग मिस्टेक कहते हैं तो ठीक हो जायगी। आप अपने संशोधन को वापिस ले लीजिये।

श्री रघुनाथसिंह—

मंत्री जी आपसे.....।

श्री चरणसिंह—

मेरा सुझाव यह है कि इस तरह से मान लिया जाय कि उनकी जो प्रति है उस पर 'का' के स्थान पर 'के' मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रति है वह ही तो औथराइज्ड प्रति है (श्री रघुनाथ सिंह से) अतः आप इसे वापस ले लीजिये।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मेरा संशोधन है कि खंड ११ के उपखंड (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दस" रख दिया जाय।

इस संशोधन के रखने का कारण यह है, जैसा कि बताया गया है कि जहां पर गोशालाएं होंगीं वहां पर व्यापारी कुछ धर्मादा अपने ग्राहकों से वसूल करेंगे और जो वसूल करेंगे धनराशि में से यह प्रतिबन्ध में कहा गया है कि देय धनराशि में से वह बीस से अनधिक उस प्रतिशत के हिसाब से, जो नियत की जाय, वसूली व्यय काट लेगा। यह उनकी वसूली का व्यय है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि एक तो व्यापारी अपनी दूकान पर बैठे बैठे अपने ग्राहकों से वसूल करता है और दान के लिये वसूल करता है और उसे वसूली में कोई व्यय नहीं करना पड़ता है और फिर जब यह धर्मादा दिया गया है तो अधिनियम से उसमें अधिक से अधिक कमाने की व्यापारियों को छूट मिलना मुनासिब नहीं है। यह सही है कि वह निःस्वार्थ भाव से धर्मादा वसूली नहीं करेगा, इसलिये अगर करे, तो एकदम पांचवां भाग उनकी संदूक में चला जाय यह भी मुनासिब नहीं है। इससे शायद यह भी होगा कि वे अपने ग्राहकों को ज्यादा तंग करेंगे। अतः इस २० का आधा कर दिया जाय, अर्थात् १०।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, २० प्रतिशत निश्चित नहीं है, २० तक है। हो सकता है कि उससे कम भी हो और वह १५ अथवा १० हो जाय। ऐसा करने से जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा और गोशालाओं की व्यवस्था मुमकिन है ठीक से न हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों के जरिये से हो जाय।

श्री चरणसिंह—

उससे क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा कहना है कि आखिरी सीमा १० हो या उससे नीचे हो। २० प्रतिशत अर्थात् धर्मादे का १/५ भाग व्यापारी को कानून बना कर देना गोशालाओं के हक में अच्छा नहीं होगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन कर दिया २० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, २० तक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (३) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

यह संशोधन बहुत आवश्यक है और इस विधेयक में कोई चीज अगर बहुत खटकती है है तो यह प्रतिबन्ध है। माननीय मंत्री जी अपने बहुमत पर इस प्रतिबन्ध को भले ही पास करा लें लेकिन जो इस सदन की भावना है वह इसके विरुद्ध है।

जो लोग दान लेते हैं उनको २० प्रतिशत कमीशन दिया जाय यह कहां तक मुनासिब है ? अपने भाषण के समय मैंने इस विषय पर कहा था और मंत्री महोदय ने उसकी वजाहत की। मैंने फिर उसका जबाव देने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य है कि न वह मेरी बात समझे और न मैं उनकी बात समझा। यह प्रतिबन्ध, मेरा फिर कहना है कि बिलकुल गलत है जो व्यापारी धर्मादा वसूल करता है वह अगर इस भावना से वसूल करता है कि एक धार्मिक कार्य कर रहा है तो यह उसकी भावना का अपमान है और जो व्यापारी महज इसको खाने व हजम करने की गरज से वसूल करता है तो उसको २० रुपये प्लेट पर रख कर आप कह रहे हैं और लीजिये। जो आढ़ती लोग एक चीज के आदी हो चुके हैं और पता नहीं सरकार को मालूम है या नहीं, लेकिन अगर सरकारी तौर से नहीं मालूम है तो वैसे जरूर मालूम है कि वे दो-दो खाते रखते हैं। तो फिर धर्मादा के भी दो खाते होंगे। वसूल करेंगे ज्यादा और दिखायेंगे कम। इस तरीके से एक बड़ा हिस्सा वे खा जायंगे और बाकी जो बचेगा उसमें से २० फीसदी और आप प्लेट पर रख कर उन्हें पेश कर देंगे।

श्री चरणसिंह—

आज तो वे एक पैसा भी नहीं देते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

अब रहा सवाल इन्सेन्टिव का। तो यह धर्मादा आज से वसूल नहीं हो रहा है, यह न मालूम कब से वसूल हो रहा है। इसलिये इन्सेंटिव का कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर, २० फी सदी तक देने से क्या इन्सेंटिव पैदा हो जायगा ? लिहाजा मैं यह जरूर आपके द्वारा सदन से और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस प्रतिबन्ध को हटा दें, यह इस विधेयक में खटकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र के जोश की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि मैं पहली बार अपनी बात समझाने में कासिर रहा। जो लोग आज धर्मादा वसूल करते है, मैंने अर्ज किया था कि बहुत से ईमानदार लोग हैं जो सारा पैसा गोशालाओं को देते है, जो गोशालायें चल रही है वे उन्हीं लोगों के बल पर चल रही है। लेकिन जैसा वे खुद मुझको बतला रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं था, कि कुछ लोग ऐसे हैं और काफी तादाद है उनकी जो एक पैसा गोशालाओं को नहीं देते या बहुत कम देते हैं और प्राइवेट काम में उसको लाते है। वह ट्रैडर जो धर्मादा या पुण्यखाता के नाम से पैसा काटता है वह चाहे तो २० फी सदी तक अपने पास रख ले अपनी उजरत के तौर पर।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्यों रख ले ?

श्री चरणसिंह—

सारा दे दे, कौन रोकता है ? हम कहां जबरदस्ती उनकी गांठ बांध रहे हैं। उसमें है 'He may' तो जिन खुदा परस्त लोगों की आपका ख्याल है कि इन्सलट है, तो उनको मैं कह रहा हूं कि उनकी कोई इन्सलट नहीं है। वे चाहें तो एक पैसा न लें। लेकिन कुछ दुनियावी लोग भी हैं। कुछ वे काम करते हैं, कुछ उनके मुनीम काम करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। उनके लिये हम यह कह रहे हैं कि हम रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड कर देंगे कि चाहें तो वे इतना काट सकते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो आपका जोश था उसका कौन सा मौका है इजहार करने का।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मंत्री जी ने जो कुछ फरमाया मैंने उसे काफी तौर से समझने की कोशिश की और मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस खंड के विषय में कुछ अपने विचार माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं यह खंड इस उद्देश्य से सदन के सामने रखा गया कि मंडियों में जो व्यापारी धर्मादा वसूल करते है उसे वे पूरा जमा नहीं करते इसलिये उस पर कंट्रोल किया जाय। यह भावना निहायत अच्छी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें व्यावहारिक दिक्कतें पड़ेंगी और वह इस तरह से पड़ेंगी कि सब मंडियों में धर्मादा गोशाला के लिये वसूल नहीं किया जाता है। मेरे खयाल में बहुत सी मंडिया ऐसी है जहां बड़ी रकम गोशाला के लिये जाती है और बहुत-सी मंडियों ऐसी है, जहां दूर दूर तक गौशाला नहीं हैं और उनके धर्मादा से बहुत-सी संस्थायें चलती हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से सदन के माननीय सदस्य ऐसे हैं जो इन संस्थाओं से संबंध रखते हैं और वे जानते है कि इन संस्थाओं को उस धर्मादे की रकम से सहायता दी जाती है। मेरे यहां एक इंटर कालेज हैं, वहां कोई गोशाला नहीं है, कालेज को काफी सहायता धर्मादा से मिलती है। एक गौशाला वहां से १५–२० मील पर है उसका इस स्थान से रजिस्ट्रेशन हो जाय और अगर आपने यह आज्ञा दे दी कि यह जगह भी उसी क्षेत्र में आती है तो वहां रुपया जाने लगेगा और इसका अर्थ यह होगा कि वह व्यापारी धर्मादा वसूल करना बंद कर देगा।

दूसरी बात यह है कि सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की चोरी होती है। अभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि व्यापारी दो बहीखाते रखते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें चोरी नहीं होगी ? जब चोरी होगी तो जरूरी नहीं है कि व्यापारी इसको वसूल

[श्री जगदीशप्रसाद]

करें। परिणाम यह होगा कि धर्मादा वसूल करना बंद कर देंगे। इससे गोशाला सफर करेंगी और दूसरी ये संस्थायें भी सफर करेंगी और आपको कोई दूसरा प्राविधान करना पड़ेगा या यह कहना पड़ेगा कि हर मंडी में इतना धर्मादा हर व्यापारी को देना जरूरी होगा तो वह भी एक टैक्स हो जायगा। उसके लिये मशीनरी वगैरा रखेंगे तो खर्चा बढ़ेगा।

श्रीमन्, मेरा विचार यह है कि इस सदन में दूसरा विधेयक, कृषि उत्पादन मंडी विधेयक आने वाला है, उसी की कमेटी को यह अधिकार भी दे दिया जाय कि वही धर्मादा को भी देखे कि व्यापारी जो वसूल करते हैं वह सही खर्चा करते हैं या नहीं। यह मेरा विचार था। जो व्यावहारिक कठिनाई थी उसको मैंने सदन के सामने रख दिया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धर्मादा के सिलसिले में जो जिक्र हुआ उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। ऐसा मालूम होता है कि सरकार यह मान कर चलती है कि.....

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है न तो मेरे मित्र जगदीश प्रसाद जी ने और न आपने ध्यान दिया है। आप इसके अल्फाज को देखिये। वे इस प्रकार हैं कि—"गोशाला या गोशालाओं, यदि एक से अधिक हों, से भिन्न किसी अन्य गोशाला के लाभार्थ कोई परिव्यय या दान प्राप्त अथवा वसूल नहीं करेगा।" जो धर्मादा स्कूल के लिए ले रहे हैं वह स्कूल में जायगा। इसमें यह है—"प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से—

(क) गोशाला या गोशालाओं के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का पूरा, और

(ख) 'धर्मादा' का 'पुण्य खाता' जैसे अनिर्दिष्ट धर्मार्थ प्रयोजन के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का आधा;

यानी जो ऐसा पुण्य खाता वसूल किया जाय जिसका आजेक्ट स्पेसिफाइड न हो। उसमें हम कहते हैं कि आधा गौशाले को देंगे। किसी स्कूल के लिए ले रहे हैं, अनाथालय के लिए ले रहे हैं, वह उसको जायगा।

श्री जगदीश प्रसाद—

किसी आब्जेक्ट को स्पेसिफाई करके न लें तब भी धर्मादा ले सकते हैं। लेते हैं धर्मादा करके और देते हैं स्कूल में।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे बात कुछ स्पष्ट जरूर हुई लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि धर्मादा, जो वसूल किया जाता है, जैसा कि माननीय मुमताज मुहम्मद ने कहा उसमें धार्मिक भावना की प्रबलता होती है और उसी भावना से प्रेरित हो कर लोग धर्मादा वसूल करते हैं। उसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्मों में करते हैं, कोई तालाब या कुआं खुदवा देता है, कोई स्कूल को दान कर देता है, कोई गोशाला को दे देता है। ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक भावना से प्रेरित हो कर धर्मादा वसूल करते हैं, अगर इस तरह का प्राविधान किया जाता है तो उनकी भावनाओं को जरूर ठेस लगेगी। जहां तक उन व्यक्तियों का प्रश्न है जो वसूल करके खाजाते हैं, उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और उन पर कुछ कानूनी अड़चने खास तौर पर पैदा करनी चाहिए जिससे वह न खा सकें। वह वर्षों से वसूल करते हैं और वसूल करके तिजारत में उस धन को लगाते

हैं और उससे कमाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आप यह कानून बनाने जा रहे हैं उनसे उस रकम का सूद भी वसूल करना चाहिए किन्तु दुख है कि उल्टे आप उनको कमीशन देने जा रहे हैं। इससे उनको भ्रष्टाचार करने की प्रेरणा मिलेगी। वह वसूल करते रहेंगे। ऐसे लोग जो पूरे धन को अपने व्यापार में खर्च करते हैं उनको २० प्रतिशत की कोई परवाह नहीं होगी। वह पूरा का पूरा खा जायंगे। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान) इस भ्रष्टाचार में आप भी शामिल होने जा रहे हैं। कम से कम सरकार तो इस भ्रष्टाचार से बच जाय।

श्री चरणसिंह—

इसमें इतना ही फर्क है जितना व्यभिचार और शादी में होता है। कानून के जरिये कर दिया तो वह भ्रष्टाचार कहां रहा ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी बुजुर्ग हैं। उनकी बात का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है लेकिन उनके जैसा व्यक्ति व्यभिचार को कानूनी जामा पहना कर निमयानुकूल बना देना चाहता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन फिर भी यह कहना है कि व्यभिचार फिर भी व्यभिचार ही है और शादी एक सामाजिक कांट्रैक्ट है। लेकिन खैर, माननीय मंत्री जी सक्षम हैं, वह किसी भी बुरी चीज को अच्छी चीज में परिणत कर सकते हैं। उसको एक अच्छा सा रूप दे सकते हैं, बढ़िया जामा पहना सकते हैं। लेकिन इधर उन लोगों का यह मत है कि जो चीज धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर की जा रही है, उसको ठेस न पहुंचाइए और जो भी भ्रष्टाचारी है जो इस किस्म के गलत लोग हैं जिनके कारण आपको मजबूर हो कर यह कानून लाना पड़ रहा है उनके ऊपर ऐसा अंकुश रखा जाय कि वह इस किस्म की बदमाशी न कर सकें। इस लिए उनको इस किस्म का एक भी प्रलोभन या लाभ नहीं देना चाहिए और यह २० प्रतिशत की जो बात आपने कही है इससे निश्चित ही उनको प्रेरणा मिलेगी और जो धार्मिक भाव से प्रेरित होकर वसूल करते हैं उनको ठेस लगेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको वापस लें। इसमें कोई लाभ नहीं होना है।

*श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार मैं इस खंड को अपने माननी मित्रों को समझाऊं। मैं पहले अर्ज कर चुका और बीच में भी मैंने कहा कि धार्मिक भावना से, शुद्ध धार्मिक भावना से जो आदमी इस काम को कर रहा है वह सारा रुपया दे देगा। लेकिन दुनियां में दो ही तरह के लोग नहीं हैं कि या तो धार्मिक हों या पूर्णतया अधार्मिक हों। आप तो यह कह रहे हैं कि या तो धार्मिक हैं या पूर्णतया अधार्मिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग बीच में भी होते हैं। जो पूर्णतया अधार्मिक हैं वह बेईमानी करेंगे और ८० प्रतिशत क्या १०० प्रतिशत खा जाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए तो तो रहा कानून। उनका हिसाब देखा जायगा। रजिस्ट्रार एकाउन्ट्स देख सकता है और अगर यह मालूम हुआ कि इसने धर्मार्थ और गौशाला के लिए लिया है तो वह तो हो गया आर्फेंस। लेकिन आदमी अगर केवल धार्मिक भावना से रहे तो वह खाना भी नहीं खा सकता। यह तो मिट्टी और आत्मा दोनों है तब शरीर चलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धर्म भी कमाना चाहते हैं, लेकिन रोटी खाने के बाद भजन कर सकते हैं। तो इसमें कोई बात अधर्म की नहीं हुई और अगर उन्होंने १०० रुपया वसूल किया और ८० रु० या ९५ रुपया या जितना अधिक धार्मिक हो, मैं कहूं कि १०० का ही १०० दे दें, मैंने तय किया कि १० परसेंट बतौर वेजेज के रख सकते हैं, तो १० परसेंट रख कर बाकी ९० परसेंट दे दें, ८० परसेंट दे दें तो इसमें उनका अपमान या उनकी धार्मिक भावनाओं का कहीं असम्मान हो, यह मेरी समझ में बात नहीं आ रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

भ्रष्टाचार की बाबत मैंने कहा कि जो बात समाज की राय के विरुद्ध होती है, कानून के खिलाफ होती है, वह भ्रष्ट आचरण हुआ और जो बात सोसाइटी को स्वीकार हो, सर्वसम्मत बात हो या आज कल जैसे कि विधान मंडल है, उससे वह चीज तय हो जाय, उसके अनुकूल जो बात की जाय तो उसमें भ्रष्ट आचरण की बात नहीं आती है। व्यभिचार और शादी में यही फर्क है कि शादी में सोसाइटी का सैंक्शन होता है और व्यभिचार में वह सैंक्शन नहीं होता है। इतना ही जरा-सा अन्तर है। और उसमें तो वह बेईमानी की चीज हो जायगी अगर वह एक पैसा भी अपने पास रखे और ९९ दे अगर हम कानून न बनाते, लेकिन कानून के द्वारा २० परसेंट तक रखने का अधिकार दे रहे हैं। सोसाइटी जिसका रेप्रेजेन्टिव विधान मंडल है, उसने इजाजत दे दी तो इसमें कहां वह बात आती है।

अब रही माननीय जगदीश प्रसाद जी की बात, तो इसमें तो यह है कि जो गोशाला के लिए लेगा उसको देना चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं लेगा, नहीं वसूल करेगा, तो न करे वसूल तो न सही। हम तो इन्सेन्टिव भी रख रहे हैं कि २० परसेंट रख सकता है (व्यवधान) नहीं है तो सारा दे दे। अगर कोई आदमी यह चाहता है कि २० प्रतिशत या १० फीसदी रख ले और इस वजह से वह वसूल नहीं करेगा तो तब तो वह एक फीसदी भी नहीं देगा और न वसूल करेगा। हम तो यह कानून बना रहे हैं कि जो कुछ वह पैसा वसूल करे वह गोशाला को देदे। अगर वह इस वजह से वसूल नहीं करेगा तो यह बात समझ में नहीं आ रही है। आप कहते हैं कि मान लीजिये वह किसी कालेज के लिये रुपया ले रहा है। तो वह गोशाला के लिये आधा क्यों दे? इसमें हमने यह किया है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिये अगर वह ले रहा है तो वह ले और किसान देना चाहता है तो किसान दे। यह तो सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाले पैसा देते हैं और पुण्य कमाते हैं दूसरे। पैसा देता है कोई और जाता है किसी के पास। मान लीजिये कि हसनपुर के किसी कालेज के लिये वह पैसा ले रहा है तो यह उस किसान को मालूम हो जाय कि मैं कालेज के लिये पैसा दे रहा हूं। लेकिन जो पैसा किसी विशेष धर्मादे के लिये लिया जा रहा है, किसी स्पेसिफाइड आब्जेक्ट के लिये पैसा लिया जा रहा है तो वह उसमें से ५० फीसदी गोशाला के लिये दे। अब आप कहते हैं कि वह वसूल नहीं करेगा तो अच्छा है वह न करे। जो ईमानदार है वह वसूल करेगा और जिनकी ईमानदारी में कुछ कमी है वह वसूल नहीं करेगा। वह आज भी गोशाला के लिये नहीं दे रहा है। अब इससे किसान का पैसा बच जायगा। जो पैसा उनसे आज मंडियों में वसूल किया जा रहा है उससे वह बच जायंगे। जो लोग ईमानदार हैं, जो कानून पर अमल करना चाहते हैं, वह देंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह धारा सही है और यह रहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—१२—१५

व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत की जायंगी।

१२—धारा ११ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्राप्तियां तथा वसूलियां करने वाला प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी कम से कम छः मास के ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, जिला पशुधन अधिकारी या राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जो नियत किया जाय, नियत प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अपने द्वारा की गयी प्राप्तियों तथा वसूलियों का लेखा देगा।

निरीक्षण के लिये लेखा पुस्तिकाओं का मंगाया जाना

१३—(१) न्यासी के प्रार्थना-पत्र पर या अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर निबन्धक यह सुनिश्चित करने के लिये कि व्यवसायी या व्यापारी ने गोशाला के न्यासी के देय धनराशि का भुगतान कर दिया है अथवा नहीं किसी

भी व्यवसायी या व्यापारी की लेखा पुस्तिकाओं को मंगा सकता है किन्तु ऐसी लेखा पुस्तिकाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति न दी जायगी ।

(२) निबन्धक किसी विशेष मामले में उपधारा (१) के अधीन अपना अधिकार उस अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है जिसे व्यापारी या व्यवसायी ने धारा १२ के अधीन विवरणी प्रस्तुत की हो ।

गोशाला का निरीक्षण

१४—पशुपालन विभाग का कोई अधिकारी जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ यथाविधि अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी गोशाला या गोशाला से संबद्ध किसी स्थान में अपना यह समाधान करने के लिये प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है कि इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का यथाविधि पालन किया जा रहा है या नहीं ।

अनिबद्ध गोशाला के लिए चन्दा एकत्र करने पर रोक

१५—कोई व्यक्ति किसी ऐसी गोशाला के लिये न तो कोई धनराशि एकत्र करेगा और न कोई चन्दा स्वीकार करेगा जो इस अधिनियम के अधीन निबद्ध न हो ।

शास्तियां

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ से १५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

१६—(१) यदि किसी गोशाला का न्यासी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना तदर्थ नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता या ऐसी विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत करता है जिसके बारे में वह जानता है या जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि सारवान विवरण की दृष्टि से वह मिथ्या है तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर एक हजार रुपये से अनधिक अर्थ-दंड का भागी होगा ।

(२) यदि कोई व्यवसायी या व्यापारी धारा ११ और तदर्थ बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं करता या धारा १२ के अधीन नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं करता तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर पांच सौ रुपये से अनधिक अर्थ-दंड का भागी होगा ।

(३) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम या दिये गये आदेश के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर तीन सौ रुपये से अनधिक अर्थ-दंड का भागी होगा ।

(४) न्यायालय, उपर्युक्त किन्हीं उपधाराओं के अधीन दंडाज्ञा देते समय उस अवधि को निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर इस प्रकार सिद्ध-दोष ठहराया गया व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियम, विनियम या दिये गये आदेश के संगत उपबन्ध का पालन करेगा और ऐसा अतिरिक्त अर्थ-दंड भी आरोपित करेगा जो निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें चूक जारी रहे, पचीस रुपये से अधिक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति न्यायालय का यह समाधान कर दे कि ऐसे उचित कारण विद्यमान थे कि वह उस उक्त अवधि के भीतर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो न्यायालय आदेश के अनुपालन के निमित्त उक्त अवधि को बढ़ा सकता है और अतिरिक्त अर्थ-दंड में पूरी-परी या आंशिक छूट भी दे सकता है।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "नहीं करता" और "या ऐसी" के बीच "तो वह दो सौ रुपये से अनधिक अर्थ दंड का भागी होगा" जोड़ दिया जाय।

श्रीमन्, इस धारा १६ की पहली उपधारा में यह बताया गया है कि यदि किसी गोशाला का न्यासी अपना प्रतिवेदन नियत समय पर नहीं देगा या अपने प्रतिवेदन में कोई मिथ्या विवरण देगा तो वह १ हजार से अनधिक के दंड का भागी होगा। दो तरह के अपराध इसमें लिखे गये हैं। नियत समय पर न देना और झूठे प्रतिवेदन देना। दोनों दोषों के लिये कुछ भी भेद नहीं रखा गया है। नियत समय पर प्रतिवेदन न देने के अनेक कारण हो सकते हैं। लाचारी के कारण भी देर हो सकती है। ऐसे और कारण हो सकते हैं जिनमें दो-चार दिन की देर हो जाय। तो इस छोटी-सी गलती के लिये किसी आदमी को एक हजार रुपये तक का दंड दे देना बहुत अधिक है। कोई आदमी यदि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये, अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिये गोशाला के संबंध में विवरण मिथ्या दे तो उसको भी उतना ही दंड देने की सीमा रखी गई है जितनी देर से देने वाले को। जहां पर कोई आदमी किसी मजबूरी की वजह से देर कर देता है तो उसके लिये २०० रुपया तक की सीमा काफी है। उसके लिये २०० रुपये का दंड रख देना काफी होगा। जो मिथ्या दे वह बहुत गलत है और वह भ्रष्टाचार करने का रूप है। उसमें आप एक हजार रुपये तक दंड दें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन नियत समय पर न देने वाले को आप वही दंड देने की बात सोच डालें, इस पर आपको ठंडे दिल से विचार करना चाहिये।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र की जो भावना है मैं उसकी कद्र करता हूं। बात वह सही कह रहे हैं, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि हमने जो जुर्माने की सजा रखी है उसमें अदालत को डिस्क्रिशन दिया है। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं हर केस में। अलग-अलग सरकमस्टांसेज और स्थितियां होती हैं जिनको कानून में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिये अदालत को अख्तियार दिया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट यह है। चोरी में तीन साल तक की सजा का अख्तियार है अदालत को। अब किसी केस में वह तीन महीने की सजा देती है, किसी में तीन साल की। तो जिन हालात में मुजरिम ने जुर्म किया है उनका बयान कानून में पूर्णतया नहीं किया जा सकता, इसलिये अदालत को डिस्क्रिशन होता है। हमने इसीलिये रखा है कि १,००० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर वह समझती है तो दो रुपया जुर्माना कर दे, आप तो २०० का जिक्र करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई क्लासिफिकेशन करना यहां ठीक न होगा। सरकमस्टांसेज के हिसाब से अदालत जैसा मुनासिब समझेगी करेगी। और इस अमेंडमेंट से कोई फायदा न होगा।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी द्वारा अनधिक शब्द की आड़ लेकर इन्कार किया जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह तो मैं भी समझ रहा हूं कि इसमें १ रुपये से लेकर १,००० रुपये तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन आपने दोनों मुजरिमों को एक साथ रख दिया है। विधान की शब्दावली में भी इन दोनों प्रकार के दोषों का दंड भिन्न-भिन्न होना चाहिये। न्यायालय तो अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करेगी ही। उसे हम सब जानते हैं। आपने

छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दोषियों को एक ही लाठी से हांकने की कोशिश की है, यह, मैं समझता हूं, उचित नहीं है ।

श्री चरणसिंह—

मैं अपनी राय पर कायम हूं । लेकिन अगर यह अमेंडमेंट भी करता हूं तो इस बिल को फिर काउन्सिल भेजना पड़ेगा जब कि इससे कोई खास फायदा नहीं है । इसलिये मैं इसे मंजूर नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "नहीं करता" और "या ऐसी" के बीच "तो वह दो सौ रुपये से अनधिक अर्थ दंड का भागी होगा" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा दूसरा संशोधन है कि खंड १६ के तीनों उपखंडों में जहां-जहां "सिद्ध दोष ठहराये जाने" आया है, उसके स्थान पर "दोषी सिद्ध होने" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, इसके पढ़ने से इस बिल को बनाने वाले की भाषा का कच्चापन प्रकट होता है । हाई स्कूल में लड़कों की प्रवृत्ति होती है कि वह परीक्षकों को प्रभावित करने के लिये बनावटी भाषा का प्रयोग करते हैं । वैसी ही बात यहां पर भी है । मैं मंत्री जी से इस शब्द प्रयोग के संबंध में निवेदन करूंगा और मेरी बात वह ध्यान पूर्वक सुनें और फिर वे देखें कि यह प्रयोग गलत है या नहीं । मेरा निवेदन है कि वाक्य में शब्दों का प्रयोग शब्द के अर्थ की आकांक्षा पर निर्भर करता है, प्रयोगकर्ता की अपनी इच्छा पर नहीं । यदि हिन्दी का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा तो यहां पर वह समझेगा कि यह बहुव्रीह समास है । यदि यह किसी विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग होगा तो उसके साथ उसे विशेष्य शब्द को भी आना चाहिये । तब वह प्रयोग शुद्ध माना जाता है । यहां बहुव्रीह समास विशेषण पद बिना विशेष्य के अशुद्ध प्रयुक्त हुआ है । मैं एक कसौटी समासों के शुद्ध प्रयोग की बताता हूं । कोई समास किसी पद या वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसका प्रयोग ठीक है या नहीं इसके लिये देखना चाहिये कि वह समास अपने पद विग्रह की शब्दावली में अपने स्थान पर ऊटपटांग तो नहीं है । अगर विग्रह की शब्दावली करने पर ऊटपटांग लगे तो वह समास प्रयोग ऊट-पटांग हुआ है । यहां सिद्ध दोष बहुव्रीह समास निश्चित रूप से है । "सिद्ध हो चुका है दोष जिसका वह" यह पद विग्रह है उसका । तो तीनों स्थानों पर विग्रह लगाकर देखिये कि अर्थ की दृष्टि से और शैली के आधार पर वाक्य में वह कैसा लगता है ? सीधे-सीधे कहना चाहिये कि "दोषी सिद्ध होने पर" । सरल और शुद्ध शब्दावली होनी चाहिये थी । उन्होंने पांडित्य दिखाने के लिये सोचा कि समास पद रखें, संधि वाला रखें, तो भाषा में गम्भीरता आवेगी, लेकिन कचाई जाहिर हो गयी । यहां बहुत ही अशुद्ध बहुव्रीह समास का प्रयोग है । हिन्दी इस राज्य की मातृ-भाषा है, साहित्य भाषा है, राज्य भाषा है और संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा है । उसमें अनावश्यक, निरर्थक, ऊटपटांग समास पदों का प्रयोग कभी न किया करें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि सारा सदन माननीय डा० रघुनाथसिंह की विद्वता का लोहा मानता है । कम से कम मैं तो जरूर मानता हूं । लेकिन वह जो अपने वाक्यों में कहते हैं "कि अगर कोई हिन्दी जानने वाला हो" तो मैं समझता हूं कि उनकी विद्वता में से कुछ घट जाता है । मैं समझता हूं कि यह उनको कहने की आवश्यकता नहीं है । हमारे यहां तो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो शब्दावली रखी है, मैं यह नहीं समझता कि मैं उसमें कुछ घटा दूं या कोई लफ्ज रख दूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उनको ट्रेनिंग दिलवा दीजिये ।

श्री चरणसिंह—

जैसा कि उन्होंने कहा कि "सिद्ध दोष" की जगह अगर "दोषी सिद्ध होने पर" रख दिया जाय तो अच्छा होगा, मैं समझता हूं कि शब्दों की बात है । यह कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है । अगर मंजूर किया जाय तो कौंसिल में जाना पड़ेगा । इसलिये अगर डा० रघुनाथसिंह को मंजूर हो तो इसको अमेंडमेंट न मानकर आपके यहां भेज दिया जाय । भाषा के मार्जन का तो आपको भी अधिकार है । अध्यक्ष जी द्वारा वह भाषा ठीक कर ली जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा ख्याल भी ऐसा है कि यह तो वैसे ही शुद्ध किया जा सकता है । अमेंडमेंट की शक्ल में पास होने पर यह कौंसिल में फिर जायगा, इसलिये स्पीकर महोदय के ऊपर छोड़ दिया जाय, यह हो जायगा ।

श्री रघुनाथसिंह—

आप कह देते हैं कि शब्दों को नहीं देखना चाहिये, भाव देखना चाहिये तो क्या इंगलैंड की पार्लियामेंट में अशुद्ध अंग्रेजी चल सकती है ? यह अपने देश में क्या होता जा रहा है ? आप कहते हैं कि बात समझ में आनी चाहिये, मेरा निवेदन यह है कि ऐसी शब्दावली के कारण ही भाषा को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरे लोग भी इसकी नकल करेंगे । मैं चैलेंज करता हूं कि यह प्रयोग गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने आपकी बात मान ली है । इसे अमेंडमेंट के रूप में आप न रखें, अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, उसके अन्तर्गत यह हो जायगा । इसमें क्या दिक्कत है आपको ?

श्री रघुनाथसिंह—

तो मैं निवेदन करता हूं कि इसको सुधार लीजियेगा । लेकिन अगर यह इसी रूप में चला गया तो हमारी हंसी होगी कि हम बहुव्रीह समास का ठीक प्रयोग न कर सके ।

श्री चरणसिंह—

मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि डा० रघुनाथसिंह को बुलाकर जिस शब्द को शुद्ध करने से काम चल जाय आप शुद्ध करा लें ।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं बहुत आभारी हूं आपका लेकिन आपके कानूनों में इतनी गलतियां भाषा की हैं कि मैं कहां-कहां ठीक करूंगा । आपके राज्यपाल के भाषण में पचीसों गलतियां हैं । वास्तव में आपके भाषाविद् हिन्दी को बिगाड़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह मामला तो तय हो गया । आप इसको वापस ले लीजिये ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, जब आप आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक हो जायगा तो आपके आश्वासन पर मैं इसे वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७—२२

कम्पनियों द्वारा किये गये अपराध

१७—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो उस उपधारा की किसी बात से वह किसी दंड का भागी नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा अपराध उसके किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" के तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

अपराध संज्ञान

१८—(१) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन तब तक संस्थित न किया जायगा जब तक कि निबन्धक परिवाद न करे।

(२) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार न करेगा।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

१९—इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम या दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

नियम

२०—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) संघ का संघटन और पुनः संघटन ;

(ख) धारा ४ के अधीन विवरण-पत्र में दिये जाने वाले विवरण और ऐसे विवरण-पत्र पर हस्ताक्षर तथा उसे सत्यापित करने की रीति ;

(ग) गोशाला को जारी किये जाने वाले निबन्ध प्रमाण-पत्र का प्रपत्र ;

(घ) प्रदेश गोशाला रजिस्टर का प्रपत्र ;

(ङ) शर्तें जिन पर और रीति जिसके अनुसार प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(च) अधिकारी जिन्हें और अन्तराल जिन पर प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(छ) धारा ७ के अधीन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने की रीति ;

(ज) धारा ८ के अधीन जांच करने की रीति;

(झ) व्यक्ति, जिन पर ऐसी जांच का नोटिस तामील किया जायगा और ऐसे नोटिस को प्रकाशित करने की रीति ;

(ञ) गोशाला के न्यासी द्वारा रक्खे जाने वाले लेखों का प्रपत्र और उनमें दिये जाने वाले विवरण ;

(ट) प्रदेश गोशाला निधि के लेखों की व्यवस्था करना और उन्हें रखना ;

(ठ) धारा १० की उपधारा (५) के अधीन प्रस्तुत कये जाने वाले लेखे का विवरण-पत्र का प्रपत्र और उसमें दिये जाने वाले बिवरण;

(ड) अन्तराल जिन पर और रीति जिसके अनुसार व्यापारी या व्यवसायी गोशालाओं के न्यासियों को धनराशि देगा ;

(ढ) वसूली व्यय के रूप में व्यवसायी या व्यापारी द्वारा काटी जाने वाली प्रतिशत ;

(ण) अन्तराल जिन पर और प्रपत्र जिसमें तथा अधिकारी जिसें धारा १२ के अधीन विवरणी प्रस्तुत की जाय ;

(त) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों और आदेशों को तामील करने की रीति; और

(द) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जाय ।

(३) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाय ।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाने गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकर का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

२१—निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों :— विनियम

(१) गोशाला में अभिजनन के लिये कुशल प्राविधिक प्रबन्ध की व्यवस्था और उसका पर्यवेक्षण ;

(२) गोशाला में अभिजनन को उसके अन्य कार्यकलापों से पृथक करना और ऐसे कार्य का नागर क्षेत्रों से ग्राम क्षेत्रों में संक्रामित करना ;

(३) सांडों का अभिजनन के प्रयोजनों के लिये गोशाला से किसी अन्य स्थान को भेजना ;

(४) गोशाला में अभिजनन से संबद्ध अभिलेखों का रखना और उनका प्रबन्ध करना;

(५) अभिजनन के प्रयोजनों के लिये नर और मादा दोनों पशुओं को अलग रखना ; और

(६) गोशाला में पशु की चिकित्सा और निरीक्षण ।

२२—इस अधिनियम के अधीन निबद्ध गोशाला पर चैरिटेबिल ऐण्ड रेलीजस ट्रस्ट ऐक्ट, १९२० के उपबन्ध लागू न होंगे । १९२० का ऐक्ट संख्या १४ गोशाला पर लागू न होगा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १७ से २२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में गोशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्ध तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम , १९६३ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अगर चौधरी साहब का भाषण जिस वक्त यह विधेयक पेश हुआ था हो गया होता तो अब थर्ड रीडिंग में इन बातों के कहने की आवश्यकता नहीं थी। चौधरी साहब ने वैसे दो विधेयकों को प्रवर समिति में विचार के लिये भेजना स्वीकार किया है और वे स्वयं लोक कल्याणकारी ऐक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। पर गोशाला विधेयक को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। कुछ थोड़ा सा सरकारी नियंत्रण गोशालाओं पर हो जाय, या कुछ रुपया वगैरह उनको मिल जाय, या धर्मादा वगैरह का कुछ रुपया उनको मिल जायगा, लेकिन कोई प्रभावकारी काम नहीं होगा। यदि आप गोशालाओं को अपने कब्जे में लेते, उन पर पूरा नियंत्रण करते, उनके सारे दूध वगैरह के उत्पादन और वितरण का इंतजाम, प्रजनन का इंतजाम वगैरह सरकार करती तो इस विधेयक की कोई सही कल्याणकारी मंशा होती लेकिन चौधरी साहब ने स्वयं ही कहा है कि सरकार जिम्मेदारी से बचना चाहती है किन्तु यह तो बुद्धिमान सरकार का काम नहीं है। बुद्धिमान सरकार को, जहां भी त्रुटियां हों उनको पूरी तरह से दूर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

मैं अपने मथुरा जिले की बात कहता है। मथुरा तो गोशालाओं का बड़ा केन्द्र है। मैं आपसे क्या कहूं कि गोशालाओं की कितनी दुर्दशा है। धर्मादाओं का रुपया उनको पहुंचेगा तो बड़ी बात होगी लेकिन अभी तो उनमें बहुत गड़बड़झाला है और गड़बड़ घोटाला उनमें है। हर एक बुद्धिमान सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति और उदार प्रवृत्ति लोगों के विचारों को मिला कर और सरकार की मंशा को उसमें मिलाकर कोई विधेयक लाती है। जब यह होता और कोई विधेयक इस प्रकार का आता तभी सरकारी नियंत्रण द्वारा गोशालाओं में कोई सुधार होने वाला था। इस विधेयक से कोई बहुत अच्छा सुधार गौशाला में नहीं हो पायेगा। परन्तु न होने से कुछ होना अच्छा है, इस भावना से इस विधेयक को यदि माननीय मंत्री जी लाये हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आगे वे एक और विधेयक शीघ्र इस सदन में लायें जिससे कि इन गोशालाओं पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो सके और सरकार की देखरेख में ही इनका संचालन हो। जब आप इस तरह का विधेयक लायेंगे तभी प्रदेश की लंगड़ी, लूली, आपाहिज गायों की दशा सुधर सकेगी और इस प्रदेश का लाभ हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो यह गौशाला विधेयक प्रस्तुत हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय। इत्तफाक से मैं भी अपने जिले की दो तीन गौशालाओं का मैनेजर था। सेठों के पास जब चन्दे के लिये जाता था तो जिनके नाम २०० रुपये लिखे होते थे उनसे १० रुपये मिलते थे, जहां ५०० लिखे होते थे, वे कहते थे कि वकील साहब आये हैं, २५ रुपये दे दो। तो इस तरह से लोग कटौती करते थे। इसलिये इस विधेयक के पास होने से यह प्रथा तो समाप्त हो जायेगी, और यह बड़ी सुन्दर बात है।

अब रहा यह कि सभी कामों की सरकार ही देखभाल करे, हम लोग कुछ न करें, सरकार ही सारा काम करे, यह संभव नहीं है। इसमें जो पेनाल्टी का क्लाज रखा गया है और नक्शा वगैरह मांगने का जो प्राविधान है वह भी बहुत अच्छा है। हमारे बस्ती जिले में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करीब लाख डेढ़ लाख रुपया धर्मादे खाते में आता होगा, लेकिन जब भी उनसे अच्छे काम के लिये मांगने को जाते हैं तो वे इनकार कर देते हैं और वे लोग उस रुपये को अपने दूसरे दान आदि में लगा देते हैं, उसी से वे अपनी तीर्थ यात्रा भी कर आते हैं, बद्रीनाथ-केदारनाथ वगैरह हो आते हैं, और किसी को समझ में नहीं आता है कि वह रुपया कहां जाता है। मैं इसलिये अपने कृषि मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को लाकर प्रदेश का बहुत बड़ा भला किया है, यह ओवर ड्यू हो गया था। मैं इसका स्वागत करता हू, इसके खिलाफ कोई दो राय नहीं हो सकतीं, सदन को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

*श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता था उसका बहुत बड़ा अंश माननीय तमेश्वर प्रसाद जी ने कह दिया। माननीय राधेश्याम जी की यह मंशा है कि गौशाला के सारे प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में ले ले। यह मंशा तो बहुत अच्छी है, उनकी भावना भी बहुत अच्छी है, मगर ऐसा हो जाय तो इसका मतलब होगा कि यह गवर्नमेंट का कैटिल फार्म हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट के लाइव स्टाक फार्म्स अब भी हैं। गोशालाओं के दो बड़े-बड़े उद्देश्य हैं। एक तो यह कि बूढ़ी बेकार गायें जो हों वे कसाइयों के यहां न चली जायं, किसान अगर उनको वहां पहुंचा दे तो उनको थोड़ा बहुत चारा मिलता रहे। दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि वहां पर अच्छी नस्ल की गायें रहें जिनका दूध आस-पास के शहर वालों को मिल सके और गौओं को पौष्टिक आहार मिल सके। लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट ले लेती है तो उसके दो हिस्से करने होंगे, एक तो गो सदन जैसे कि आजकल हैं और दूसरे डेरी फार्मिंग। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मित्र से यह कहना चाहता हूं कि डेरी कभी भी प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर कामयाब नहीं हो सकती है। डेरी सदैव प्रासेसिंग सेंटर के तौर पर ही कामयाब होती है। अगर हम एक हजार गायें भी रखें और ईमानदार से ईमानदार और काबिल से काबिल मैनेजर भी रखें तो भी हमेशा इसमें नुकसान ही होगा। यह दुनिया का तजुरबा बताता है। इसीलिये रूस में भी एनीमल्स का कलेक्टिवाइजेशन नहीं हो सका। वहां भी किसानों को अलग-अलग जानवर रखने का अधिकार दे दिया है और डेरीज दूध इकट्ठा करके उसका प्रोसेसिंग करती हैं और पनीर मक्खन, मट्ठा और क्रीम बनाती हैं। जैसे बाम्बे में डेरी है। वहां भी गायों के मालिक अलग-अलग हैं, गवर्नमेंट गायों की मालिक नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ दूध इकट्ठा करके उसको पाश्चोराइज कर देती है, तब उनको लाभ हो पाता है। कारण उसका यह है कि गाय एक लिविंग बींग है उसको इंडिविजुअल अटेंशन की आवश्यकता होती है। उसको थोड़े प्यार और मुहब्बत की आवश्यकता होती है और जिन गायों को गृहस्वामिनी अथवा स्वामी की इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है वे गायें अच्छा दूध देती हैं। लेकिन एक मैनेजर हजार गांवों पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकता। परन्तु यह बात जरूर है इंडिविजुअल अटेंशन देने से जानवर की तन्दुरुस्ती भी बढ़ जाती है और दूध भी बढ़ जाता है। जिन बच्चों की मातायें मर जाती हैं और विमाता उनको पालती है, वे कमजोर होते हैं और उनके चालचलन खराब हो जाते हैं। इसी तरह से जानवर को भी असली मां की सी मुहब्बत मिलनी चाहिये। इसी कारण से प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर गवर्नमेंट की डेरीज सक्सेसफुल नहीं होतीं। परन्तु हमारे भाई जो कह रहे हैं वह इस नजरिये से कि सोशलिज्म है, उसमें सब चीज गवर्नमेंट की तरफ से ही हो। आमतौर पर यह बात ठीक हो सकती है फैक्ट्रियों पर इसको लागू किया जा सकता है लेकिन लिविंग बीग्स पर नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट इनको ले ले तो ज्यादा नुक्सान होगा और शायद कुछ तो इससे खराब चलें। इसलिये हम इनसे बचना चाहते हैं। दूसरी चीज जो कि माननीय तमेश्वर प्रसाद जी ने कही कि आखिर सब काम गवर्नमेंट ही करेगी? कोई इनडिवीजुअल इनीशिएटिव लोगों में न रखकर क्या लोगों को पंगु बना दिया जाय कि वे परमात्मा और भाग्य के भरोसे गवर्नमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

की तरफ देखते रहें कि गवर्नमेंट यह काम करने वाली है हम नहीं करेंगे ? उसके लिये धार्मिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर या किसी वजह से प्रेरित होकर जानवरों के लिये गोशाला कायम किये हुये हैं, वे उसमें कुछ पैसे भी देते हैं । तो अगर गवर्नमेंट अपने पास सब चीजें ले ले तो लोगों का इनीशिएटिव खत्म हो जायगा । अगर वे धार्मिक भाव से प्रेरित होकर इस काम को करते हैं तो करते रहें ।

जैसा कि कहा गया, हमारे यहां पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है । अगर हमारे यहां गोशालायें हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनकी थोड़ी-सी मदद करना चाहते हैं, इस हद तक कि उनका इनीशिएटिव खत्म न हो जाय । जो लोग धार्मिक भाव से इस काम को करते हैं मैं मानता हूं कि उनमें भी कुछ बेईमान होते हैं जो गोशालाओं के मैनेजर बने हुए हैं और उनका मिसमैनेजमेंट है, उनका हिसाब किताब ठीक नहीं रखते, गोशालाओं का दूध पी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बेईमान ही होते हैं । सब लोग बेईमान नहीं होते, ज्यादातर ईमानदार ही होते हैं । अब जब कि फेडरेशन बन जायगा तो वह गोशालाओं के हिसाब किताब की भी देखरेख करेगा । जैसा कि माननीय तमेश्वर प्रसाद जी ने कहा बहुत से व्यापारी उस पैसे से गया श्राद्ध करने चले जाते हैं या अपनी लड़की की शादी में खर्च कर देते हैं या और कोई काम करते हैं । माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि इस विधेयक की वजह से चन्दा मिलना बन्द हो जायगा । उसकी वसूली नहीं होगी । अगर बन्द हो जाय तो अच्छी बात है, पैसा तो उन गरीबों के पास बच जायगा जिनसे वह पैसा वसूल किया जाता है और जिस गरज के लिये वसूल किया जाता है और जिनसे पैसा लिया जाता है उनको मालूम भी नहीं होता कि उसे कहां खर्च किया जा रहा है । जिस गरज के लिये जो पैसा लिया जाय उसको वहीं जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक मेरे दोस्तों को मंजूर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्परेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४*

रसद मंत्री के सभासचिव श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस पर मैं एक प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज करना चाहता हूं । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह जो प्रस्तुत विधेयक है, इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है । क्योंकि श्रीमन्, इस विधेयक के अन्दर अगर आप देखेंगे तो दो बातें बहुत साफ हैं । एक बात तो यह है कि इसमें प्रक्रिया नियमावली १२१ और १२२ दोनों का पालन नहीं किया गया है । अगर आप इस विधेयक की हिस्ट्री में जायेंगे तो आप पायेंगे कि सर्व प्रथम यह विधेयक १९५३ में आया और उसके बाद समय समय पर इसी सेक्शन २ में १९५५, १९५६ और १९५८ में और अंतिम बार १९६१ में संशोधन हुआ है । अब की बार भी इसी सेक्शन में समय बढ़ाने का संशोधन

*६ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही में छपा है ।

आया है कि इसका समय बढ़ा कर ६४ से ६७ कर दिया जाय। मेरा कहना यह है कि इसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त है इसलिये इस विधेयक के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना चाहिये, क्योंकि अगर आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को नं० १,२, ३ और ४ में देखेंगे तो उसमें रेगुलेटरी मेजर्स दिये हुये हैं कि किस तरह के फायर वुड का संरक्षण और समुचित वितरण के लिये उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक समझा गया है। ये सब रख रखाव के लिये जो तमाम एजेंसीज हैं उनके कारण २५ जनवरी, ६४ के बाद भी खर्च किया जाना है और अब आगे तीन साल के लिये इसकी लाइफ देते हैं तो इस पर और भी खर्च होगा, इसलिये आवश्यक है कि इसके अन्तर्गत जो व्यय है उसके लिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम होना चाहिये और उसके साथ ज्ञापन भी होना चाहिये और अब आपको रूल्स में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिये आपको नियम १२२ की मर्यादा का भी पालन करना चाहिये। जिस समय सन् ५३ में यह बिल पेश हुआ उस समय प्रक्रिया नियमावली नहीं थी और प्रक्रिया नियमावली के यह नियम १२१ व १२२ नहीं बने थे लेकिन अब उनकी व्यवस्था हो गई है और उनके अनुसार अगर अन्तर्ग्रस्त व्यय है तो उसका वित्तीय मेमोरेंडम और ज्ञापन आना चाहिये और १२२ नियम के अनुसार जो रूल्स आप बनायेंगे उनकी भी जरूरत है। इसलिये जब तक यह कमी पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बिल पर विचार नहीं हो सकता, यही मेरा निवेदन है और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर उचित व्यवस्था देंगे।

रसद मंत्री श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में स्वयं दिया हुआ है कि इसमें कोई व्यय नहीं होगा और इस विषय में हमने पहले से ही पूरी जांच करा ली है क्योंकि इसके लिये कोई अलग स्टाफ या कोई अलग प्रबन्ध नहीं किया जायगा। पहले सन् ४७ में यह मूल ऐक्ट पास हुआ था उसके बाद ५१-५३ में भी कोई मेमोरेंडम या ज्ञापन नहीं दिया गया, वही बात चल रही है, केवल बार बार मियाद बढ़ाई जाती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जी हां, लेकिन उसके बाद सन् ५८ में हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर बने हैं और उनमें धारा १२१ व १२२ का प्राविधान किया गया है और आप देखेंगे कि आप के यहां से इस विषय पर कारेसपांडेंस हुई है और सन् ५८ के बाद से जितने बिल लाये गये हैं उन सब में इस का पालन किया गया है। इससे पहले इन चीजों की जरूरत नहीं थी लेकिन हमारे नियमों के अनुसार भी और जो उद्देश्य और कारण इसमें दिये हैं उनके अनुसार भी वह आने चाहिये क्योंकि इस में वित्तीय व्यय अन्तर्ग्रस्त है। कंट्रोल, सुपरविजन डिस्ट्रीब्यूशन करने के तमाम काम होंगे उनमें स्टाफ लगेगा। ६४ तक आपने रखा, आगे भी आप रखेंगे तो उस स्टाफ पर व्यय होगा ३ साल तक आप बिना व्यय के कैसे यह सब करेंगे, इस में रिकरिंग और नान-रिकरिंग व्यय होगा और कानसालिडेटेड फंड से पैसा लेने की बात आयेगी इसलिये यह लाजमी है कि इसके साथ फाइनेंशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन और रूल्स के विषय में नियम १२२ का पालन होना चाहिये था और वह नहीं हुआ है इसलिये इस पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, यह ५८ के बाद सन् ६१ में पारित किया गया और म्याद इसकी बढ़ायी गई थी। दूसरे इस में खर्च का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जो स्टाफ काम करेगा वह तो रहेगा ही वह तो अपना रेगुलर काम करता ही है वही इस काम को भी देखेगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

आप सन् ६४ तक काम लेते रहे और अब आगे ३ साल तक और लेंगे तो क्या उस में कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त न होगा? अगर होगा तो यह अर्थ बिल हो जायगा और उस में

श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

ज्ञापन, फाइनेंशियल मेमोरेंडम और नियम १२२ के अनुसार रूल्स का प्राविधान होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा यह साफ कर दें कि जो स्टाफ दूसरे काम के लिये आलरेडी है उसी से काम लेंगे या अलग से रखेंगे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उसी से लेंगे, वही सप्लाई आफिसर, वही जिलाधीश, वही इंसपेक्टर, इस काम को भी करेंगे, इसके लिये कोई अलग से नहीं होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

स्टाफ तो रहेगा ही, इस का मतलब यह हुआ कि फाइनेंशियल बिल हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कह दिया कि जो स्टाफ आलरेडी मौजूद है और दूसरे काम कर रहा है उसी से यह काम लिया जायगा, तो अलग से खर्च का प्रश्न नहीं है मेरे सामने सिवा इसको मानने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है । तो यह ठीक है और इसमें ज्ञापन आदि की जरूरत नहीं है ।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल एक मासूम सा विधेयक है । इसमें केवल "६४" के बजाय "६७" करने की आवश्यकता है । इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मुझे इस विधेयक पर कोई बात नहीं कहनी है लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्वाइंट आफ आर्डर के जरिये निवेदन किया यह बड़ा मौलिक प्रश्न है और मैं इसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, यह विधेयक सबसे पहले सन् १९४७ में आया था और उसके बाद ५३ में और उसके बाद १९६१ तक एमेंड होता रहा । मेरा कहना यह है कि हमारे रूल्स आफ प्रोसिजर में इस बात की व्यवस्था है कि कोई भी ऐसा विधेयक जो वित्तीय विधेयक है, जिसमें कुछ खर्चा अन्तर्ग्रत है, उसके लिये जरूरी है कि ....

श्री उपाध्यक्ष--

उसी पर तो फैसला होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप फैसला कर लें लेकिन मुझे अपने विचारों को रखने का हक है । श्रीमन्, मेरा कहना है कि समय समय पर सरकार विधेयक बनाती है और विधेयक को लाकर समय समय पर संशोधन करती है तो आप एक ऐसा विधेयक क्यों नहीं ले आते हैं जिसमें कम से कम यह मालूम हो सके कि आपकी वास्तव में इच्छा क्या है और आप क्या चाहते हैं । जो आज आपका सप्लाई विभाग है उसके प्रति, जिसके मकसद के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है, सारे सूबे में एक विशेष भावना उत्पन्न हो गयी है कि आप समय को बढ़ाते जा रहे हैं । यह कोई स्वस्थ

परम्परा नहीं है । आपको चाहिये कि किस विधेयक को लाते समय यह समझ लें कि आपका क्या मकसद है । लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् १९४७ में एक विधेयक आया और समयानुकूल उसमें समय बढ़ाते रहे । उसका मतलब यह है कि सन् १९४७ से आजतक आपने प्रदेश की जनता को कोई निश्चित नीति नहीं बतायी जिसका नतीजा यह है कि आपको समय-समय पर इस तरह के संशोधन लाने पड़े । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह परम्परा कोई अच्छी परम्परा नहीं है । चूंकि यह विधेयक एक सेक्शन का विधेयक है इसलिये मुझे इस संबंध में अधिक नहीं कहना है लेकिन क्या जरूरत है कि आप मुस्तकिल तरीके से इस प्रदेश में कंट्रोल लगाना चाहते हैं । आप इस कंट्रोल की बीमारी को दूर नहीं कर सकते हालांकि जनता की इच्छा है कि इसको हटाया जाय । इस विधेयक का अर्थ होगा प्रदेश में भ्रष्टाचार का बढ़ना और मंहगाई का बढ़ना । मंहगाई के बोझ से यों ही जनता ग्रसित है । आपको इसके बारे में नीति अपनानी पड़ेगी । जब जनता नहीं देखना चाहती कि आप इस प्रकार के कानून लगाकर कंट्रोल लगायें और उसकी इच्छा का प्रतिपादन न करें जिससे वे मंहगाई के बोझ से छुटकारा न पा सकें। अतः मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि जैसी आज स्थिति है वह अत्यन्त भयावह सिद्ध होती जा रही है । मंहगाई का स्तर ऊंचा होता चला जा रहा है । जनता चाहती है कि इस स्थिति में कंट्रोल को तोड़ें और जब आप कहते हैं कि हमारे पास काफी गल्ला है, काफी सामान है तो आप कंट्रोल क्यों नहीं तोड़ते ? सारी चीजों को बाजार में पेश करके आप डिकंट्रोल करिये। माननीय रफी साहब ने अपने जमाने में सरकारी अफसरों की इच्छा के खिलाफ डिकंट्रोल करके पथप्रदर्शन किया था । क्यों नहीं आप भी उसी तरह से पथप्रदर्शन करते जबकि आप स्वयं कहते हैं कि सब चीजें भरपूर है ? इससे जिनके लिये आप यह विधेयक लाये हैं उनकी इच्छा की भी पूर्ति होती है । मेरा निवेदन है कि यह स्वस्थ्य विधेयक यहां पर आये जिससे जनता की इच्छा की पूर्ति हो सके । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पेश है इसमें दो चीजों पर नियंत्रण करने के लिये है--एक फायरवुड और दूसरे ईंटें । ईंट वाले व्यापारी ७५ फीसदी आते हैं सेल्स टैक्स में और वे चाहते हैं कि कंट्रोल टूटे ताकि वे मनमाने ढंग से अपनी ईंटों के दाम ले सकें और वे बार बार सरकार को कोसते हैं और कहते हैं कि यह कंट्रोल हटाया जाय तो हमारा बड़ा फायदा हो और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि कंट्रोल हटा लिया जाय ।

वास्तव में देखा जाय अगर काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम करें तो जो परिस्थिति है उसमें कंट्रोल का रहना अत्यावश्यक है । यह जो टैम्पोरेरी पावर्स का संशोधन ऐक्ट है यह काफी नहीं है क्योंकि सिर्फ ईंटों तथा फायरवुड के बारे में यह है । ऐसा समय भी आ सकता है । जब इन दोनों पर कंट्रोल रखने की जरूरत न पड़े जो अवस्था इस समय है उसे देखते हुये इन दोनों पर कंट्रोल रखना अत्यावश्यक है । लेकिन यह भी देखना चाहिये कि सप्लाई आफिस में बहुत से लोग जिनको वास्तव में परमिट की आवश्यकता होती है वे उसको नहीं पाते हैं । कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि परमिट लेकर दूसरों को दे देते हैं लेकिन इसकी कोई जांच नहीं होती है । लिहाजा इन परमिट्स की पीरियाडिकल जांच भी होनी चाहिये और यह देखा जाय कि जो लोग परमिट लेते हैं वे उसका स्वयं इस्तेमाल करते हैं अथवा नहीं ।

यह अक्सर देखा जाता है कि जरूरतमन्द को परमिट नहीं मिलता है और जो जरूरतमन्द नहीं है उसको मिलता है । इसके लिये हम सभी गुनहगार हैं । अगर वास्तव में ठीक ढंग से सप्लाई व्यवस्था का काम हो तो लोगों की दिक्कतें दूर होंगी । लेकिन जो भ्रष्टाचार व्याप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री तमेश्वरप्रसाद]

है सरकार को उसे सख्ती से वाच करना चाहिये और न जनता की शिकायतों को दूर करना चाहिये । यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम क्या करें। ऐक्ट के अन्दर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो सालों जांच कराई जाती है, यह सब नहीं होना चाहिये, फौरन एक्शन लेना चाहिये और जिनकी ईमानदारी के बारे में शुबहा हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर एक अमेंडमेंट है वह पहले पेश हो जाय ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो, और जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर दे दे ।

अगर देखा जाय तो मूल विधेयक की अवधि २५ जनवरी, १९६४ को समाप्त हो रही थी और माननीय मंत्री जी, या यूं कहूं कि इस सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इस बिल्कुल बेकार से विधेयक की अवधि बढ़ाने का एक और अवसर ले ले । जहां तक याद पड़ रहा है २६ दिसम्बर तक इस सदन की बैठक हुई थी । तब तक इस सरकार को आवश्यकता नहीं महसूस हुई इस संशोधन की ओर जब सदन की बैठक स्थगित हो गयी और उसी दिन यह घोषणा हो गयी कि ३ फरवरी को पुनः दोनों सदनों की बैठक माननीय राज्यपाल द्वारा आहूत की जायगी तो इस बीच में इस सरकार ने यह मौका देखा कि महामहिम राज्यपाल को भी इसमें घसीट लिया जाय और उनको भी नेक सलाह दे दी जाय कि इस पुण्य काम में आपके भी हस्ताक्षर हो जायं ।

शुरू-शुरू में जब मैंने इसे देखा तो इसकी हेडिंग देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मंत्री जी के बारे में जैसा कि मैं समझता हूं, मेरी गलतफहमी हो सकती है लेकिन अपनी एक धारणा है कि मंत्री जी अपने विभाग पर अच्छी सवारी करना जानते हैं, जैसे एक अच्छा सवार घोड़े पर सवारी करना जानता है । लेकिन इसके बावजूद भी जब मैंने यह अध्यादेश देखा तो मैंने समझा कि घोड़े ने फिर मंत्री जी को जरा पल्टा खिला दिया वरना सोच समझ कर यह संशोधन आना चाहिये था, और १९५३ के बाद जो परिस्थितियां अपने प्रदेश और देश में तब्दील हुई उनका समावेश इस संशोधन विधेयक में होना चाहिये था । मैं सिद्धांत की दृष्टि से ही अर्ज करना चाहूंगा । दूसरे कालम में आप कहते हैं कि राज्य के विकास कार्यकर्ताओं तथा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ते हुये निर्माण कार्यों के कारण ईटों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । यह इरादा है मंत्री जी का । न मंत्री जी के राज्य काल में चीनी की मांग बढ़ रही है और न ईटों की जुड़ाई के बाद जो कुयें आज भी, मैं माननीय राम मूर्ति जी से कहना चाहता हूं कि यह ईटें सप्लाई कर दें लेकिन सीमेंट देने वाले नहीं हैं जिससे जुड़ाई करने के बाद किसान अपना बिल ले सके जिसका वह अनुदान, ग्रांट और कर्जा सब कुछ पा चुका है । यह ताल-मेल दोनों आदमियों में नहीं है । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आपस में राय-मशविरा नहीं होता है । अगर राय होकर यह संशोधन विधेयक जाता तो मुझे प्रसन्नता होती लेकिन ऐसा नहीं है । आप कहेंगे कि हम निर्माण कार्य करेंगे, नियोजन का कार्य करेंगे, लेकिन मंत्री जी कहेंगे कि हमारे पास सीमेंट नहीं है, ईटा नहीं है और लोहा नहीं है, इसलिये वह कोई काम नहीं होने देंगे । कागज पर भले ही होता चला जाय, लेकिन सीमेंट नहीं मिलने वाला है, ईटा नहीं मिलने वाला है, जिस इंटे की मंत्री जी बात कह रहे थे और जिसके लिये यह विधेयक आया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्य श्रीराम जी का सवाल आया था कि माननीया सुचेता जी की सरकार में एक चीज के भिन्न-भिन्न रेट्स हैं। ईंट भी छोटी बनेगी और रेट भी ज्यादा होगा। ईंटा वही पा सकता है जो परमिट लेने के बाद दाबव डालकर भट्टे से ईटा ले ले। वरना लोगों को परमिट मिलता है, लेकिन माल नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि किस तरह से ब्लैक मारकेटिंग होता है। अगर मैं चीनी के वितरण के सम्बन्ध गोरखपुर की बात करने लगूं तो मंत्री जी कह देंगे कि वह २०० मील की बात है। इसलिये मैं लखनऊ शहर की बात कहना चाहता हूं, जहां हम लोग रहते हैं और जहां पर टेलीफोन करने में एक सैकिंड भी नहीं लगेगा आज जो ब्लैक चल रहा है, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी उधर निगाह डालें। भट्टे वाले परमिट वालों को माल ही नहीं देते हैं और लोग न जाने कितनी ठोकरें खाते फिरते हैं और उसके बावजूद भी उनको माल नहीं मिलता है।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मैंने इसका हैडिंग देखा "कंट्रोल आफ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक" है। मंत्री जी ईंटा और सीमेंट तक ही इसको सीमित कर देंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। मैं सही अर्थ नहीं समझता हूं, दूसरे लोग समझते होंगे। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी अवधि जल्दी समाप्त होने वाली है। १९४७ से चालू है और जब तक सुचेता जी की सरकार है तब तक यह रहेगी। इसके बाद जरूर नहीं रहेगी। आपने दुकानों पर कीमतें टांगने का आदेश दे रखा है लेकिन आज हालत यह है कि जीवनोपयोगी वस्तुयें आपके कन्ज्यूमर्स को उचित दाम पर और उचित तरीके से उपलब्ध नहीं हैं। यह उत्तर प्रदेश जो इन दुकानदारों द्वारा लूटा जा रहा है। अगर आपकी यह भावना है कि उसको उनकी लूट से बचायेंगे और उचित दाम पर उनको सामान दिलवाने की व्यवस्था करेंगे तो मैं आपके इस कदम का स्वागत करूंगा और हार्दिक समर्थन करूंगा। लेकिन नाम तो आपने इतना बड़ा रख दिया और पढ़ा तो महज ईट और लकड़ी है। वह भी लकड़ी की क्या हालत है? शहरों में लकड़ी किस कीमत पर मिलनी चाहिये और किस कीमत पर मिल रही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रवर समिति में आप इसको जाने दीजिये। जिन-जिन चीजों के बारे में सरकार और सदन के मेम्बरान सब सहमत हो जायं उन सब को जो नाम की सूची है जिसमें दो ही नाम हैं, उनमें लाया जाय, और सूची बढ़ा दी जाय और वह हर सामान जिसके लिये खरीददार लूटा जा रहा है, उसमें बढ़ा दिया जाय। आपको रोजमर्रा शिकायतें मिलती होंगी। हम सब को अनुभव है। हम लोगों को कितनी कठिनाई होती है। अगर यह हालत हम लोगों की हो सकती है तो साधारण खरीददार की क्या हालत होगी, यह सोचने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक घंटे का समय निश्चित किया गया है। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर मंत्री जी इस बात से सहमत हो जायं तो माननीय कृष्णानन्द राय जी जैसे उस प्रवर समिति में जायेंगे ही। उनकी राय से भी सब लोग बिलकुल इत्तफाक करते हैं, अमूमन वह सरकार की राय हो जाती है। उनमें अपना गुण है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज कर ठंढे दिल से सोच विचार करके फैसला कर लें, और उस शेड्यूल में ओरिजनल ऐक्ट के जिसमें नाम दिये हैं, उनमें कुछ और नामों को बढ़ाने की सिफारिश हो जाय, मंत्री जी इस बिल को वापस लेकर इसमें शिड्यूल के ऊपर दूसरा नाम बढ़ाकर ले आवें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। मंत्री जी का कहना था कि बहुत मासूम संशोधन विधेयक है। तो मासूम देखने में है और टैम्पोरेरी भी है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि अब इस को टैम्पोरेरी कहते-कहते सरकार भी थक चुकी है और सारे लोग थक चुके हैं। अब टैम्पोरेरी शब्द को आप

[श्री ऊदल--]

कृपा करके हटा दें और इसको परमानेन्ट शब्द या इस तरह का कोई शब्द रख दें। यह विधेयक जब पेश हुआ था तो सरकार की ओर से यही आशा व्यक्त की गई थी कि मुश्किल से दो तीन साल के लिये यह है। लेकिन संशोधन करते-करते और टैम्पोरेरी कहते-कहते १७ साल बीत गये और अब भी मंत्री जी का कहना है कि ६७ तक बढ़ाना चाहते हैं तो अब यह टैम्पोरेरी रह नहीं गया है। इसलिये आप अब इसको परमानेन्ट बना दीजिये क्योंकि और भी बहुत से काम हैं, उनके ऊपर सोचिए। गम्भीरता पूर्वक आय को राज्य व्यापार करना है। हालत जैसी वह खराब है उसको देखते हुये अब इस मुहकमे को परमानेन्ट ही करना पड़ेगा और खाद्य व्यापार आपको करना है। अगर खाद्य व्यापार की दृष्टि से सरकार सोचे तो मैं समझता हूं जी और बहुत सारे सवाल माननीय कल्पनाथ सिंह नें उठाये हैं उनका भी बहुत कुछ हल हो सकता है। १७ साल से यह महकमा चल रहा है और इसमें वह भी चीजें निहित हैं जिन पर आपको कंट्रोल करना है। चीनी का आज यह हाल है कि दो रुपये सेर बाजार में बिक रही है। बोरे के बोरे लोग ले जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी का विभाग कुछ नहीं देख रहा है। मंत्री जी उगाही करते हैं चावल पर लेवी स्कीम के मातहत। हालत यह है कि हजारों सन चावल और धान इसी महकमे के लोगों की सहायता से बाहर भेजा जा रहा है। आज ही अखबारों में निकला था कि ३५,००० मन चावल झुलसा हुआ बंगाल भेजा गया। वहां जाकर निकला एंकदम झुलसा हुआ। भुजिया चावल था। तो अब इसको टेम्पोरेरी न कहिये। परमानेन्ट बनाइये और जो खाद्य व्यापार की बहुत सी चीजें हैं जिन-जिन चीजों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको इस महकमे में लीजिये तब काम हल हो सकता है। दूसरी बात, इस महकमे में हजारों कर्मचारी हैं जिनमें बहुत कम लोग परमानेन्ट हुये हैं। बाकी उसी तरह लटके हुए हैं। माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके हम परमानेन्ट कर देंगे। आज यह जरूरत है कि इस महकमे को परमानेन्ट बना दीजिये और कर्मचारियों का स्थायी करिये अरहर की दाल आज १३ छटांक कि बिक रही है और बहुत सा सामान बाजार से गायब हो चुका है। इन सबको देखना है। लकड़ी कोयला ईट के लिये जैसा माननीय सदस्यों ने कहा आप ईट की साईज भी ठीक करना चाहते हैं, आज छोटे साइज की ईटें बाजार में बिक रही हैं। कोयला नहीं मिलता है, लोग ट्रक लेकर डेहरी आनसोन जाते हैं और रोड ट्रासपोर्ट से कोयला लाते हैं। इससे कोयला मंहगा पड़ता है। आप कोयला तक मुहैया करने में असमर्थ हैं। इसलिये आप हर चीज पर ठीक से नियंत्रण रखें और महकमे को परमानेन्ट बनावें जिससे कि जो समाजवादी उद्देश्य आपका है उसकी पूर्ति के लिये इन चीजों को इसके अन्तर्गत ले आइये और महकमे को परमानेन्ट बना दिया जाय, लेकिन मैं यह आपसे निवेन करूंगा कि आप इस भ्रम जाल में हम सब को फंसाने की कोशिश न करें।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी और माननीय ऊदल जी कुछ शान्त वातावरण की परिधि के बाहर होकर गुस्से में बोल रहे थे। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने नियंत्रण विरोधी आवाज उठाई और दूसरी तरफ कह रहे थे कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इसके शिड्यल में कुछ और चीजों का एडीशन कर दिया जाय। हमारी समझ में जो उनका तर्क था उसके विरुद्ध वह स्वयं बात कर रहे थे और केवल ईंट तथा फायरउड के लिये यह जो विधेयक आ रहा है उसके ऊपर वह गुस्सा कर रहे थे। यदि और भी कुछ चीजें इसके साथ जोड़ दी जातीं तो न मालूम उनको कितना गुस्सा और आता और कितने आवेश में वह बोलते। ऊदल जी कह रहे थे कि इसको टैम्पोरेरी क्यों किया जा रहा है इसको परमानेंट कर दिया। वह अगर ठंडे दिल से इस बात को कहते तो मुझे कोई खास एतराज नहीं होता। वह तो कम्यूनिस्ट हैं। वह जानते हैं कम्युनिस्ट होने के नाते कि इस पर कंट्रोल की जरूरत है या नहीं। कम्युनिस्ट होने के नाते वह इस बात को मानते हैं कि राज्य में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही नियंत्रण नहीं होता है बल्कि पूर्णरूप से सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण होता है । चाहे उत्पादन के साधन हों, चाहे उत्पादित वस्तु हो और यहां तक कि वह स्वयं जानते हैं कि उन देशों में सरकार स्वयं उत्पादन करती है और उसका वितरण सरकार करती है और व्यवसाय भी सरकार करती है, सभी काम करती है । जनता तो वहां दूसरी तरफ श्रमिक होती है । उनका कोई अधिकार नहीं होता । कम्युनिस्ट होने के नाते राज्य के द्वारा यदि किसी आवश्यक वस्तु के ऊपर नियंत्रण करने का कोई विधेयक आये तो उसके सिद्धांत का उनका विरोध नहीं करना चाहिये क्योंकि उनके सिद्धांत में यह है कि राज्य हर वस्तु का नियंत्रण करे । आज जो परिस्थिति है, इस बात को सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि नियंत्रण करना पड़ेगा । दूसरे महायुद्ध के बाद जो बजार खराब हुये, हमारे देश और दुनियां में जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि आज की परिस्थिति में सरकार नियंत्रण न करे और बजार स्वयं चलित होकर सभी आवश्यक वस्तुयें उचित दाम पर लोगों तक पहुंचाये । कंट्रोल में और कंट्रोल के अधिकारियों में सभी दोष होते हुंय भी यह करना पड़ेगा कि हमारे देश में अभी नियंत्रण रखना आवश्यक है । इस चीनी पर या खद्यांन्न पर या ईटों पर या सीमेंटपर आज अगर नियंत्रण हटा लिया जाय तो एक छटांक चीज के भी दर्शन नहीं होगें । हमारे बाजार आज इतने विस्तृत हो गये हैं कि इतने उत्पादन के बावजूद भी किसी प्रदेशीय सरकार के लिये यह कठिन हो रहा है । इसी आदरणीय सदन के सदस्य कहते हैं कि हमारे प्रदेश का उत्पादन नैपाल चला जाता है । यदि प्रदेश से नियंत्रण हटा लिया जाय तो यहां पर क्या रह जायगा । तो इन बातों को उत्तेजना के साथ नहीं देखना चाहिये ।

श्री ऊदल—

माननीय कृष्णानन्द जी को भ्रम हो गया । मैंने यह नहीं कहा कि मैं नियंत्रण नहीं चाहता हूं । मैंने यह कहा कि इसको परमानेन्ट बना दिया जाय । अब इसके टैम्पोरेरी रखने की जरूरत नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अगर आपने ठंढे दिल से यह बात कही है कि इसको परमानेन्ट कर दिया जाय तो मैं बहुत एतराज नहीं करता । आज की आर्थिक परिस्थिति इतनी पेचीदा हो गई है कि बिना कंट्रोल के बाजार चलाये नहीं जा सकते हैं । आगे के लिये तो मैं नहीं कह सकता और वैसे रह गया कि सरकार समझती है कि हो सकता है कि ईंटा का बाजार ठीक हो जाय इसलिये ज्यादा नियंत्रण की जरूरत नहीं है । इस स्थिति में मैं समझता हूं कि इसमें कोई बाधा नहीं है । यह केवल साल भर के लिये लाया जा रहा है और इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई कृष्णानन्द जी की बात सुन कर मैं इस नियंत्रण के सम्बन्ध में दो राय पेश करना चाहता हूं । पहली बात यह है कि जो पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था सरकार की है उसमें इसी तरह का नियंत्रण होता है जैसा कि सरकार कर रही है और अगर इसका घोर विरोध किया जाय तो बुरी बात नहीं है । पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में नियंत्रण इसलिये किया जाता है कि चोर बाजारी बढ़े और लोगों को जीवनोपयोगी वस्तुयें न मिल सकें और ब्लैक मार्केटिंग होती रहे । समाजवादी नियंत्रण वह है कि जिसमें जीवनोपयोगी वस्तुयें मनुष्यों को भरपूर मिलती रहें और उनकी कीमत भी न बढ़े । उसमें सरकार की एक निश्चित दाम नीति होती है । अगर इस सरकार की पिछले १६ सालों में कोई दाम नीति होती तो आज इस प्रकार का इसका नियंत्रण न होता कि ७,००० टन राशन आप के पास मौजूद रहा, लेकिन उसके बाद भी चोर बाजारी चलती रही । आपकी नीति में यही होता रहेगा और इसीलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । अगर समाजवादी पद्धति के अनुसार आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राधेश्याम शर्मा---]

एक निश्चित दाम नीति अपनायें और उसके अनुसार कल कारखाने से बनी चीज की कीमत उसकी लागत के डेढ़ गुने से ज्यादा न पड़े और उत्पादन की हुई चीज की लागत पर एक आना सेर से ज्यादा मुनाफा न दिया जाय, तो कोई रोना नहीं होता। आपकी नीति से भ्रष्टाचार बढ़ता है। ऊदल जी को अपने दिमाग में साफ होना चाहिये। बहुत दिनों तक तो सरकार को पता ही नहीं था कि भ्रष्टाचार कहां है और उसके बाद अब वह चिल्ला रही है कि यह तो समाज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनके कारण यह भ्रष्टाचार चल रहा है। वह बहुत दिनों तक ना-ना कर के चलता रहा, आज हां-हां कर के चल रहा है। तो अगर आपकी सरकार समाजवादी है तो आप सही नियंत्रण करिये, भरपूर सामग्री जुटाइये, ऐसी कंट्रोल की दुकानों की आवश्यकता उसमें नहीं है जिनमें भ्रष्टाचार होता हो। आपकी दाम नीति हो, उसकी चैकिंग हो और यही बात आपको समाजवादी पार्टी बताती है। मैं मानता हूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही अवगुण होता है। लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं और न मान सकते हैं। इसमें जो लकड़ी और ईंट की बात आ गयी है इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो सही दाम नीति अपनाइये और फिर इस प्रकार के बिलों की आवश्यकता न होगी और न कोई भ्रष्टाचार ही रहेगा। यही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सेलेक्ट कमेटीमें इसे भेजने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, मैं ऐसा ही समझता हूं। यह संशोधन तो विचार करने का समय मिल जाय इसलिये ले आये जाते हैं क्योंकि कोई नयी बात नेगी जी इसमें करने वाले नहीं हैं, यही मेरा विचार है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत हो रहा है वह कोई एग्जास्टिव नहीं है और न उस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उससे स्पष्ट है कि यह विधेयक १९५३ में पुनः अधिनियमित हुआ था और उसकी अवधि जो २५ जनवरी को समाप्त हो रही थी उस समय सदन सत्र में नहीं था, राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश द्वारा उसकी अवधि को बढ़ा दिया। तो श्रीमन्, इस प्रकार जो चर्चा हो रही है वह इस विधेयक की परिधि से बाहर की चीज है। जहां तक कि कंट्रोल का सिद्धांत है, हम लोग जो स्वतंत्र देश हैं, जिनकी नीति साम्यवादी नहीं है, जिन्होंने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कार्य करने की सबको छूट दे रखी है और जबकि निर्माण के अन्त तक कार्य हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में आवश्यक होता है कि जब कोई विशेष अभाव का कारण उपस्थित हो जाता है, युद्ध का समय हो या अन्न का अभाव हो या नियोजन का निर्माण कार्य हो और उसमें सीमेंट, लकड़ी, इमारती लकड़ी आदि की आवश्यकता हो---ऐसी वस्तुयें जो तात्कालिक रूप से आवश्यक होती हैं,तो उन पर नियंत्रण करने के लिये ऐसा कंट्रोल का अधि-नियम बनाया जाता है। ऊदल जी ने जो चर्चा की थी कि स्थायी रूप में कर दिया जाय तो हमारी सरकार कभी यह कंटेम्पलेट नहीं करती, यह घोषणा नहीं करती कि हम सारी जीवन की सामग्री पर राज्य का अधिकार कर लेंगे, कोई निजी क्षेत्र का अंग नहीं छोड़ेंगे। स्थायी नियंत्रण की बात हम कभी अपनी नीति में नहीं लाते।

पिछले द्वितीय विश्व महायुद्ध के बीच में जब मंहगाई बढ़ गयी और कंट्रोल था, उस समय हमारी केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न से कंट्रोल हटा कर मार्केट में छूट देकर मंहगाई को कम किया। तो हमारा विश्वास है कि बिना नियंत्रण किये हुये भी हमें नियंत्रण का परिणाम मालूम है कि जखीरे-बाजी होती है, होल्डर्स की बन आती है, ब्लैक-मार्केटिंग होती है, सप्लाई डिपार्टमेन्ट में कर्म-चारियों का भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। ऐसी व्यवस्था एक दोष का निवारण करने के लिये अनेकों दोषों को जन्म देती है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार कतई इस बात की हामी नहीं है कि हम स्थायी रूप से आने वाले दिनों में या इस समय कोई कंट्रोल करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन पंचवर्षीय योजना के लिये, कृषि उत्पादन के लिये या युद्ध काल में इमरजेंसी के लिए तो करेंगे ही। लकड़ी पर कर सकते हैं, ईटों पर भी किया है, अन्य वस्तु भी लेंगे, लेकिन अस्थायी रूप से। हमारा यह विश्वास है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विकास समानान्तर होता है और दोनों की व्याप्ति को रखते हुये हमारी अर्थ नीति है। तो जो टेम्पोरेरी हैं उसमें परमानेन्ट होने की कोई गुंजायश नहीं है। अधिनियम की जो भाषा है वह तो उसकी व्याप्ति और स्कोप बताती है। अगर इसे परमानेन्ट कर दिया जाय या और वस्तुओं को इनसर्ट कर दिया जाय, कुछ शब्द उसमें बढ़ा दिये जायं नियंत्रण के लिये तो ड्राफ्टर के इंटेंशन और मंतव्य से बाहर की बात हो जाती है। लेकिन इस बिल की परिधि के बाहर हम चर्चा नहीं कर सकते। बिल के जो ड्राफ्टर्स हैं उनका मंशा इसको अस्थायी रखने का है और ईटों या लकड़ी की जरूरत हमें निर्माण कार्यों के लिये पड़ेगी क्योंकि हमें ब्लाक्स की बिल्डिंग्स, सड़कें, बीज गोदाम, हेल्थ सेंटर्स, कम्यूनिटी सेंटर्स आदि-आदि कितने ही विकास सम्बन्धी इमारतें बनानी हैं, सड़कें बनानी हैं और उनके लिये इन चीजों की आवश्यकता होगी। इसलिये राज्यपाल महोदय ने जो उनको संविधान के अन्दर इनहेरेंट पावर्स प्राप्त हैं कि जब दोनों सदन सत्र में न हों तब वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वही उन्होंने किया है। अब इसमें यह कहना कि टैम्पोरेरी का परमानेन्ट कर दिया या इसमें सभी चीजों को सम्मिलिति कर लिया जाय तो वह इस बिल की परिधि के बाहर जाना होगा और जो हम कर नहीं सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्,.....

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, ५ बजे तक इस बिल को पास करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, वह हो जायगा। तिवारी जी, आप जरा संक्षेप में कहिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जिस रूप में अपना संशोधन पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज अध्यादेश के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि चूंकि उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था इसलिये इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। यह बात ठीक हो सकती है लेकिन हमको यह विचार करना चाहिये कि जो नियंत्रण हम लगा रहे हैं उसका परिणाम क्या है। मंत्री जी क्षमा करेंगे कि नियंत्रण का बहुत बड़ा संकट प्रदेश के अन्दर आ गया है और नियंत्रण के कारण जनजीवन त्रस्त है। शक्कर का आपने नियंत्रण किया ह। आपका कहना था कि शक्कर का बड़ा अभाव है इसलिये शकर पर नियंत्रण आवश्यक हैं। आपने शकर पर नियंत्रण किया। अब उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति को उस नियंत्रण से कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं वे तो इस से लाभ उठा रहे हैं लेकिन सर्वसाधारण जनता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हम जिस वस्तु पर नियंत्रण करते हैं उससे सर्व साधारण को कोई लाभ पहुंचता है अथवा नहीं, या उससे कुछ साधन सम्पन्न लोगों को ही लाभ पहुंच पाता है? हमारे यहां सीतापुर में कुछ लोगों को शक्कर की दुकानें यहां से दी गयीं और ऐसे लोगों को दे दी गयीं जिनको वहां पर कोई जानता तक नहीं है, और न ही कभी उन्होंने शक्कर का काम किया है।

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी—]

आज आप ईंटों पर नियंत्रण करने जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर भट्टों पर ईंट कोयले से भी पका कर बनायी जाती है और लकड़ी के द्वारा भी बनायी जाती है। आपने कोयले वाली ईंट पर नियंत्रण कर रखा है। लकड़ी वाली ईंट का भाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि लकड़ी वाली ईंट, जो भाव आपने रखा है ३५ रुपये हजार का, उससे दो तीन रुपये कम पर वहां बिक रही है। ३३–३४ रुपये में ही वहां आपको ईंट मिल जायेगी। मैं उन भट्टों के नाम बतला सकता हूं। लहरपुर, औरंगाबाद आदि ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर ३४–३५ रुपये में ईंट बिक रही है। तो वहां पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उससे कोई फायदा नहीं है। कोई वहां परमिट लेता ही नहीं है। परमिट लेकर तो उसे ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। इसलिये नियंत्रण आप वहां लगाइये जहां उसकी जरूरत हो और सर्व साधारण की पहुंच के अन्दर हो, वरना वह कुछ व्यक्तियों के लिये तो फायदेमन्द होगा, शेष के लिये वह अभिशाप सिद्ध होगा। स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई जब केन्द्रीय खाद्य मंत्री हुये तो उन्होंने सारे नियंत्रण एकदम से समाप्त कर दिये और सारी समस्यायें अपने आप हल हो गयीं। अब इधर कुछ पूंजीपतियों ने इस तरह का षड़यंत्र बनाया जिनकी चाल में आकर आपने यह किया और आप उसको समझ नहीं पाये। अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया था कि हापुड़ के अन्दर खुलेआम चीनी बिक रही है और उसका भाव अखबार में निकलता है। सब जगह आज ब्लैक मार्केट चीनी का हो रहा है। आप उसको देखते भी हैं, मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नौकरशाही ने इस तरह से आपको कस रखा है कि वे आपकी ईमानदारी पर फौरन पानी फेर देते हैं। जब तक आपके कर्मचारियों का सहयोग आपको नहीं होगा, तब तक आप अपने किसी काम में सफल नहीं हो सकते। उनके सहयोग के बिना आप चाहें कितनी अच्छी नीयत से कोई स्कीम बनायें, वह सफल नहीं हो सकती क्योंकि आपके कर्मचारियों के अन्दर वे सद्भाव नहीं होते जो आपके अन्दर हैं। मैं आपकी नीयत को खराब नहीं कहता, मैं जानता हूं आपके बीच भी तपे तपाये लोग हैं मगर जो कर्मचारी नियंत्रण का काम चला रहे हैं वे इसको अपनी आय का साधन बना कर इसको चला रहे हैं। आप लेखपाल से लेकर शुगर इन्सपेक्टर तक के पीछे खुफिया पुलिस लगाकर देखिये तब आपको पता चलेगा। आज उनका सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिये आपको उन पर कड़ाई के साथ निगाह रखनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

जैसी आज्ञा।

*श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृष्णानन्दराय जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऊदल जी की बात को बहुत ठीक ढंग से समझा और मंत्री जी के बिल में जो डिमान्ड और सप्लाई की बात लिखी है उसे भी ठीक ढंग से समझा। मैं माननीय बेचनराम जी से भी अर्ज करना चाहता हूं कि कौन कहता है कि महामहिम राज्यपाल को अधिकार नहीं है। उनको अधिकार अवश्य है। लेकिन संविधान में लिखा है कि इमीजिएट ऐक्शन होना आवश्यक हो, तब अध्यादेश लागू किया जाय। ५३ से अब तक आप सोते रहे। २६ दिसम्बर को ३ फरवरी के लिये सदन स्थगित हुआ तब आपको ठीक समय पर आवश्यकता महसूस हुई और राज्यपाल महोदय को अध्यादेश की सलाह दे दी। माननीय बेचनरामजी जैसे लोग अगर प्रजातंत्र की परम्पराओं को नहीं समझेंगे तो इस मुल्क की बदकिस्मती होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने बाहर जाने की बात भी कही। जिस अधिनियम का संशोधन हो रहा है उसे अगर माननीय बेचन राम जी देखने का कष्ट करें तो उसके शेड्यूल में उन कमाडिटीज के नाम दिये हैं जिन पर यह लागू होग। ४७ के ऐक्ट में भी ये हैं। डिमान्ड और सप्लाई का वसूल जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है, वह केवल इंटे और लकड़ी पर ही लागू होता है। जिन्दगी की जरूरत की और चीजें कहां गईं? ये कौन पूरा करेगा? क्या खाद्य और पूर्ति मंत्री केवल ईंटे और लकड़ी के लिये हैं? वह ईंटा और लकड़ी भी तो आप नहीं दे सकते हैं। यह आप दावा मत करिये। मंत्री जी, अपने विभाग से अब तक के २,३ या सालभर के ही, जो भी उन्हें आसान हो, कोई भी आंकड़े पेश कर दें कि किसी जिले में कितनी ईंट, इनके सरकारी विभागों को छोड़कर, जनता को इनके परमिटों पर दी गई हैं और कितनी तैयार हुईं। तब इस विधेयक का जरा उद्देश्य मालूम पड़े। गोरखपुर में ही ईटें का कंट्रोल रेट कुछ दिया जा रहा है और उससे सस्ते रेट पर भट्ठेवाले ईंटे तैयार करते और पी० डब्लू० डी० ने उससे हायर रेट पर दी। इसलिये क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ठंडे दिल से विचार करें या आश्वासन दें, मैं उसका इन्तजार करूंगा और इस विधेयक को पास कराने के बाद सोच विचार दूसरा विधेयक ले आयें जो जिन्दगी की दूसरी वस्तुओं के लिये लाभदायक हो। लेकिन डिमान्ड और सप्लाई की बात का जरूर ध्यान रखें। अतः या तो इसको प्रवर समिति को भेजा जाय या कोई वायदा किया जाय।

श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैंने एक माननीय सदस्य के बारे में आपसे निवेदन किया, लेकिन उस बारे में आश्वासन देने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसको अध्यक्ष के पास प्रोसीडिंग्स के साथ भेज दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जिलाधीश ने आदेश भी दिया लेकिन सरकारी आज्ञा के विरुद्ध एक माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है और आप इस को टाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विधेयक ५ बजे तक चलेगा उसके बाद आप अपनी बात कह लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक माननीय सदस्य को अनर्गल ढंग से.....

श्री उपाध्यक्ष—

पांच से साढ़े पांच बजे तक आप अपनी बात कह सकेंगे। ५ बजे तक यह चलेगा उसके बाद अनुपूरक बजट का प्रेजेन्टेशन है। इसके बाद आप अपनी बात कहें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

तो मैं समझूं कि आप मुझे ५ और साढ़े पांच बजे के बीच में समय देंगे?

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४—(क्रमागत)

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इस विधेयक पर चर्चा के समय बहुत-सी ऐसी बातें कही गयीं जो इसकी परिधि में नहीं आती थीं। मैं उनका उत्तर देता लेकिन समय कम है। मैं कल्पनाथसिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि इस पर हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये और जो बुराइयां इसमें हैं उनको दूर करना चाहिये। मैं स्टेट ट्रेडिंग और टेम्पोरेरी कन्ट्रोल में भेद समझता हूं। समाजवादी गवर्नमेंट में स्टेट ट्रेडिंग की आवश्यकता होती है लेकिन हेप हेजर्ड कन्ट्रोल्स में कुछ दुर्गण आ ही जाते हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि करप्शन नहीं है, हो सकता है लेकिन हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी तो माननीय सदस्यगण यह कहते हैं कि फलां चीज पर कन्ट्रोल होना चाहिये और कभी कहते हैं कि कन्ट्रोल अभिशाप है, इससे बुराइयां पैदा होती हैं, अब किस सलाह को मानें? अब मशीनरी की बात कही गयी। अगर आप यह सोशलिस्ट इस गद्दी पर बैठ गये तो किस मशीनरी से काम लेंगे? केवल टोपी बदल लेने से काम नहीं चलेगा, टोपी को लाल रंग में रंग देने से या नंगे सिर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी इस भारत भूमि के ही रहने वाले हैं, और इस कांग्रेस से निकल कर ही वहां बैठे हैं या उधर बैठे हैं। आप कहीं भी बैठें, लेकिन आप को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है और देखना है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार है और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अब इस पर एक सवाल यह आता है कि कन्ट्रोल न लगे। एक माननीय सदस्य ने स्वर्गीय किदवई साहब का नाम लिया, तो हमने अन्न पर कहां कन्ट्रोल किया है। लोग अभी तक समझे ही नहीं हैं कि किन चीजों पर कंट्रोल है, किन पर नहीं है, किन पर प्राइस कंट्रोल है किस चीज पर मूवमेंट बैंड है। अन्न पर कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर उसका सवाल ही नहीं होना चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

अगर हम लखनऊ से गोरखपुर चावल ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मूवमेंट कंट्रोल अलग चीज है, प्राइस कंट्रोल अलग चीज है। चावल इस प्रदेश के अन्दर कहीं ले जा सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी तरह से गेहूं सारे भारतवर्ष के अन्दर ले जा सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। कीमतों को कम रखने के लिये सरकार अपनी फेयर प्राइस शाप्स से गरीबों को सस्ते दाम पर गल्ला दे रही है। इस पर जरा बारीकी से सोचने की जरूरत है। कोई भी बात हूट डाउन करने की गरज से कहना ठीक नहीं होता। माननीय ऊदल जी की यह बात सही है कि टेम्पोरेरी होने की वजह से ही भ्रष्टाचार ज्यादा है मगर परमानेन्ट करने के लिये पैसा कहां से आवे? अगर परमानेन्ट कर दिया जाय या उनकी तनख्वाहें ऊंची कर दी जायं फिर टेक्स भी बढ़ जाय तो उसका नतीजा क्या होगा? इससे महंगाई और बढ़ेगी और उसका कहीं अन्त नहीं होगा। एक बात कही गयी कि आपने केवल लकड़ी और ईंट को ही इसमें रखा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाकी और तमाम चीजें एसेन्शियल कामोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत आ गयी हैं। दो चीजें ही ऐसी हैं जिनको इमर्जेन्सी की वजह से लिया गया था मगर मुमकिन है कि इमर्जेंसी न रहे और हमारा डेवलपमेंट का कार्य रहे।

दूसरी बात यह कही गयी कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट और आपके डिपार्टमेंट में कोई तालमेल नहीं है। आपको मैं बतलाऊं कि हमने सीमेंट हर डिपार्टमेंट को दे रखा है, जी० ए० डी० को दिया है और जी० ए० डी० का ७५ परसेंट ओवर ऐंड एबव प्लानिंग विभाग को दिया है। मैं तो सबकी सेवा करता हूं। लोकल बाडीज को भी देता हूं, जेनरल पब्लिक को भी देता हूं और इस तरह से सब के कल्याण की बात कहता हूं। आप तो घोड़े की सवारी भी करते हैं और दाना भी नहीं देते और उस पर ऊपर से हंटर भी मारते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से

कल्याण होना बड़ा कठिन है। आप चीजों की सही कीमत पहचानें जिससे देश तरक्की कर सके। आप सैनिटरी इंस्पेक्टर बनने के बजाय डाइरेक्टर बनें। इस तरह के काम तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के ही होते हैं। माननीय कल्पनाथ सिंह जी बड़े समझदार आदमी हैं। मुझे आशा है कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव वापस ले लेंगे ताकि इसे पारित किया जाया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो, और जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—३

२—उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ की धारा २ में संख्या "१९६४" के स्थान पर संख्या "१९६७" रख दी जाय। — उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३ की धारा २ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त तथा पुनरधिनियमित कोई अधिनियमित हो। — उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६४ का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ व ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिए — उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, आपने वादा किया था अब मैं अपनी बात कह लूं.....

श्री उपाध्यक्ष—अभी द्वितीय अनुपूरक अनुदान पेश हो जायं फिर आप कह लें।

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से मैं वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के द्वितीय अनपूरक अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुखलाल (लखनऊ) की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी—(क्रमागत)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री सुखलाल जो जनसंघ दल के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की सूचना यहां सुनाई थी। मुझे उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जनसंघ का जो जलूस निकल रहा था वह किसानों की फसल पर पाला पड़ने से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर लगान में छूट की मांग को लेकर था और चूंकि लखनऊ में १४४ लगी हुई थी इसलिये जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पहले ही जिलाधीश को पत्र लिखकर उसको निकालने की अनुमति मांग ली थी और वह उनको प्राप्त भी हो चुकी थी। उस की यह मूल प्रति मेरे पास है जिसको मैं आप के सम्मुख पढ़कर सुनाये देता हूं और आप को दिखा भी दिया है, वह इस प्रकार से है कि—

"CITY MAGISTRATE OFFICE,
LUCKNOW.

SRI BASANT LAL,
ADVOCATE,
ZILA MANTRI,
BHARATIYA JAN SANGH,
LUCKNOW.

DEAR SIR,

Please refer to your application, dated February 6, 1964 you are permitted to take out a procession of Kisans, for presentation of their application to the Collector for relief due to the destruction of crops from frost, from Begam Hazrat Mahal Park to Roshan-ud-daula Courts, Collectorate, Lucknow, *via* Raja Nawab Ali Road.

However, no permission for the use of loud speaker can be allowed.

Yours faithfully,
(Sd.) B. P. BHATTACHARRYA,
City Magistrate,
Lucknow."

SEAL.

इस परमीशन के पाने के बाद भी जब हजरतमहल पार्क में किसान एकत्र होने लगे तो वहां पर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस जीप में बाहर से आये और वहां पुलिस पहले से मौजूद थी और पुलिस ने उनसे कहा कि आप को गिरफ्तार किया जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि हमने तो पहले से ही परमिशन ले रखी है तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और यह कह कर वह गिरफ्तार किये गये। इस पर हमारे साथी श्री टम्बेश्वरप्रसाद जी ने ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न दिया है, मैं आशा करता हूं कि आप उसको पढ़ेंगे, आप पढ़ दें तो मैं बैठ जाऊं। तो इस तरह से माननीय सदस्य सदन के काम में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये यहां आ रहे थे और सरकारी अधिकारियों ने उसमें बाधा डाली है, उनको अन्यायपूर्ण ढंग से जबरदती रोका और गिरफ्तार किया गया जब कि उनको परमिशन पहले से मिल चुकी थी। कहा जाता है कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिये उन को गिरफ्तार किया गया जबकि जनसंघ के किसी भी कार्यकर्त्ता ने शहर में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया और इस सम्बन्ध में अधिकारियों का कहना बिलकुल गलत है। एक ओर तो सरकार के अधिकारी किसानों को इजाजत देते हैं कि वे अपने कष्टों को कहें लेकिन दूसरी ओर जब वह कहने आते हैं तो उनके मुंह पर ताला लगाया जाता है। यह हालत उनकी अफसरशाही की है कि एक तरफ तो इजाजत देते हैं और उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार करते हैं और अपने को उस पर भी जस्टिफाई करने के लिये लाउड स्पीकर के प्रयोग का झूठा इल्जाम लगाते हैं। इस समय उपनेता सदन मौजूद हैं मैं उनसे आशा करूंगा और मांग करूंगा कि यह जो घृणित और निन्दनीय कार्य हुआ है, यह जो बंगलिंग हुई है उसको देखें और गिरफ्तार व्यक्तियों को फौरन छुड़वायें और साथ ही उन से मेरी मांग है कि इस प्रकार का बंगलिंग का काम करने वाले अधिकारयों को समुचित दंड दें, जल्दी दंड दें और जो दंड दें उससे सदन को अवगत करायें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अभी-अभी १० मिनट हुए मुझे इस बात की सूचना मिली कि ऐसा सवाल एसेम्बली में आया है। मैंने होम मिनिस्टर से कहा है कि इस बात की तहकीकात करके उसके फैक्ट्स मांग लिए जायं। जब वे फैक्ट्स आ जायेंगे तो इसके सम्बन्ध में माननीय सदन में अपना वक्तव्य दे दूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, लखनऊ की यह घटना है और यह सूचना प्राप्त करने में देर नहीं होनी चाहिए। आपने अभी स्पष्ट किया है कि १० मिनट पहले आपको सूचना मिली। क्या विधान सभा से डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज से सूचना मांगना असंभव है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हां, यह असम्भव है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अगर ऐसा है तो आप के द्वारा शासन चलाना भी असंभव है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दस मिनट का समय ऐसा नहीं होता कि इसमें यह सूचना प्राप्त कर ली जाय।

श्री याददवेन्द्रदत्त—

दस मिनट का समय ही नहीं। इसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने ११ १/२ बजे दी थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उस समय मैं सदन में नहीं था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं आप की बात नहीं कहता—मैं सरकार की बात कहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं ग़लत बात नहीं कहता। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं। आपने बंगलिंग वगैरह की बात कही तो जब तक मैं पूरी जांच न करा लूं तब तक कोई बयान नहीं दे सकता।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

एक ओर तो जिलाधीश आदेश देते हैं और दूसरी ओर अरेस्ट करते हैं। यह जो एटीट्यूड है, उचित नहीं है। उनके उत्तर दुर्लक्षित हैं और इस ओर जो सरकार का रुख है हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करना है इस व्यवहार के विरोध में हम सदन का त्याग करेंगे। जब श्री सुखलाल को परमिशन थी तो क्यों उनको पकड़ा गया। अतः इसके विरोध में मैं जनसंघ दल के साथियों सहित सदन से ५ मिनट के लिए वाक आउट करता हूं।

(इसके उपरान्त जनसंघ दल के माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में, माननीय उपनेता सदन, परसों को क्वैश्चन आवर के पश्चात् अपना वक्तव्य दे देंगे।

अब हम उठते हैं परसों १० १/२ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर बुधवार, १२ फरवरी, १९६४ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१० फरवरी, १९६४।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर।)

तालिका

विलीनीकरण के पूर्व	विलीनीकरण के पश्चात्	विशेष विवरण
१	२	३
१—वनों के निकट रहने वाले लोगों को उनके खेतों को, रूंधने के लिये कांटे निःशुल्क लेने की आज्ञा थी।	१—वहीं, परन्तु अब भूमि कटाव वाले क्षेत्र से कांटे कटने में रोक लगा दी गई है।	१—यह रोक विलीनीकरण के पश्चात् भूमि संरक्षण व कटाव को रोकने के लिये लगाई गई है। यह किसी भी प्रकार से ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति में प्रभाव नहीं डालती है।
२—उनको प्रोटेक्ट वनों से एक सरवांझ जलौनी लकड़ी निःशुल्क अपने निजी प्रयोग के लिये लाने के लिये आज्ञा थी।	२—वही	२—कोई अन्तर नहीं।
३—वनों के निकट रहने वाले ग्रामीणों को अपने पशुओं को खिलाने या छप्पर की मरम्मत के लिये घास व पत्तियां (बढ़, पीपल या और जंगली अंजीर तथा अन्य दूसरे वृक्षों की पत्तियां जो वन अधिकारी की राय में प्राप्त हैं) सरबोझों से या जानवरों के पीठ पर निःशुल्क वनों से लाने की आज्ञा थी।	३—वही	३—अन्तर नहीं है।
४—राज्य के वनों के निकट रहने वाले किसान काश्तकारी के औजार बनाने के लिये लकड़ी निःशुल्क पाते थे।	४—अब भी लकड़ी निःशुल्क नीचे दिये माप के आधार पर दी जाती है: नाम — देने की अवधि — माप जुआ — ८ वर्ष बाद — ५० बीघा वाले को	४—विभिन्न प्रकार की सुविधाओं व अन्य छूटों को निर्धारित करने के लिये किसी समय विशेष की पर्याप्तता को लगाना अनिवार्य प्रतीत हुआ है और इसी आधार पर अब यह सुविधायें दी जाती हैं।

विलीनीकरण के पूर्व	विलीनीकरण के पश्चात्	विशेष विवरण
१	२	३
	प्रत्येक २५ पर एक, ५० से १०० बीघा तक प्रत्येक ३५ बीघा पर एक, १०० बीघा से अधिक हर ५० बीघा पर एक	
	हरी ८ वर्ष बाद ५० बीघा वाले को हल २ वर्ष बाद प्रत्येक २५ पर एक, परि- ८ वर्ष हत बाद ५० से १०० बीघा तक प्रत्येक ३५ बीघा पर एक, १०० बीघा से अधिक हर ५० बीघा पर एक	
	हेंगा ८ वर्ष बाद हर ५० बीघा पर एक	
५.—लकड़ी कुओं के पौला के लिये निःशुल्क।	५—कुओं और पुलों के लिये लकड़ी २० रु० तक की कीमत की निःशुल्क (निर्धारित दर पर)	५—विलीनीकरण के पूर्व गांव वालों को दी जाने वाली लकड़ी की मात्रा दिखाते हुये कोई भी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विलीनीकरण के पूर्व	विलीनीकरण के पश्चात्	विशेष विवरण
१	२	३
		कागजात उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह देखा गया है कि इस सीमा के अन्दर ही ग्रामीणों की आवश्यकता भली भांति पूरी हो जाती है।
६--राज्य के वन निकटवर्ती निवासी अपने निजी उपयोग के लिये छप्पर तथा मकान बनाने की लकड़ी निःशुल्क पाते थे।	६--निर्धारित दर के अनुसार क्रमशः २० रु० तथा ५ रु० तक कीमत की लकड़ी झोपड़ी तथा मचान के लिये निःशुल्क दी जाती है।	६-- ,, ,,
७--मकान बनाने तथा उनकी मरम्मत के लिये इमारती लकड़ी निर्धारित दर पर दी जाती थी। परन्तु तालुका नौगढ़ के ग्रामीणों को आधी निर्धारित दर पर दी जाती थी।	७--वही (लेकिन साल, सांदन, महुआ, दियार, कमरहर, हल्दू, सागौन, खैर, सेमल तथा असना को काटने की आज्ञा उपर्युक्त किन्हीं भी श्रेणियों में नहीं है) संख्या १ से लेकर ७ तक।	७--यह प्रतिबन्ध सिलवीकलचर के दृष्टिकोण से इन कीमती व कम पाये जाने वाले पेड़ों की जातियों को समाप्त होने से रोकने के लिये लगाया गया है।
८--महुवा को छोड़ कर वनों से प्राप्त अन्य खाने वाले फल निःशुल्क ले सकते थे।	८--वही	८--अन्तर नहीं है।
९--बढ़, पीपल तथा दूसरे जंगली अन्जीर तथा अन्य पेड़ जिनकी वन अधिकारी समय-समय पर आज्ञा दें, को छोड़ कर अन्य पेड़ों की शाखतरासी सख्त मना था।	९--वही	९--अन्तर नहीं है।
१०--सम्पूर्ण वन क्षेत्र न केवल बनारस जिले के अपितु साथ लगे मिर्जापुर जिले व विहार प्रान्त के पशुओं के लिये असीमित चराई के लिये खुले थे।	१०--वही	१०--अन्तर नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२४ पर।)

आजमगढ़ जिले के साफ्ट कोक के दूकानदारों तथा उनके व्यापारिक स्थानों की सूची

दूकानदार का नाम	स्थान
१—श्री वेदप्रकाश अग्रवाल	आजमगढ़
२—श्रीमती सीता देवी	आजमगढ़
३—सर्वश्री राम बिलास राम नरेश	आजमगढ़
४—श्री इम्दाद हुसेन	मुबारकपुर
५—श्री सन्त बक्श साहू	फूलपुर
६—श्री फूल चन्द	दोहरीघाट
७—सर्वश्री प्यारे लाल नन्द लाल	मऊनाथ भंजन
८—सर्वश्री भीमल दास लाहोरी मल	मऊनाथ भंजन
९—श्री बृजभूषण तिवारी	घोसी
१०—सर्वश्री श्रीनाथ जमुना प्रसाद	मोहम्मदाबाद

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

रुद्रपुर तथा रामपुर कारखाना टाउन एरियाओं को १ अगस्त, १९६३ से १५ अक्टूबर, १९६३ तक वितरण हेतु दिये गये सीमेंन्ट का विवरण

नाम टाउन एरिया		कुल सीमेंट जो इस अवधि में दी गई	कार्य जिसके लिये सीमेंट दी गई		
			नव-निर्माण	मरम्मत	निर्माण-कार्य
		बोरी	बोरी	बोरी	बोरी
रूद्रपुर	..	४५०	२९०	१६०	..
रामपुर कारखाना	..	३२५	१५६	१५०	१९

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर।)

जिला बिजनौर में पिछले पांच वर्षों में ईंटों के रेट का विवरण

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	प्रति हजार
(अ) १९५८ से जनवरी, ९, १९६१ तक ..	२६.७५	२३.००	१५.००	,,
(ब) १० जनवरी, १९६१ से ४ अप्रैल, १९६१ तक ..	२८.२५	२३.००	१५.००	,,
(स) ५ अप्रैल, १९६१ से ८ मार्च, १९६३ तक ..	३०.००	२४.००	१५.००	,,
(द) ९ मार्च, १९६३ से अब तक	३२.००	२६.००	१७.००	,,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

माननीय जिलाधीश महोदय,

आजमगढ़।

कृपा करके आप "सप्लाई" पूर्ति कार्यालय के बारे में जो भ्रष्टाचार की किवदन्तियां जिले भर मै फैली हैं, उसको रोकने का कष्ट करें। जो शिकायतें है उनका विवरण निम्न प्रकार हैं।

१--पूर्ति कार्यालय में सीमेंट तथा मिट्टी के तेल के लाइसेंस के संबंध में जनता को काफी जलील किया जा रहा है। आठ-आठ दिन से लोग रोज दौड़ते हैं, मगर कोई उनका काम नहीं करता; दूसरे दिन के लिए तारीख छोड़ते चले जाते हैं।

२--पूर्ति कार्यालय के गोदामों में दो तरह का अनाज है, ऐसा सस्ते गल्ले के दूकानदारों ने मुझे बताया है जो एक रुपया फी बोरी घूस देता है उसे बढ़िया गेहूं, चावल मिल जाता है; जो नहीं देता है रद्दी किस्म का गेहूं, चावल दिया जाता है।

३--ईंट के भट्टे की परमिट की सिफारिश इस वर्ष तथा पिछले वर्ष जितने लोगों की, की गई है उनसे प्रत्येक से ५०० रु० लिया गया है, ऐसी शिकायत लोगों में है, यद्यपि इधर जब से सुरक्षा कोष में चन्दा इकट्ठा होने लगा तब से उसी के नाम से लिया गया है।

४--गांवों के जिन लोगों ने मिट्टी का तेल फुटकर बेंचने के लिए लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र बी० डी० ओ० इत्यादि के सिफारिश के साथ दिया है पूर्ति आफिस के कर्मचारी कहते हैं कि इस की जांच पूर्ति इंस्पेक्टर करेंगे। इस कार्य को लोग यही बता रहे हैं कि पैसा लेने के लिए किया जा रहा है, हालांकि बी० डी० ओ० को सुरक्षा कोष के लिए पैसा प्रार्थियों ने दिया है, यह मेरी जानकारी है।

५--हायर सेकेंडरी स्कूल करखिया का ईंट के भट्ठे का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद पूर्ति आफिस के कर्मचारियों की साजिश से चलता रहा जिसकी ईंट को, स्वयं स्कूल ने खरीदा है, यद्यपि उस भट्ठे को चलाने में स्कूल का कोई हाथ नहीं था।

आपका,

उमा शंकर,

२३-१-१९६३

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५५ पर)

१ अप्रैल, सन् १९६४ से ३१ मार्च, १९६३ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत माइल्ड स्टील और पिग आइरन का विवरण।

वर्ष	माइल्ड स्टील का कोटा (टनों में)	पिग आइरन का कोटा (टनों में)	विशेष विवरण
अप्रैल, १९५४ से मार्च, १९५५	३७,८९१	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	
१९५५–५६ ..	४५,४७१	,,	
१९५६–५७ ..	५०,०७५	,,	
१९५७–५८ ..	६५,४०६	,,	
१९५८–५९ ..	९८,३७५	,,	
१९५९–६० ..	२,११,०२७*	१९७४३†	*माइल्ड स्टील की सभी किस्मों के लिये। †१९५९ की प्रथम छमाही (जनवरी से जून) के लिये ही कोटा मिला। इसके बाद केन्द्रीय सरकार ने पिग आइरन से नियंत्रण १–७–५९ से हटा लिया।
१९६०–६१ ..	५६,०५६ ऋ	,,	ऋ केवल बी० पी० जी० पी०, जी० सी०, शीट्स, प्लेट्स तथा वायर का ही कोटा मिला था। केन्द्रीय सरकार ने लोहे की अन्य किस्मों पर जो माल मंगाने का नियंत्रण था उसे हटा लिया।
१९६१–६२	५२,९२४ छ	,,	छ केवल बी० पी० १४ गेज से ऊपर की जी० सी० शीट्स और वायर का कोटा प्राप्त हुआ।
१९६२–६३	१४,६८५ +	,,	+ केवल कोल्ड रोल्ड बी० पी० शीट्स १४ गेज से ऊपर का और ६०० टन अतिरिक्त जी० सी० शीट्स बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिये मिली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे ५५८ पर)

विधान सभा के वाराणसी जिले के कटेहर चुनाव क्षेत्र के उन गांवों की सूची जहां हैण्ड पम्प लगे हैं

गांव सभा का नाम	हैण्ड पम्प की संख्या
१—छितौनी	१
२—नरायनपुर	१
३—हृदयपुर	१
४—जाल्हूपुर	१
५—आमवा	१
६—चिरई गांव	२
७—खानपुर	१
८—उमरहा	१
९—गौराकलां	२
१०—कमौली	१
११—कोटवा	१
१२—व्यासपुर	१
१३—बंथराकलां	१
१४—वरियामनपुर	९
१५—पर्वतपुर	१
१६—आशापुर	१
१७—चांदपुर	१
१८—दीनापुर	१
कुल ..	२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५६२ पर)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ यू० पी० श्री बद्रीनाथ टैम्पिल ऐक्ट, १९६४ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १६, १९३९ के विस्तृत शीर्षनाम तथा प्रस्तावना का संशोधन ।

२—यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९४९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के विस्तृत शीर्षनाम तथा प्रस्तावना में शब्द "and its endowments" के स्थान पर कामा और तत्पश्चात् शब्द "Shri Kedarnath Temple and their endowments" रख दिये जायें और मूल अधिनियम, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ, इसके पश्चात् Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 कहलायेगा ।

धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय;

"3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) 'Committee' means the Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Committee constituted under this Act ;

(*b*) 'Endowment' means all property, movable or immovable, belonging to, or given or endowed for the maintenance or improvement of, or additions to, or worship in the Temple or for the performance of any service or charity connected therewith and includes the idols installed therein, the premises of The Temple and gifts of property made to anyone within the precincts of The Temple ;

(*c*) 'Temple Fund' means the Endowment and includes all sums received by or on behalf of, or for the time being held for the benefit of, The Temple, and also includes all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of The Temple or any deity thereof in the name of any person, or for the convenience, comfort or benefit of the pilgrims thereto, as well as all offerings made to any of the deities comprised in The Temple ;

(*d*) 'The Temple' means the temple of Shri Badrinath and the temple of Shri Kedarnath in district Chamoli and includes, in the case of the temple of Shri Badrinath, other temples within its premises comprising survey numbers 223, 224, 225, 226, 227, 228, 368, 369 and 370 of the survey of the year 1930-31 of the village of and Badrinath in patti Talla Pain Khanda, then district Garhwal, including Shri Lakshmiji temple, the images of Garur, Hanumanji, Ghantakaran and all other

minor images situate within the said survey numbers and also all appurtenant and subordinate temples and shrines mentioned in Schedule I, and in the case of the temple of Shri Kedarnath, the appurtenant and subordinate temples and shrines mentioned in Schedule II, and also includes, in the case of either, any additions which may be made thereto after the commencement of this Act ;

(*e*) 'prescribed' means prescribed by rules made by the State Government under this Act ; and

(*f*) 'scheme' means a scheme of management settled by the court under the provisions of section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908." Act V O 1908.

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— धारा ४ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन ।

Vesting of Temple Fund.

"4. The ownership of the Temple fund shall vest in the deity of Shri Badrinath or Shri Kedarnath, as the case may be, and the Committee shall be entitled to its possession."

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित दिया जाय । धारा ५ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन ।

"5. (1) The administration and the governance of The Temple and the Temple Fund shall vest in a Committee which shall be composed as follows :

(*a*) two persons to be nominated by His Highness the Maharaja of Tehri ;

(*b*) two persons to be elected by the Hindu members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and one person to be elected by the Hindu members of the Uttar Pradesh Legislative Council ;

(*c*) one person residing in the district of Garhwal to be elected by the Hindu members of the Zila Parishad of that district ;

(*d*) one person residing in the district of Tehri-Garhwal to be elected by the Hindu members of the Zila Parishad of that district ;

(*e*) one person residing in the district of Chamoli to be elected by the Hindu members of the Zila Parishad of Chamoli and, for so long as there is no Zila Parishad in Chamoli, to be nominated by the Collector of that district;

(*f*) one person residing in the district of Uttar Kashi to be elected by the Hindu members of the Zila Parishad of Uttar Kashi and, for so long as there is no Zila Parishad in Uttar Kashi, to be nominated by the Collector of that district ; and

(*g*) the President of the Committee and five members to be nominated by the State Government.

(2) The State Government may appoint any member of the Committee as Vice-President thereof. The Vice-

President shall exercise such powers as may, with the previous approval of the State Government, be delegated to him by the President.

(3) The constitution of the Committee shall be notified by the State Government in the official *Gazette* :

Provided that the State Government may notify the constitution of the Committee at any time after the President and not less than eight members of the Committee have been elected or nominated, as the case may be, and the Committee so constituted shall be deemed to be a duly constituted Committee.

(4) No person who is subject to any disqualification referred to in sub-section (1) of section 10 shall be eligible for membership or for the office of the President or Vice-President of the Committee."

धारा ६ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा ६ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

धारा ८ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन ।

७—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"The President, the Vice-President or any other member of the Committee shall, subject to the provisions of sections 10 and 11, hold office for a term ending with the expiration of three years from the date of notification under sub-section (3) of section 5 :

Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, extend the term of the President, Vice-President and other members of the Committee, whether it has already expired or not, for a period not exceeding three months at a time and six months in the aggregate."

धारा १० का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) शब्द "The State Government may suspend or remove the President or any member of the Committee on the following grounds" के स्थान पर शब्द "The State Government may remove, or pending proceedings for removal, suspend, the President, the Vice-President or any other member of the Committee on his incurring any of the following disqualifications" रख दिये जायं,

(ख) खंड (ए) में शब्द "by a criminal court" निकाल दिये जायें और शब्द "Government" के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायें,

(ग) खंड (डी) में शब्द "or that some other sufficient cause exists for his removal" निकाल दिये जायें;

(घ) खंड (जी) के अन्त में आया हुआ शब्द "or" निकाल दिया जाय, खंड (एच) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय तथा उसके बाद शब्द "or" बढ़ा दिया जाय और तदुपरान्त निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय—

"(i) that he has in the opinion of the State Government acted in a manner prejudicial to the interest of the Temple." ;

(२) उपधारा (२) में शब्द "a reasonable opportunity of showing cause against his removal" के स्थान पर शब्द "an opportunity of submitting an explanation in respect of the grounds alleged against him" रख दिये जायें।

९—मूल अधिनियम की धारा ११ में— धारा ११ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय:

"(2-A) without prejudice to the power of the State Government under sub-section (1), the State Government may, on being satisfied that it is necessary in the interests of the Temple and its efficient management, by notification dissolve the Committee and direct the reconstitution of another Committee in accordance with the provisions of this Act within a period of six months from the date of such dissolution ;" और

(२) उपधारा (४) में शब्द "the funds of the Temple" के स्थान पर शब्द "the Temple Fund" रखे दिये जायें।

१०—मूल अधिनियम की धारा १२ में— धारा १२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) और (२) में जहां-जहां भी शब्द "the President" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "the President, the Vice-President" रखे दिये जायें।

(२) उपधारा (४) में शब्द "a vacancy" के स्थान पर शब्द "a casual vacancy" रख दिये जायें।

११—मूल अधिनियम की धारा १३ में— धारा १३ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द "the President or in his absence one of the members to be elected at the meeting" के स्थान पर शब्द "the President or in his absence the Vice-President, and in the absence of both, one of the remaining members to be elected as Chairman at the meeting" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (३) में शब्द "four" के स्थान पर शब्द "five" रख दिया जाय;

(३) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय—

"(4) Every decision of the Committee shall, except as expressly provided by this Act, be by a majority of votes, and in case of equality of votes, the person presiding at the meeting shall have a second or casting vote."

धारा १४ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १४ में शब्द "and a Secretary who will be its Chief Executive Officer" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"and the State Government shall, after consultation with the President of the Committee, appoint a person possessing the prescribed qualifications as Mukhya Karyadhikari, who will be the Chief Executive Officer of the Committee :

Provided that pending the appointment of a Mukhya Karyadhikari as aforesaid the State Government may after like consultation appoint any person as Antarim Mukhya Karyadhikari who shall exercise and discharge all the powers, functions and duties of Mukhya Karyadhikari."

धारा १५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १५ में:—

(१) उपधारा (१) निकाल दी जाय;

(२) उपधारा (२) में शब्द "the Committee shall" के पश्चात् कामा तथा शब्द "except when for reasons to be recorded in writing it decides otherwise," बढ़ा दिये जायें;

(३) उपधारा (४) में शब्द "the Rawal, the Naib-Rawal and the Secretary" के स्थान पर शब्द "the Rawal and the Naib-Rawal" रख दिये जायें ;

(४) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(5) The President of the Committee shall, except as expressly provided by this Act or the rules made thereunder and subject to the bye-laws made under this Act, have the power to appoint and transfer officers and servants of the Committee other than the Rawal and the Naib-Rawal and may fine, reduce, suspend, remove or dismiss them for breach of discipline, for carelessness, unfitness, neglect of duty, or misconduct, or for other sufficient casue :

Provided that in the case of servants whose pay is not more than Rs.100 per mensem, the powers mentioned in this sub-section shall be exercised by the Mukhya Karyadhikari. The orders of the President punishing any officer or servant under this sub-section shall be appealable to the Committee, and the orders of the Mukhya Karyadhikari punishing any servant under this sub-section shall be appealable to the President, within thirty days of the communication of the order to the person punished" ;

(५) उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(6) The Committee shall have the power to remove or otherwise punish the Rawal and the Naib-Rawal :

Provided that the President may, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded, suspend the Rawal or the Naib-Rawal and report the action taken to the Committee at its next ensuing meeting, and the Committee may thereupon take such action as it may deem fit :

Provided further that the Rawal or the Naib-Rawal may appeal to the State Government within thirty days, or such further time as the State Government may, for sufficient cause, allow, of a resolution of the Committee removing him and the State Government may pass such orders thereon as it may deem fit and such orders shall be final";

(६) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय:—

"(7) The Mukhya Karyadhikari shall hold his office on such terms and conditions as may, subject to rules made in this behalf under the Act, be fixed by the State Government and shall be paid his remuneration and allowances from the Temple Fund."

१४—मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:— नयी धारा १५-ए का बढ़ाया जाना

15-A. The President, the Vice-President and other members, the Mukhya Karyadhikari, the Antarim Mukhya Karyadhikari, and the Rawal, the Naib-Rawal and other officers and servants of the Committee shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rule, bye-law or order made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."

"Temple functionaries to be public servants.

१५—मूल अधिनियम की धारा १६ में शब्द "any money or other property belonging to the Committee" के स्थान पर शब्द "the Temple Fund" रख दिये जायें। धारा १६ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा १७ में— धारा १७ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "vested in the Committee" के स्थान पर शब्द "forming part of the Temple Fund" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "No immovable property, land held on mortgage, lease or otherwise vested in the Committee" के स्थान पर शब्द "No land or other immovable property held on mortgage, lease or otherwise by the Committee on behalf of the Temple" रख दिये जायें।

१७—मूल अधिनियम की धारा १८ में से शब्द "from any person" निकाल दिये जायें। धारा १८ का संशोधन

धारा १९ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा १९ में शब्द "the fund thereof" के स्थान पर शब्द "the Temple Fund" रख दिये जायं।

धारा २१ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा २१ में शब्द "That the Temple is properly maintained, the endowments thereof are properly administered and their funds duly appropriated to the purposes for which they were founded or exist" के स्थान पर शब्द "That the Temple and the Temple Fund are properly managed, maintained and administered" रख दिये जायें।

धारा २२ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (२) में शब्द "the funds of the Temple" के स्थान पर शब्द "the Temple Fund" रख दिये जायें।

धारा २३ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा २३ में—

(१) खंड (३) में शब्द "the property vested in the deity of Shri Badrinath or Shri Kedarnath" के स्थान पर शब्द "the Temple Fund" रख दिये जायें; और

(२) खंड (९) में शब्द "management of the temple and endowments" के स्थान पर शब्द "management, maintenance and administration of the Temple and the Temple Fund" रख दिये जायें।

धारा २५ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा २५ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (ए) में शब्द "Secretary" के स्थान पर शब्द "Mukhya Karyadhikari" रख दिये जायें।

(ख) खंड (एफ) में शब्द "funds of the Committee" के स्थान पर शब्द "the Temple Fund" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "published for public criticism" के स्थान पर शब्द "published in the prescribed manner" रख दिये जायें।

धारा २६ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा २६ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (ई) में शब्द "Secretary" के स्थान पर शब्द "Mukhya Karyadhikari" रख दिये जायें,

(२) खंड (एफ) में शब्द "the President and Members" के स्थान पर शब्द "The President, the Vice-President and other members" रख दिये जायें, और

(३) खंड (एच) में से शब्द "Clause (*a*) of sub-section (1) of section 5 and of" निकाल दिये जायें।

धारा २७ का निकाला जाना।

२४—मूल अधिनियम की धारा २७ निकाल दी जाय।

२५—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से मूल अधिनियममें निर्दिष्ट सेक्रेटरी का पद समाप्त किया जाता है और उक्त दिनांक से ठीक पूर्व उक्त पद धारण करने वाले व्यक्ति को, जो उक्त अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के परिणामस्वरूप पदधारी न रह जायगा, टेम्पिल फंड जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में परिभाषित है, से प्रतिकर के रूप में तीन महीने का वेतन दिया जायगा।

संक्रमाणकालीन उपबन्ध उत्तर प्रदेश।

अध्यादेश संख्या १, १९६४

२६—(१) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ निरस्त किया जाता है।

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६४।

(२) इस निरस्त के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम ५ जनवरी, १९६४ को प्रारम्भ हुआ हो।

विधान सभा प्रदेश

उद्देश्य और कारण

श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समय-समय पर यथा संशोधित यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ द्वारा शासित होते हैं। इन मंदिरों का प्रशासन ऐक्ट के अधीन संघटित एक समिति के हाथ में है।

२--कुछ समय पूर्व, इन मंदिरों के प्रशासन की जांच करने के लिए नैनीताल के तत्कालीन जिला और सेशन्स जज, श्री एस० डी० खरे, की एक-सदस्यीय समिति नियुक्त की गयी थी, खरे समिति ने इन मंदिरों की निधियों के संबंध में टेम्पिल कमेटी के सेक्रेटरी के आचरण के विरुद्ध प्रतिकूल आलोचना की थी।

३--इसके बाद श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ टेम्पिल कमेटी ने सेक्रेटरी की सेवाओं को समाप्त कर दिया, जिस पर सेक्रेटरी ने रिट याचिका दायर कर के आपत्ति उठायी। सेवा की समाप्ति इस आधार पर अवैध मानी गयी कि कमेटी उचित रूप से संघटित नहीं की गयी थी। इस संबंध में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकार कमेटी में ऐसे दो प्रतिनिधियों का, जो पहले भूतपूर्व टेहरी रियासत की प्रतिनिधि सभा (रिप्रिजेंटेटिव असेम्बली) द्वारा भेजे जाते थे, नामनिर्देशन करने के अधिकार का प्रयोग कर रही थी। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ऐक्ट में संशोधन किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

४--खरे समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सेक्रेटरी के पद पर ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति को रखना चाहिये जिसे प्रशासकीय योग्यता और अनुभव हो। परिणामस्वरूप, सेक्रेटरी के पद को एक उच्च स्तर के पद में बदलना और सरकार को नियुक्ति प्राधिकारी बनाना भी इष्टकर समझा गया।

५--यह भी अनुभव किया गया कि टेम्पिल कमेटी का विघटन या अतिक्रमण करने का राज्य सरकार का अधिकार अपर्याप्त है। अतएव इस संबंध में और व्यापक अधिकार चाहे गये।

६--इसके अतिरिक्त यह भी वांछनीय समझा गया कि किन्हीं भी देवी देवताओं को चढ़ाई गयी वस्तुओं को मंदिर की सम्पत्ति का भाग माना जाना चाहिये।

७--टेहरी रियासत के विलयन और नये जिलों के बन जाने के परिणामस्वरूप धारा ५ में कमेटी के संघटन में परिवर्तन करना भी अपेक्षित हो गया।

८--इन मंदिरों के प्रशासन में सुधार करने तथा इन कठिनाइयों को और ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के कुछ अन्य दोषों को दूर करने के लिए कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री।

प्रतिनिहित विधायन का ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें विधायन अधिकार के प्रतिनिधान का तत्व अन्तर्ग्रस्त है, किन्तु वे सब सामान्य प्रकार के हैं।

प्रस्तावित खंड १२—इसमें राज्य सरकार को टेम्पिल कमेटी के मुख्य कार्याधिकारी (Chief Executive Officer) के पदधारी के लिये अर्हतायें नियत करने का अधिकार दिया गया है।

प्रस्तावित खंड १३ का उपखंड (६)—इसमें राज्य सरकार को, टेम्पिल कमेटी के मुख्य कार्याधिकारी के पद की सेवाओं के संबंध में शर्तें निश्चित करने का अधिकार दिया गया है।

प्रस्तावित खंड २२ का उपखंड (२)—इसमें राज्य सरकार को टेम्पिल कमेटी द्वारा बनायी जाने वाली उपविधियों के पूर्व प्रकाशन अथवा बनायी गयी किसी उपविधि को निरस्त या परिवर्तित करने के संबंध में रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उन परिस्थितियों का ज्ञापन-पत्र जिनमें अध्यादेश का रूप भेद करना आवश्यक हुआ

खंड २ नया संशोधन औपचारिक है ।

खंड ३ अतिरिक्त परिवर्तन औपचारिक है ।

खंड ५ अध्यादेश में, भूतपूर्व टिहरी रियासत से बनाये गये टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर काशी के जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। और इसीलिए सदस्यों की संख्या में दो की वृद्धि की जा रही है। इस अवसर का उपयोग सदस्यों में से एक को वाइस प्रेसीडेंट नियुक्त करने के लिए भी किया जा रहा है जिससे कि वह प्रेसीडेंट की अनुपस्थिति में कर्त्तव्यों का पालन और उन अधिकारों का प्रयोग कर सके जो उसे प्रतिनिहित किये जायं ।

खंड ७ अतिरिक्त परिवर्तन औपचारिक है ।

खंड ८ राज्य सरकार द्वारा कमेटी के प्रेसीडेंट अथवा उसके किसी भी सदस्य को हटाने या निलम्बित करने का अधिकार लिया जा रहा है, यदि उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जो मंदिर के हितों के लिए हानिकर हो। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि किसी सदस्य आदि के हटाने के पूर्व की जाने वाली जांच नियमित अर्ध-न्यायिक जांच न होगी वरन् कम औपचारिक होगी ।

खंड ११ कमेटी की गणपूर्ति ४ से बढ़ाकर ५ की जा रही है क्योंकि सदस्यों की संख्या १२ से बढ़ कर १५ हो गयी है, जिसका अर्थ यह है कि गणपूर्ति १/३ बनी रहेगी। इस की भी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जा रही है कि कमेटी के निर्णय केवल बहुमत से किये जायंगे ।

खंड १२ अब एक नया उपबन्ध यह बनाया जा रहा है कि सरकार, मुख्य कार्याधिकारी या अन्तरिम मुख्य कार्याधिकारी को नियुक्त करने से पहले कमेटी के प्रेसीडेंट से परामर्श करेगी ।

खंड १३ (क) मुख्य कार्याधिकारी ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर पदधारण करेगा जो नियमों में नियत किये जायें। यह विषय नियमों के लिए छोड़ दिया गया है जिससे कि उनमें उक्त पद पर या तो सरकारी अथवा उपयुक्त गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की जा सके।

(ख) कमेटी को जब परिस्थितिवश ऐसा करना न्यायसंगत हो, नायब रावल की रावल के रूप में नियुक्ति न करने के संबंध में स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(ग) प्रेसीडेंट को, असाधारण परिस्थितियों में उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, रावल तथा नायब रावल को निलम्बित करने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(घ) मुख्य कार्याधिकारी को हटाने के लिए कमेटी के संकल्प से संबंधित प्रतिबन्धात्मक खंड निकाला जा रहा है क्योंकि इसके लिए नियमों में व्यवस्था करने का विचार है ।

खंड १४ श्री बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी के कर्मचारियों तथा कमेटी के प्रेसीडेंट और सदस्यों को इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक नामोदिष्ट किया जा रहा है जिससे कि उन्हें और अधिक संरक्षण दिया जा सके।

अन्य परिवर्तन औपचारिक प्रकार के हैं ।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री ।

मूल अधिनियम की उन धाराओं का उद्धरण जिन्हें संशोधन करना है

WHEREAS it is expedient to provide for the better administration and governance of the Shri Badrinath Temple and its endowments. Preamble.

3. In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context— Definitions.

(*a*) "The Temple" means, (1) the Temple of Shri Badrinath in Garhwal, other temples within its premises comprising survey nos. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 368, 369 and 370 of the survey of the year 1930-31 of the village of Badrinath in patti Talla Pain Khanda, district Garhwal, all their appurtenant and subordinate temples mentioned (in Schedule) and any additions which may be made thereto after the commencement of this Act.

Explanation—Temples within the premises of the Temple of Shri Badrinath in Garhwal shall include Shri Lakshmiji Temple, the images of Garur, Hanumanji, Ghantakaran and all other minor images situated within the survey plots named above ;

and (2) the Temple of Shri Kedarnath in Garhwal and includes the appurtenant and subordinate shrines mentioned (in Schedule II).

(*b*) "Endowment" means all property, movable or immovable, belonging to, or given or endowed for the maintenance or improvement of, or additions to, or worship in The Temple or for the performance of any service or charity connected therewith and includes the idols installed therein, the premises of the said Temple and gifts of property made to anyone within the precincts of the Temple ;

(*c*) "Committee" means the Shri Badrinath Temple Committee constituted under this Act ;

(*d*) "Court" means the principal court of original civil jurisdiction within the local limits of which The Temple is situate ;

(*e*) "Scheme" means a scheme of management settled by the Court under the provisions of section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908 ; Act V of 1908.

4. The ownerships of The Temple and all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of the said Temple in the name of any person, or for the convenience, comfort or benefit of the pilgrims shall vest in the deity of Shri Badrinath or Shri Kedarnath Temple, as the case may be, and the Committee appointed under section 5 shall be entitled to their possession. Vesting of property.

5. (1) The administration and the governance of The Temple and its endowments shall be in the hands of a Committee which shall be composed as follows : The Committee

(*a*) Four persons from Tehri State elected or nominated in such manner as may be agreed upon between His Highness the Maharaja of Tehri and the State Government.

(*b*) two persons residing in Garhwal District of whom at least one shall be a resident of Chamoli Tahsil, elected by the Hindu members of the District Board of Garhwal ;

(*c*) two persons elected by the Hindu members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and one person elected by the Hindu members of the Uttar Pradesh Legislative Council ;

(*d*) the President of the Committee and two members to be appointed by the State Government.

(2) No person who does not profess the Hindu religion and accept the form of worship practised at the Temple shall be eligible for membership, or for the office of the President of the Committee.

(3) The nomination, election or appointment of the members and the President shall be notified in the official *Gazette*.

(4) There shall be only one committee for the administration and the governance of the Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples, including the subordinate and appurtenant temples and the committee as constituted at the date of the commencement of Shri Badrinath Temple (Amendment) Act, 1948, shall be deemed to have been duly appointed under this Act for the purposes of both the Temples.

Appointment by the Govt. if no election or nomination.

6. If a member is not elected or nominated, as the case may be, within a date fixed by the State Government or any other date to which such elections or nominations may have been extended by it, the State Government shall appoint a person in the place so left vacant :

Provided that in the case of a vacancy in all or any of the seats under clause (*a*) of sub-section (1) of section 5, or in the event of no agreement between His Highness the Maharaja of Tehri and the State Government being arrived at within six months of the commencement of the Act, the State Government shall fill in the vacancy by appointment of persons belonging to only Garhwal District, of whom one at least shall be of scheduled caste.

Terms of office of President and members.

8. The President and members of the Committee shall hold office for three years from the date of notification under sub-section (3) of section 5. They shall be eligible for re-appointment or re-election, as the case may be :

Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, extend the term of the members and the President of the Committee, whether it has already expired or not, for a period not exceeding three months at a time and six months in the aggregate.

* * * * *

10. (1) The State Government may suspend or remove the President or any member of the Committee on the following grounds :

Power of Govt. to remove the President or members of the Committee.

* * * * *

(*a*) that he has been convicted by a criminal court of any offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude ;

(*d*) that he has been guilty of corruption or misconduct in the administration of The Temple or that some other sufficient cause exists for his removal ;

(*g*) that being a legal practitioner he has acted or appeared on behalf of any person against the Committee in any legal proceedings ; or

(*h*) that he is a paid employee of The Temple.

(2) No member shall be removed under this section unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against his removal.

11. (1) If in the opinion of the State Government the Committee is not competent to perform, or persistently makes default in performing the duties imposed on it under this Act, or exceeds or abuses its powers, the State Government may, after due enquiry, by notification dissolve or supersede the Committee and direct the reconstitution of another Committee in accordance with the provisions of this Act.

Dissolution and supersession of Committee.

(3) Where a Committee is dissolved or superseded under this section the State Government shall appoint a person to perform the functions and exercise the powers of the Committee until the constitution of another Committee.

(4) The State Government may fix a remuneration for such officer, and the same shall be paid from the funds of The Temple.

12. (1) Casual vacancies in the office of the President and members of the Committee shall be filled in the same way as provided in section 5.

Filling up of vacancies.

(2) The term of the President or a member appointed or elected, as the case may be, to fill a casual vacancy shall expire on the day on which the term of the President or member in whose vacancy the appointment has been made would have expired.

(4) If no member is elected or nominated within three months of the occurrence of a vacancy, the State Government shall appoint a person to fill the vacancy.

13. (1) The Committee shall maintain its office at such place or places as the State Government may fix for the transaction of its business.

Office and meetings of the Committee.

(2) At the meeting of the Committee the President or, in his absence, one of the members to be elected at the meeting, shall preside.

(3) No business shall be transacted at any meeting unless at least four members are present.

Rawal Naib-Rawal and Secretary.

14. The Committee shall appoint a Rawal and a Naib-Rawal for The Temple, and a Secretary who will be its chief executive officer.

Officers and Servants of the Committee, their appointment and Punisments, etc.

15. (1) The present Rawal shall continue to hold his office until his death, resignation or removal by the Committee.

(2) On the occurrence of a vacancy in the office of Rawal, the Committee shall appoint the Naib-Rawal as the Rawal.

(4) The Committee may, with the approval of the State Government from time to time, determine the number, designation, and grade of its officers and servants and the scale of salaries and other remuneration for them and for the Rawal, the Naib Rawal and the Secretary.

(5) Except the Rawal, the Naib-Rawal and the Secretary who may be punished or removed only by the Committee, the President of the Committee shall, subject to such rules as the Committee may frame, have the power to appoint and transfer other officers and servants and may fine, reduce, suspend, remove or dismiss them for breach of rules or discipline, for carelessness, unfitness, neglect of duty or misconduct or other sufficient cause :

Provided that in the case of servants whose pay is not more than Rs.50 per mensem the powers mentioned in this sub-section may be delegated by the President to the Secretary. The orders of the President or the Secretary under this sub-section shall be appealable to the Committee within 30 days of the passing of the order.

(6) The Rawal or the Naib-Rawal or the Secretary may appeal to the State Government within 30 days of a resolution of the Committee removing him and the Government may, on a consideration of all relevant and available materials that they may deem fit to consider, pass such orders as in their opinion may be just and equitable, and such order shall be final.

Liability of members.

16. Every member of the Committee shall be liable for the loss, waste or misapplication of any money or other property belonging to the Committee, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his wilful act or omission while a member, and a suit for compensation may be instituted against him either by the Committee or by the Government.

Alienation of movable property.

17. (1) No jewelleries or other valuable property of a non-perishable nature vested in the Committee shall be transferred without the previous sanction of the Committee, and if the value of the property is more than rupees one thousand, the previous approval of the State Government shall also be necessary.

(2) No immovable property, land held on mortgage, lease or otherwise, vested in the Committee shall be leased for more than five years or mortgaged, sold or otherwise alienated except

with the previous sanction of the Committee and the Government.

18. The Committee shall have no power to borrow money from any person except with the previous sanction of the State Government. limitation of borrowing Power.

19. The State Government shall every year appoint an auditor to audit the account of The Temple and its endowments, and fix his remuneration which shall be paid to such auditor from the funds thereof. The auditor shall submit his report to the Committee and send a copy of it to the State Government which may issue such directions thereon as it may deem fit, and the Committee shall carry out such directions. Audit.

* * * * *

21. The State Government shall have power to call for all such information and accounts as may in their opinion be necessary for reasonably satisfying themselves that The Temple is properly maintained, the endowments thereof are properly administered and their funds fully appropriated to the purposes for which they were founded or exist; and the Committee shall, on such requisition, furnish forthwith such information and accounts to the State Government. The State Government may issue such directions to the Committee, as they may deem fit, and the Committee shall carry them out. Power of Government to call for information and accounts.

22. (1) The State Government may depute an officer to inspect any movable or immovable property, records, correspondence, plans, accounts, and other documents, relating to The Temple. The Committee and its employees shall be bound to afford facilities to such officer for inspection. Inspection.

(2) The State Government may fix remuneration for such officer, and the same shall be paid from the funds of The Temple.

23. Subject to the provisions of this Act or of any rules made thereunder, it shall be the duty of the Committee. Duties of the Committee.

(3) to make arrangements for the safe custody of the funds, valuable security and jewelleries and for the preservation of the property vested in the deity of Shri Badrinath or Shri Kedarnath ;

(9) to do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management of The Temple and endowments and the convenience of the pilgrims.

* * * * *

25. (1) The Committee may make by-laws not inconsistent with this Act or the rules made thereunder or any other law for—

(*a*) the division of duties among the President, the members and the Secretary of the Committee ;

(*f*) the custody and investment of funds of the Committee ;

(2) No by-laws or cancellation or alteration of a by-law made by the Committee shall have effect until the same shall have been published for public criticism and thereafter confirmed by the State Government.

Power of Government to make rules.

26. (1) The State Government may make rules consistent with this Act to carry out its purposes.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(*e*) the grant of leave and travelling allowances to the officers and servants of the Committee, including the Rawal, the Naib-Rawal and the Secretary ;

(*f*) the payment of remuneration or travelling allowances to the President and members of the Committee when travelling on business connected with the affairs of the Committee : Provided that the remuneration or travelling allowance shall in no case exceed that allowed to the members of the State Legislature ;

(*h*) giving effect to the agreement, if any, arrived at under the provisions of clause (*a*) of sub-section (1) of section 5 and of section 9 between His Highness the Maharaja of Tehri and the State Government.

Transitory provisions.

27. (2) The State Government may, after the commencement of this Act and before the constitution of the Committee, appoint one or more persons for a period not exceeding six months to discharge all or any of the duties of the Committee :

Provided that the State Government may extend the period of appointment of such person or persons for a period not exceeding one year.

(2) Any person or persons appointed under sub-section (1) shall have all the rights and powers except those conferred by the proviso to section 2, and be subject to all the liabilities which a Committee possesses or is subject to under this Act.

(SCHEDULE 1)

(1) Shri Shankaracharya Temple at Badrinath.
(2) Shri Adi Kedareshwar Temple at Badrinath.
(3) Shri Ballabhacharya Temple at Badrinath.
(4) Taptakund, the tank and the spring at Badrinath.
(5) Brahmakapal, the Shila and the compound (Parikrama) at Badrinath.
(6) Matamurti Temple at Badrinath.
(7) Yogbadri Temple at Pandukeshwar.
(8) Bhavishya Badri Temple at Subhian.
(9) Nrishinha Temple at Joshimath.
(10) Basudeb Temple at Joshimath.
(11) Shri Durga Temple at Joshimath.
(12) Rajajeshwari Temple at Joshimath.
(13) Mahadeo Temple at Joyteshwar.
(14) Bhaktabatsal Temple at Joyteshwar.
(15) Narayan Temple at Vishnuprayag.
(16) Sitadebi Temple at Chain.

(17) Bridhabadri Temple at Ahimath.
(18) Dhyanbadri Temple at Urgam.
(19) Shri Nrishsing Temple at Pakhi.
(20) Shri Nrisingh Temple at Darmi.
(21) Shri Lakshminarayan Temple at Nandprayag.
(22) Shri Lakshminarayan Temple at Kulsari.
(23) Shri Lakshminarayan Temple at Dwarhat, Almora.
(24) Shri Lakshminarayan Temple at Gudasir, Almora.
(25) Shri Lakshminarayan Temple at Bayala, Almora.
(26) Panch Shilas within the Badrinath Puri.
(27) Panch Dharas within the Badrinath Puri.
(28) Dharamshila within the Parikrama of Shri Badrinath Temple.
(29) Basudhara and Dharamshila at the bottom of the fall at Basudhara).

(SCHEDULE II)

[*See* clause (*a*) of section 3]

(1) Udak Kund at Kedarnath.
(2) Minor temples within the precincts of Shri Kedarnath Temple.
(3) The temple of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.
(4) Miner temples within the precints of temples of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.
(5) The temple of Shri Usha Atukhimath.
(6) The temple of Shri Barahi at Ukhimath.
(7) The temple of Shri Madmasheshwar at Madmasheswar
(8) The temple of Shri Maha Kali at Kalimath.
(9) The temple of Shri Maha Lakshmi at Kalimath.
(10) The temple of Shri Maha Saraswati at Kalimath.
(11) The temple of Shri Gauri Mayi at Guarikund.
(12) The temple of Shri Narain at Trijuginarain.
(13) Minor temples within the precincts of the temple of Shri Narain at Trijuginarain.
(14) The temple of Shri Tunganath at Tungana h.
(15) The temple of Shri Tunganath at Makku.
(16) The temple of Shri Kailshila at Kalshila.

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३० एल० ए०—१९६४—८६० ।